SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
रा.रा.क्षे.दि.स. के विश्वविद्यालयों के कामकाज पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

रा.रा.क्षे.दि.स. के विश्वविद्यालयों के कामकाज

पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय 1: **परिचय**		
संगठनात्मक ढांचा	1.1	1
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.2	2
लेखापरीक्षा के मानदंड	1.3	2
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	3
आभार	1.5	4
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.6	4
अध्याय 2: **प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दे**		
डीएचई और डीटीटीई द्वारा प्रशासनिक योजना और निरीक्षण	2.1	7
विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक मुद्दे	2.2	17
विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मुद्दे	2.3	23
अनुसंधान एवं विकास, पेटेंट, परामर्श और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग	2.4	28
छात्रों का स्थानन और स्टार्ट-अप गतिविधियां	2.5	39
अध्याय 3: **विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया**		
विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन	3.1	43
जीजीएसआईपीयू से संस्थानों की संबद्धता की प्रक्रिया	3.2	47
प्रक्रिया में कमियां	3.3	56
जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्ध संस्थानों की निगरानी	3.4	61

अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना सुविधाएं		
वित्तीय प्रबंधन	4.1	66
मानव संसाधन प्रबंधन	4.2	78
अवसंरचना सुविधाएं और कार्य संविदाओं में अनियमितताएं	4.3	84
अध्याय 5: आंतरिक नियंत्रण		
संस्थागत निकायों/आंतरिक समितियों का अभाव	5.1	95
गुणवत्ता आश्वासन के लिए तंत्र	5.2	98
प्रबंधन सूचना प्रणाली और कार्यालय स्वचालन	5.3	101
अध्यादेशों/संविधियों में किए गए संशोधनों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया	5.4	103
स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया	5.5	103

अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.1	जीजीएसआईपीयू के चयनित विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों की सूची	1.4	107
2.1	जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूलों (यूएसएस) और उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की सूची	अध्याय II (परिचय)	108
2.2	डीटीयू के शैक्षणिक विभागों और विश्वविद्यालय स्कूलों की सूची	अध्याय II (परिचय)	109
2.3	2018-23 के दौरान स्वीकृत प्रवेश के प्रति कम प्रवेश वाले जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय स्कूलों के कार्यक्रमों का विवरण	2.2.2.1(i)	110

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
2.4	विश्वविद्यालय स्कूलों में पाठ्यक्रम परिशोधन में विलंब के साथ संचालित कार्यक्रम	2.3.1	111
2.5	जीजीएसआईपीयू के संबद्ध कॉलेजों में पिछले 3 वर्षों से पाठ्यक्रम परिशोधन के बिना संचालित कार्यक्रम	2.3.1	112
2.6	डीटीयू के विश्वविद्यालय विभागों के उन कार्यक्रमों की सूची जिनके पाठ्यक्रम में परिशोधन नहीं किया गया	2.3.1	114
2.7	पाठ्यक्रम परिशोधन में विलंब वाले डीपीएसआरयू के कार्यक्रमों का विवरण	2.3.1	115
3.1	1.5 एकड़ से कम भूमि वाले जीजीएसआईपीयू के 6 संबद्ध कॉलेजों का विवरण	3.2.2(i)(डी)	116
3.2	1.5 एकड़ से कम भूमि वाले संबद्ध कॉलेजों का विवरण	3.2.2(i)(डी)	117
4.1	वर्ष 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का विवरण	4.2.3	119
4.2	स्वीकृत नहीं किए गए परंतु बहिःस्रोतित आधार पर भरे गए पदों का वर्ष-वार विवरण	4.2.4(ii)	122
4.3	संयुक्त भौतिक निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियां	4.3.5	123
5.1	वर्ष 2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू के बीएसएस के गठन और कार्यप्रणाली में देखी गईं विसंगतियां	5.1.1(i)	131
	शब्दावली		135

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए 'रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कामकाज' की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने और अनुसंधान एवं नवाचारों के लिए मज़बूत आधार प्रदान करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का उच्चतर शिक्षा विभाग (एचईडी) उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीएचई) के माध्यम से और रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (टीटीईडी) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई) के माध्यम से तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन करते हैं और विश्वविद्यालयों के लिए कार्यान्वयन हेतु नीतियां तैयार करते हैं। वे अपने अधीन कार्यरत विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान भी प्रदान करते हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. के अधिकार क्षेत्र में ग्यारह विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु हमने तीन विश्वविद्यालयों, अर्थात गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), जो एक संबंधन निकाय है, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) का चयन किया है। डीटीयू और डीपीएसआरयू मुख्य रूप से तकनीकी संस्थान हैं, जब कि जीजीएसआईपीयू सामान्य पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करता है। इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और उच्चतर/तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, विनियमों और परिपत्रों द्वारा संचालित होती हैं।

यह लेखापरीक्षा क्यों की गई?

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के कामकाज पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) के अनुरोध पर की गई थी।

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या: (i) रा.रा.क्षे.दि.स. और चयनित विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने शैक्षणिक कार्यों की योजना बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया; (ii) मानव संसाधन और अवसंरचना सुविधाओं का सृजन एवं विकास पर्याप्त और मानदंडों के अनुसार था; (iii) चयनित विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंधन कुशल और प्रभावी था; और (iv) आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

हमने क्या पाया?

हमने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मामलों, विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन एवं संबद्धता प्रक्रिया, मानव संसाधन प्रबंधन, अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक मुद्दों पर ध्यान दिया।

डीएचई और डीटीटीई दोनों के पास नागरिक चार्टर और विज़न/मिशन विवरण थे। इन दस्तावेज़ों के अनुसार, डीएचई को उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना था और उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक नीतियां तैयार करनी थीं, जब कि डीटीटीई को औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, उत्पादकता और नवाचार के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्रदान करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो डीएचई और न ही डीटीटीई ने अपने विज़न/मिशन को पूरा करने के लिए व्यापक नीतियां बनाई थीं। इस प्रकार, दिल्ली में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित और सुनिर्धारित नीतियों का अभाव था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन और प्रवेश नियामक समिति (एआरसी) तथा राज्य शुल्क नियामक समिति के गठन में विलंब हुआ है। नीतिगत दिशानिर्देश वर्ष 2018-19 तक प्रभावी थे। परंतु इन्हें 2022-23 तक परिशोधित नहीं किया गया। प्रवेश नियामक समिति का गठन 16 वर्षों के विलंब से, अप्रैल 2023 में किया गया।

चयनित विश्वविद्यालयों में अपने-अपने विज़न दस्तावेज़ों में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घकालिक या अल्पकालिक योजना विद्यमान नहीं थी। तथापि, डीटीयू ने 2019 में 'कार्यनीतिक योजना 2019-30' नामक अपना प्रथम विज़न दस्तावेज़ तैयार किया, इसमें 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले केवल दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल थे और कार्यनीतिक योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने

के प्रयोजन से कोई मध्यम अवधि या वार्षिक योजना नहीं थी। हमने यह भी देखा कि चयनित तीन विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज यूजीसी और एआईसीटीई विनियमों के तहत अपेक्षित एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना तीन से छह वर्षों तक कार्यरत रहे। जीजीएसआईपीयू के पास 2018 से 2023 तक एनएएसी और एनबीए दोनों प्रत्यायन नहीं थे। डीटीयू ने 2015 से 2019 के बीच एनएएसी प्रत्यायन के बिना और 2018 से 2023 तक एनबीए प्रत्यायन के बिना काम किया। डीपीएसआरयू के पास 2020 से 2023 की अवधि के लिए एनएएसी या एनबीए प्रत्यायन नहीं था।

संबद्ध कॉलेजों में आवश्यक भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मूल्यांकन समिति (जेएसी) निरीक्षण तंत्र के माध्यम से संबद्धता की प्रक्रिया अपर्याप्त पाई गई, क्योंकि चयनित संबद्ध कॉलेजों में जेएसी द्वारा अनुकूल ग्रेडिंग, जेएसी रिपोर्टों की सिफारिशों का पालन न करना, अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात, निर्धारित योग्यता से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का अभाव जैसे मामले सामने आए। वार्षिक संबद्धता प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भी विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीनों विश्वविद्यालय कक्षाओं की कमी, अपर्याप्त अवसंरचना, उपलब्ध अवसंरचना और उपकरणों के गैर-उपयोग आदि से जूझ रहे थे। जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर में नामांकित छात्रों के प्रति बैठने की क्षमता में 26 *प्रतिशत,* डीटीयू के रोहिणी परिसर में 41 *प्रतिशत* और डीपीएसआरयू में 59 *प्रतिशत* की कमी थी। डीपीएसआरयू में नामांकित 2,800 छात्रों के लिए केवल 1,157 छात्रों के लिए बैठने की क्षमता थी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

निधि के प्रेषण, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए योजना शुरू करने और छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब और दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष (डीएचईएसएफ) एवं दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) के अंतर्गत ₹ 25.59 करोड़ की परिहार्य कर देयता भी देखी गई।

2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू में 38.77 *प्रतिशत* से 44.84 *प्रतिशत* तक, डीपीएसआरयू में 21.77 *प्रतिशत* से 54.43 *प्रतिशत* तक एवं डीटीयू में 55 *प्रतिशत* से 60 *प्रतिशत* तक शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी रही। 2018-23 की

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डीटीयू में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के तीन-चौथाई पद रिक्त रहे। इन विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की भी इसी तरह की कमी देखी गई।

जीजीएसआईपीयू में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक और डीटीयू में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियमित पदाधिकारियों के अभाव में परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या तो अतिरिक्त प्रभार या स्थानापन्न आधार पर कार्यरत थे। हमने भर्ती में विलंब, स्वीकृत पदों के बिना भर्ती और अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति भी देखी।

जीजीएसआईपीयू के प्रबंधन बोर्ड ने 144 शिक्षण पदों और 168 गैर-शिक्षण पदों के सृजन और पहले दो वर्षों यानी 2021-23 में कुल शिक्षण पदों का 50 *प्रतिशत* भरने को मंज़ूरी दी (अगस्त 2021)। कर्मचारियों की कमी के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2022 में सहायक प्रोफेसरों के केवल 32 पदों पर भर्ती की और दिसंबर 2023 तक शेष स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, डीटीयू जुलाई 2019 में विज्ञापित विभिन्न विषयों में 167 रिक्तियों के प्रति केवल 51 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती ही कर सका, जब कि उसी महीने विज्ञापित सहायक प्रोफेसरों की 87 अन्य रिक्तियों के लिए कोई भर्ती नहीं की गई। वास्तव में, भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में यूजीसी द्वारा निर्धारित छह महीने के समय के प्रति 16 महीने लग गए (नवंबर 2020)। डीटीयू ने भी मार्च 2023 तक इन संवर्गों में भारी कमी का सामना करने के बावजूद प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

यूजीसी ने सिफारिश की थी (जनवरी 2017) कि विश्वविद्यालयों के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रमों की छात्रों को रोज़गार-योग्य बनाने के लिए कौशल-समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा और परिशोधन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय स्कूलों में 62 कार्यक्रमों में से छह पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या पिछले तीन से पांच वर्षों में और तीन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या पिछले पांच से 11 वर्षों में परिशोधित नहीं की गई। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों द्वारा

प्रस्तुत कुल 109 कार्यक्रमों में से 51 (अर्थात् 47 *प्रतिशत* पाठ्यक्रम) के पाठ्यक्रम जीजीएसआईपीयू के अध्ययन स्कूल बोर्ड द्वारा परिशोधित नहीं किए गए।

यूजीसी द्वारा जारी छात्रों के अधिकार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, "छात्र, प्रॉस्पेक्टस में शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा के आयोजन और परिणामों की घोषणा के हकदार हैं"। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू के पास परिणामों की घोषणा के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था और 2018-22 के दौरान (जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी), जीजीएसआईपीयू ने 368 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जिनमें से 199 परीक्षाओं के परिणाम, यानी 54 *प्रतिशत* परिणाम विलंब से घोषित किए गए। 2019-20 में तीन मामलों में, आठ महीने तक का विलंब था। इसी प्रकार, डीपीएसआरयू में परिणामों की घोषणा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामों की घोषणा के लिए लगने वाले दिनों की संख्या 2018-19 और 2019-20 के दौरान 200 दिनों से अधिक थी, यद्यपि यह 2022-23 में उल्लेखनीय रूप से कम होकर 34 दिन हो गई।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए "अनुसंधान एवं विकास सेल" की स्थापना हेतु मार्च 2022 के यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जीजीएसआईपीयू ने अपने अनुसंधान एवं परामर्श निदेशालय (डीआरसी) का नाम बदलकर "अनुसंधान एवं विकास सेल" (आरडीसी) कर दिया और विभिन्न विभागों और संकायों में मौजूदा शोध गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए चार समितियों/परिषद का गठन किया (नवंबर 2022)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुसंधान परिषद ने कोई बैठक नहीं की, और उत्पाद विकास, निगरानी और व्यापारीकरण समितियों ने नवंबर 2022 में केवल एक बैठक की। चारों समितियों/परिषदों में से किसी ने भी कुलपति को कोई शोध गतिविधि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा में पहुँच, समानता और गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, *राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)* की शुरूआत की (अक्टूबर 2013)। इस योजना को केंद्र और राज्य के समान योगदान से क्रियान्वित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. को इसके लिए ₹ 3.04 करोड़ (सितंबर 2015 में भारत सरकार से ₹ 1.52 करोड़

और अप्रैल 2016 में रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 1.52 करोड़) की निधि प्राप्त हुई। तथापि, इस योजना को लागू नहीं किया गया और मार्च 2024 तक डीएचई के पास निधि अप्रयुक्त पड़ी रही क्योंकि भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच अपेक्षित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

डीएचई ने 2015-16 में "दिल्ली उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना" नामक एक योजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य दिल्ली के छात्रों द्वारा दिल्ली में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋणों के लिए बैंकों को गारंटी प्रदान करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-23 के दौरान आवेदकों और लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई और 2021-22 में यह संख्या नौ और 2022-23 में केवल दो रह गई। ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि डीएचई ने योजना की समीक्षा की ताकि इस गिरावट के कारणों का पता लगाया जा सके और छात्रों तक इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके तथा योजना का उद्देश्य पूरा हो सके।

मार्च 2008 में, डीटीटीई ने ज्ञान के प्रति समर्पित एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के संचालन हेतु नए दृष्टिकोणों को अपनाने और उनका प्रसार करने हेतु एक संस्था के रूप में दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) की स्थापना की। डीकेडीएफ ने उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण से संबंधित आठ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2020-22 के दौरान छह विश्वविद्यालयों को ₹ 43.76 करोड़ का अनुदान जारी किया। तथापि, यह पाया गया कि विश्वविद्यालयों ने न तो परियोजनाओं की प्रगति और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था।

उपमुख्यमंत्री के निर्देश (मई 2021) पर, जीजीएसआईपीयू ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 5,000 स्वास्थ्य सहायकों को तैयार करने हेतु दो सप्ताह का एक नया प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया (जून 2021) और डीएचईएटी को प्रेषण हेतु जीजीएसआईपीयू के पास पड़े ₹ 5 करोड़ के उपयोग का प्रस्ताव रखा। अक्टूबर 2023 तक, जीजीएसआईपीयू ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए ₹ 2.44 करोड़ का भुगतान कर दिया था, जिससे जीजीएसआईपीयू के पास ₹ 2.56 करोड़ की अव्ययित राशि शेष रह गई। इस प्रकार, समाज के कमज़ोर

वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित निधि का अन्य उद्देश्य, अर्थात् उपर्युक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उपयोग अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित तीनों विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का कम उपयोग देखा। जीजीएसआईपीयू में, 2018-23 के दौरान उपलब्ध सीटों का कम उपयोग 14 से 32 *प्रतिशत* तक था। विशेष रूप से 10 कार्यक्रमों में खाली सीटें काफी थीं और 100 *प्रतिशत* तक थीं। जीजीएसआईपीयू से संबद्ध दो संस्थानों ने विश्वविद्यालय के साथ अपनी संबद्धता छोड़ दी (जनवरी 2023) और दूसरे विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता का विकल्प चुना, क्योंकि उनके द्वारा संचालित बी.टेक और बी. आर्क कार्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश हर वर्ष कम हो रहा था। डीटीयू में, 2018-23 के दौरान यूजी कार्यक्रमों में रिक्त सीटें आठ से 10 *प्रतिशत* और पीजी कार्यक्रमों में 17 से 32 *प्रतिशत* के बीच थीं। डीपीएसआरयू में, 2018-23 के दौरान रिक्त सीटों की कुल प्रतिशतता 11 से 24 *प्रतिशत* तक थी, जब कि विश्वविद्यालय स्कूलों के नौ कार्यक्रमों में, रिक्ति की प्रतिशतता 42 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक थी।

लेखापरीक्षा ने चयनित तीन विश्वविद्यालयों के वित्तीय पहलुओं की जांच की और पाया कि जीजीएसआईपीयू द्वारा अंशदायी भविष्य निधियों का निवेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुरूप नहीं था और अधिशेष निधि के निवेश में विलंब के कारण संभावित ब्याज की हानि हुई। चयनित अधिकांश स्व-वित्तपोषित कॉलेजों ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

हमने पाया कि चयनित विश्वविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन *सेल* निर्धारित अंतराल पर बैठक नहीं करते थे तथा विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा और उनका अनुवर्ती कार्य अपर्याप्त था।

हम क्या सिफारिश करते हैं?

सरकार निम्न कार्य कर सकती है:

- *दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा पर सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक नीतियां तैयार करना।*

विश्वविद्यालय निम्न कार्य कर सकते हैं:

- *अपने विज़न दस्तावेज़ों में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और वार्षिक योजनाएं तैयार करना और प्राप्ति के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करना।*
- *अपने अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों के लिए एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, संबद्धता प्रदान करने की व्यवस्था को मज़बूत करना और शुल्क की अधिसूचना के लिए समय-सीमा निर्धारित करना।*
- *नूतन विकास/उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों में नियमित परिशोधन करना तथा समय पर परिणाम घोषित करना/उपाधियां प्रदान करना।*
- *समाज और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श/शोध परियोजनाएं शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करना।*
- *प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित महत्वपूर्ण पदों को भरते हुए शिक्षण, गैर-शिक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना।*
- *अवसंरचना के निर्माण में समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायित्व के बिंदू निर्धारित करना, जैसे कि छात्रों के लिए कक्षाएं और छात्रावास, और सृजित परिसंपत्तियों का समय पर उपयोग।*
- *विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों को कम करने के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा करना।*

****

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

दिल्ली में उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन उच्चतर शिक्षा विभाग (एचईडी) द्वारा उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीएचई) के माध्यम से और तकनीकी शिक्षा का संचालन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (टीटीईडी) द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई) के माध्यम से किया जाता है। जब कि डीएचई उच्चतर शिक्षा के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने और उसे लागू करने तथा दिल्ली में नए कॉलेज खोलने के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है, वहीं डीटीटीई की स्थापना विश्व स्तरीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग संगत अनुसंधान और विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वे अपने अधीन कार्यरत विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान भी प्रदान करते हैं। मार्च 2023 तक विद्यमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के कुल 11 विश्वविद्यालयों में से, सामान्य/ गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले पाँच विश्वविद्यालय[1] डीएचई के अधीन कार्य करते हैं और तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शेष छह विश्वविद्यालय[2] डीटीटीई के अधीन कार्य करते हैं। इनमें से दो विश्वविद्यालय, अर्थात दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर 2023 तक अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं की गई थीं। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) को उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

डीएचई और डीटीटीई दोनों के शीर्ष पर निदेशक होते हैं जो सचिव (एचईडी/टीटीईडी) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। उच्चतर शिक्षा निदेशक को उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, उप लेखा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारियों

[1] गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), दिल्ली खेल विश्वविद्यालय (डीएसयू) और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (डीटीईयू)

[2] दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटीडी), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी), दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)

और सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जब कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक को अपर निदेशक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, कुलसचिव, उप लेखा नियंत्रक और सिस्टम विश्लेषक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। विश्वविद्यालयों का प्रशासन संबंधित कुलपतियों के अधीन होता है, जिनकी सहायता विश्वविद्यालय के कुलसचिव और विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विभागों के प्रमुख करते हैं।

1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- सरकार और चयनित विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने शैक्षणिक कार्यों की योजना बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया;
- चयनित विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंधन कुशल और प्रभावी था;
- मानव संसाधन और अवसंरचना सुविधाओं का सृजन और विकास पर्याप्त और मानदंडों के अनुसार था; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

1.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

उपर्युक्त उद्देश्यों के संबंध में सरकार और चयनित विश्वविद्यालयों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर किया गया:

- विश्वविद्यालयों के अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए क़ानून और अध्यादेश;
- दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियम, गैर-शोषणकारी शुल्क का निर्धारण और गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम एवं नियम 2007;

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए), भारतीय विधिज्ञ परिषद और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देश और विनियम;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020;
- दिव्यांगजन अधिनियम, 1995;
- डीएचई और डीटीटीई द्वारा जारी आदेश/नीतिगत दिशानिर्देश;
- वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमावली और आदेश;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नियमावली।

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

"रा.रा.क्षे.दि.स. के विश्वविद्यालयों के कामकाज" पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि शामिल थी। लेखापरीक्षा डीएचई और डीटीटीई के अभिलेखों की संवीक्षा के माध्यम से की गई थी, तीन[3] विश्वविद्यालयों को निर्णयात्मक आधार पर चुना गया था और जीजीएसआईपीयू के 14 संबद्ध कॉलेजों को आइडिया (आईडीईए) सॉफ्टवेयर **(अनुलग्नक 1.1)** का उपयोग करके सांख्यिकीय यादृच्छिक चयन के माध्यम से चुना गया था।

9 मई 2023 को रा.रा.क्षे.दि.स. के उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के सचिव एवं निदेशक और डीटीयू तथा डीपीएसआरयू के कुलसचिव और जीजीएसआईपीयू के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नमूनों के चयन सहित लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्रों, उद्देश्यों, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। 10 मार्च 2025 को रा.रा.क्षे.दि.स. के उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के सचिव एवं निदेशक तथा डीटीयू और डीपीएसआरयू के कुलसचिव और

[3] 1. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 2. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 3. दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय।

जीजीएसआईपीयू के कुलपति के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। निर्गम सम्मेलन में विभागों द्वारा व्यक्त विचारों और उसके बाद प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.5 आभार

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में उच्चतर शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय तथा तीन चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अध्यायों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है:

अध्याय 2: प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दे

अध्याय 3: विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया

अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना सुविधाएं

अध्याय 5: आंतरिक नियंत्रण

अध्याय 2

प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दे

अध्याय 2

प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दे

- **दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित एवं सुनिर्धारित नीतियों का अभाव।**
- **विधान सभा में आठ विश्वविद्यालयों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति में बकाया।**
- **दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के वित्तपोषण में सुधार के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने में डीएचई और डीटीटीई की विफलता।**
- **दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति निधि (डीएचईएसएफ) और दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) के प्रबंधन में कमियां, जैसे कि निधियों के प्रेषण में विलंब, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू करने में विलंब, छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब और इन निधियों में प्राप्त राशियों के उप-इष्टतम उपयोग के कारण ₹ 25.59 करोड़ की परिहार्य कर देयता।**
- **चयनित विश्वविद्यालयों में, जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार करने और समय-समय पर उनकी समीक्षा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनमें गैर-कार्यात्मक योजना बोर्ड।**
- **नूतन विकास/उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार चयनित विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों द्वारा पाठ्य विषयों के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से परिशोधन न करना। साथ ही, विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा और छात्रों को उपाधि-पत्र जारी करने में भी विलंब।**

तीन विश्वविद्यालयों, अर्थात गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) को विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु निर्णयात्मक आधार पर चुना गया था। तीनों विश्वविद्यालयों

की स्थापना दिल्ली विधानमंडल के अधिनियमों के माध्यम से हुई थी, अर्थात जीजीएसआईपीयू की स्थापना जुलाई 1998 में, डीटीयू की स्थापना जुलाई 2009 में और डीपीएसआरयू की स्थापना 2008[1] में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और उच्चतर/तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा जारी दिशानिर्देशों, विनियमों और परिपत्रों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

चयनित विश्वविद्यालयों का संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 2.1** में दिया गया है।

चार्ट 2.1: विश्वविद्यालयों का संगठनात्मक ढांचा

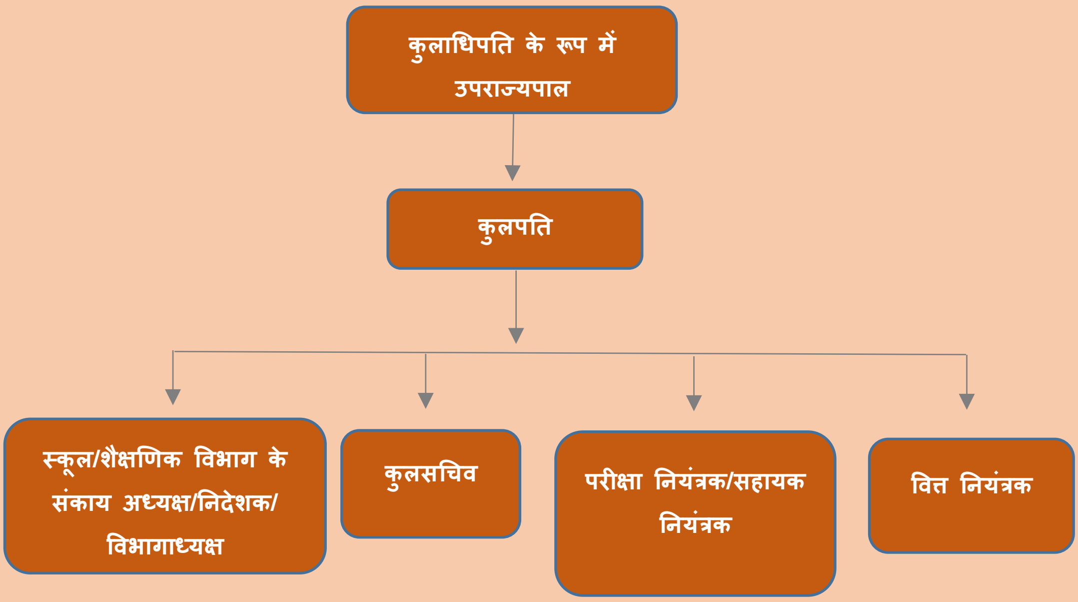

जीजीएसआईपीयू, डीएचई के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय में 14 विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल (यूएसएस), दो विश्वविद्यालय केंद्र (यूसी) **(अनुलग्नक 2.1)** हैं, जिनमें 5,600 से अधिक छात्र हैं।

[1] अगस्त 2015 तक यह दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर) के रूप में कार्य कर रहा था।

डीटीयू, डीटीटीई के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान के लिए 14 शैक्षणिक विभाग और दो विश्वविद्यालय स्कूल **(अनुलग्नक 2.2)** हैं, जिनमें लगभग 15,000 छात्र हैं।

डीटीटीई के अधीन कार्यरत डीपीएसआरयू में एक संघटक कॉलेज अर्थात दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर), तीन आंतरिक स्कूल[2] और खेल विज्ञान एवं अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एएसएसआरएम) शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए, इस विश्वविद्यालय में 2,800 छात्र/वृत्ति-छात्र थे।

2.1 डीएचई और डीटीटीई द्वारा प्रशासनिक योजना और निरीक्षण

उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्चतर शिक्षा के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने, दिल्ली के विभिन्न स्थानों में नए कॉलेज खोलने, कॉलेजों को सहायता अनुदान जारी करने आदि के लिए 1997 में डीएचई की स्थापना की गई थी। जैसा कि डीएचई की वेबसाइट पर बताया गया है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी छात्र दिल्ली में अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में सीटें उपलब्ध न होने के कारण दूसरे राज्यों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर छोड़कर न जाए। इसी प्रकार, डीटीटीई की स्थापना विश्व स्तरीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग-संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, छात्रों और शिक्षकों के नवप्रवर्तनकारी कौशल और रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने आदि के लिए की गई थी। डीटीटीई का उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को प्रमुख बहु-विषयक शिक्षण संस्थान बनाकर उच्चतर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में वैश्विक अग्रणी बनना है।

वर्ष 2018-23 के दौरान आबंटित बजट की तुलना में डीएचई और डीटीटीई के व्यय का वर्ष-वार विवरण क्रमशः **चार्ट 2.2** और **चार्ट 2.3** में दिया गया है।

---

[2] औषधि विज्ञान स्कूल (एसपीएस), फिज़ियोथैरेपी स्कूल (एसपीएच) और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रबंधन स्कूल (एसएएचएसएम)

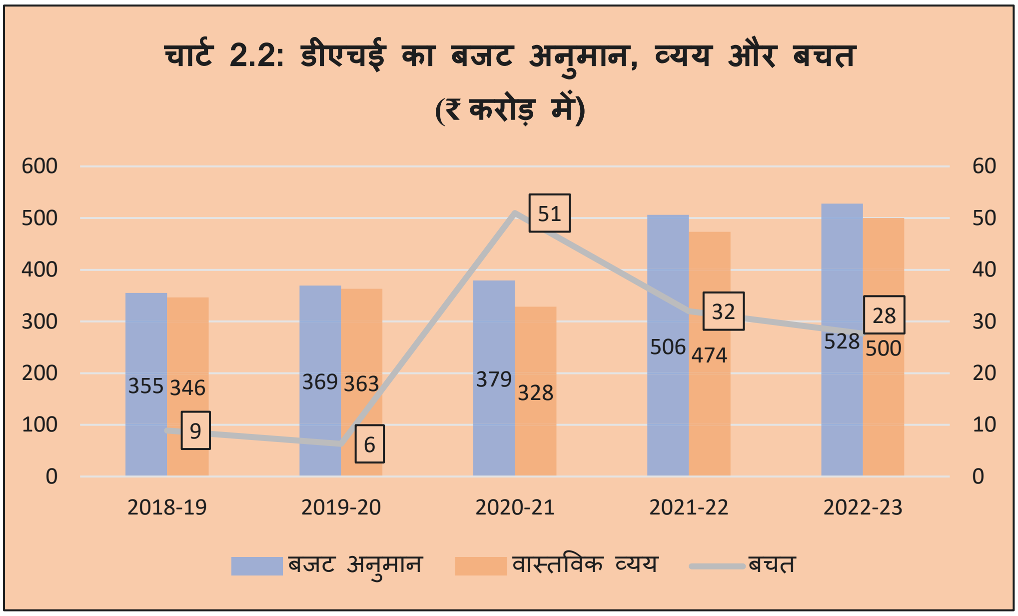

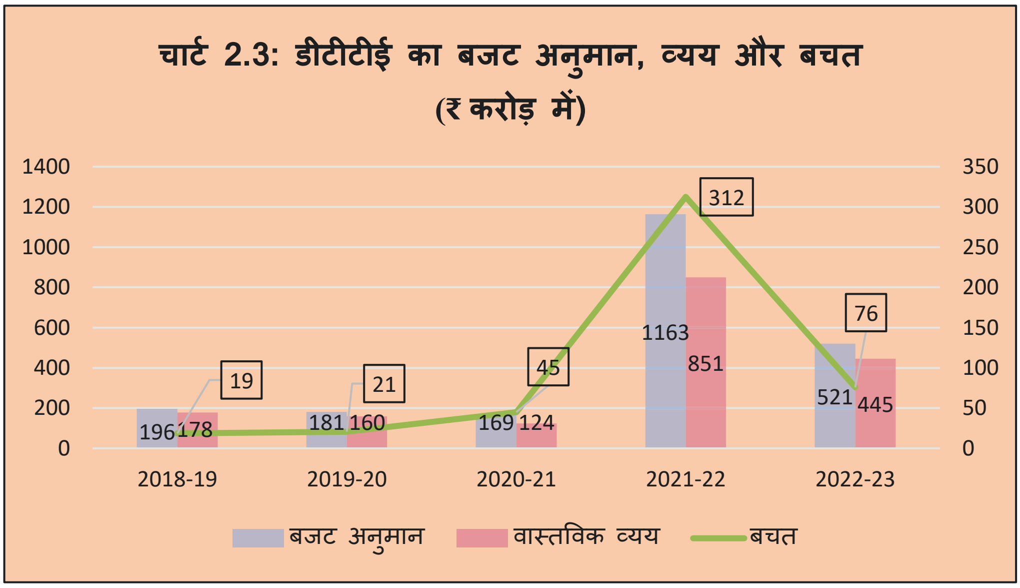

स्रोत: डीएचई और डीटीटीई के वार्षिक समाधान विवरण

डीएचई के व्यय का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालयों (26 *प्रतिशत*) और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों (71 *प्रतिशत*) को सहायता अनुदान पर था। डीटीटीई के मामले में, विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान व्यय का 67 *प्रतिशत* और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और विश्व स्तरीय कौशल केंद्रों पर व्यय 28 *प्रतिशत* था। 2021-22 में डीटीटीई के व्यय में कई गुना वृद्धि दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्व स्तरीय कौशल केंद्रों के निर्माण पर व्यय में वृद्धि के साथ हुई।

2.1.1 योजना और विधायी अनुवर्ती कार्रवाई

रा.रा.क्षे.दि.स. में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा की योजना और प्रशासन के संबंध में लेखापरीक्षा में देखे गए मुद्दों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

(i) सरकारी स्तर पर व्यापक नीतियों का अभाव

डीएचई और डीटीटीई दोनों के पास नागरिक चार्टर और विज़न/मिशन विवरण थे। इन दस्तावेज़ों के अनुसार, डीएचई को उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक नीति तैयार करनी थी जब कि डीटीटीई को औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, उत्पादकता और नवाचार के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति प्रदान करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो डीएचई और न ही डीटीटीई ने अपने विज़न/मिशन को पूरा करने के लिए व्यापक नीतियां बनाई थीं। इस प्रकार, दिल्ली में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित और सुनिर्धारित नीतियों का अभाव था।

10 मार्च 2025 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में, सचिव (एचईडी/टीटीईडी) ने दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित और सुनिर्धारित नीतियों के अभाव को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सुदृढ़ नीति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

(ii) विधान सभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में बकाया

जिन अधिनियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, उनके प्रावधानों के अनुसार, 10 विश्वविद्यालयों (राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, जो कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाते थे, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा दिल्ली विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाने थे।

आठ[3] कार्यात्मक विश्वविद्यालयों के संबंध में डीएचई/डीटीटीई द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की विश्वविद्यालय-वार स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की विश्वविद्यालय-वार स्थिति

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	किस वर्ष तक का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया	किस वर्ष तक के वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं
1.	गुरु गोबिंद सिंह विश्वविद्यालय	2021-22	2020-21
2.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली	2019-20	2020-21
3.	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2021-22	2018-19
4.	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय	2021-22	2017-18
5.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2017-18	2017-18
6.	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2022-23	2020-21
7.	दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय	2015-16 से 2021-22 तक के वार्षिक प्रतिवेदन डीटीटीई को प्रस्तुत किए गए, परंतु अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।
8.	दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए।

स्रोत: डीएचई और डीटीटीई द्वारा प्रदान की गई जानकारी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, सभी आठ विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा में रखे जाने के लिए दो से पांच वर्षों तक लंबित थे।

इस प्रकार, दिल्ली में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए नीति तैयार न करने के अतिरिक्त, सरकार ने विश्वविद्यालयों की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में विधानमंडल को वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन प्रस्तुत करके अवगत भी नहीं कराया।

---

[3] दो विश्वविद्यालय (दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय) द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया था और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मामले में, अधिनियम के तहत विधानमंडल के समक्ष वार्षिक लेखा/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश 1: सरकार को दिल्ली में उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यापक नीतियां बनानी चाहिए, जो सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हों।

2.1.2 उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तपोषण

उच्चतर शिक्षा के कार्यक्षेत्र और गुणवत्ता में सुधार के लिए डीएचई/डीटीटीई द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, विभिन्न चिह्नित गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों की मात्रा और संबंधित संस्थाओं द्वारा इन संसाधनों के प्रबंधन की गुणवत्ता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान उच्चतर शिक्षा के लिए निधियों की उपलब्धता और उपयोग के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं -

(i) छात्रों की ओर से वित्तीय सहायता की मांग में गिरावट

2015-16 में, डीएचई ने "दिल्ली उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना" नामक एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य दिल्ली के छात्रों द्वारा दिल्ली में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लिए गए ऋणों पर बैंकों को गारंटी प्रदान करना है। इस संबंध में, अगस्त 2015 में एक न्यास (दिल्ली उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास ऋण गारंटी निधि न्यास) की स्थापना की गई और 2015-18 के दौरान इस न्यास को ₹ 15 करोड़ जारी किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-23 के दौरान आवेदकों और लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: योजना के अंतर्गत वर्ष-वार आवेदक और लाभार्थी

वर्ष	आवेदकों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	कुल आवेदकों में लाभार्थियों की प्रतिशतता
2017-18	177	50	28.25
2018-19	139	44	31.65
2019-20	146	23	15.75
2020-21	106	17	16.04
2021-22	89	9	10.11
2022-23	56	2	3.57

इन वर्षों के दौरान सफल आवेदकों का प्रतिशत भी कम हुआ। बैंकों द्वारा आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए बताए गए कारण ये थे: (i) आवेदकों ने पहले ही किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऋण ले लिया था, (ii) आवेदकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, और (iii) अधूरे दस्तावेज़ या कम ऋण राशि

के लिए पात्रता। योजना के अंतर्गत सहायता की मांग में इतनी गिरावट और लाभार्थियों की संख्या, जो 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः नौ और दो थी, के बावजूद, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि डीएचई ने गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए योजना की समीक्षा की ताकि छात्रों के बीच इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह इस योजना की समीक्षा करेगा और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रयास करेगा।

(ii) भारत सरकार (भा.स.) से निधि प्राप्त करने/उपयोग में विफलता

क) भारत सरकार ने **राष्ट्रीय उच्चतरतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)** नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की (अक्टूबर 2013), जिसका उद्देश्य नए शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, मौजूदा संस्थानों का विस्तार और उन्नयन, आत्मनिर्भर संस्थानों का विकास आदि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना को केंद्र और राज्य के समान योगदान से क्रियान्वित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएचई को इसके लिए ₹ 303 लाख (सितंबर 2015 में भारत सरकार से ₹ 151.50 लाख और अप्रैल 2016 में रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 151.50 लाख) की निधियां प्राप्त हुई। तथापि, योजना को लागू नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार और रा.रा.क्षे.दि.स. के बीच अपेक्षित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस प्रकार, मार्च 2024 तक डीएचई के पास निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. भारत सरकार से शेष ₹ 208.50 लाख की निधि प्राप्त नहीं कर सकी। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में विभिन्न घटकों के अतंर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और दिल्ली के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ आरयूएसए 2.0 भी शुरू किया, जिसे भी लागू नहीं किया जा सका।

दिल्ली में योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में सरकार की विफलता के कारण दिल्ली के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए केंद्रीय निधि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, निदेशक (डीएचई/डीटीटीई) ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा विसंगतियों को चिह्नित करने के बाद, विभाग ने राष्ट्रीय उच्चतरतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अंतर्गत निधियों की बेहतर प्राप्ति और उपयोग के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु फाइल शुरू कर दी है।

ख) भारत सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को ***सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्यय/बकाया भुगतान के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति*** प्रदान करने का प्रस्ताव दिया (नवंबर 2017)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएचई और डीटीटीई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के बकाया के कारण अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को देय/भुगतान की गई राशि का पता लगाने में विफल रहे और न ही उन्होंने प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार को कोई दावा प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, जनवरी 2016 से मार्च 2019 के वेतन के बकाया भुगतान पर व्यय जीजीएसआईपीयू के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा और अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में सरकार द्वारा वहन किया गया।

इस प्रकार, सरकार ने दिल्ली में उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने और सुधारने के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली को प्राप्य धनराशि का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।

(iii) दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष और दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान का प्रबंधन

2007 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, डीएचई ने समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अप्रैल 2008 में दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष (डीएचईएसएफ) बनाया और इस कोष के प्रबंधन के लिए दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता न्यास (डीएचईएटी) की स्थापना की (अक्टूबर 2008)। जैसा कि डीएचई द्वारा जून 2007 में जारी योजना के अतिरिक्त नीतिगत दिशानिर्देशों में कहा

गया है, छात्रवृत्ति का वित्तपोषण स्थायी परिसर वाले स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों के शाम की पाली में नामांकित छात्रों से एकत्रित शुल्क के 25 *प्रतिशत* से करने का प्रस्ताव था। जीजीएसआईपीयू को यह राशि कॉलेजों से एकत्र करनी थी और डीएचईएटी को भेजनी थी।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2008 में, डीटीटीई ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान (डीकेडीएफ) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ज्ञान के प्रति समर्पित एक विचारक-मंडल (थिंक टैंक) के रूप में कार्य करना, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के संचालन हेतु नए दृष्टिकोणों को अपनाना और उनका प्रसार करना तथा उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना भी था। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से जीजीएसआईपीयू द्वारा एकत्रित निधि इस सोसाइटी को भेजी जानी थी (अप्रैल 2009 से)।

2022-23 तक, जीजीएसआईपीयू ने स्व-वित्तपोषित संस्थानों से डीएचईएटी को ₹ 134.33 करोड़[4] और डीकेडीएफ को ₹ 117.02 करोड़ एकत्रित और हस्तांतरित किए। 2018-23 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 23,753 ईडब्ल्यूएस के छात्रों को सहायता प्रदान की गई।

दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष और दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान के प्रबंधन में पाई गई कमियां इस प्रकार हैं:

क) निधियों के प्रेषण में विलंब: लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू द्वारा एकत्रित निधियों के हस्तांतरण में विलंब हुआ। डीएचईएटी और डीकेडीएफ को शैक्षणिक सत्र 2017-22 के लिए निधि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से 12 से 20 महीने के विलंब से प्राप्त हुई। यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2023 तक, 26 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों द्वारा जीजीएसआईपीयू को डीएचईएटी और डीकेडीएफ को आगे हस्तांतरित करने के लिए ₹ 13.01 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी

---

[4] ₹ 134.33 करोड़ = (2007-17 की अवधि के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा प्रेषित ₹ 59.36 करोड़ (डीएचईएटी ने शून्य उपयोग के साथ इन निधियों को संचित करना जारी रखा) *प्लस* वर्ष 2017-22 के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा प्रेषित ₹ 74.97 करोड़)।

था। इन विलंबों का अनिवार्य गतिविधियों के लिए निधियों के समय पर जारी होने पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

ख) **मेधावी ईडब्ल्यूएस छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना शुरू करने में विलंब:** यद्यपि ईडब्ल्यूएस छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु डीएचई के दिशानिर्देशों के अनुसार धन संग्रहण 2007-08 में शुरू हो गया था, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना केवल शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू की गई, अर्थात 10 वर्ष बाद जब डीएचईएटी/डीएचई ने मेरिट-कम-मीन्स (एमसीएम) वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी स्नातक पूर्व छात्रों के शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, निधियां उपलब्ध होने के बावजूद, यह योजना न्यास की स्थापना के 10 वर्ष बाद ही तैयार की गई।

ग) **घोषित उद्देश्यों का अनुपालन न करने के कारण परिहार्य कर देयता:** आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत आयकर छूट के लिए डीएचईएटी और डीकेडीएफ पंजीकृत हैं। यह छूट इस शर्त पर है कि वे प्रति वर्ष अपनी प्राप्तियों का 85 *प्रतिशत* सोसायटी के घोषित उद्देश्यों पर खर्च करें। चूँकि सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए डीएचईएटी द्वारा 2016-17 तक और डीकेडीएफ द्वारा 2019-20 तक कोई व्यय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, डीएचईएटी को 2018-22 के दौरान ₹ 1.36 करोड़ की स्रोत पर कर कटौती के अतिरिक्त दिसंबर 2023 तक ₹ 12.73 करोड़ की आयकर देयता बनी। इसी प्रकार, डीकेडीएफ ने 2018-23 के लिए ₹ 10.04 करोड़ के आयकर का भुगतान किया और 2019-20 के लिए ₹ 1.46 करोड़ की आयकर देयता बनाई। इस प्रकार, डीएचईएटी और डीकेडीएफ ने ₹ 25.59 करोड़ की परिहार्य कर देयता बनाई।

घ) **छात्रवृत्ति जारी करने में विलंब:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-22 के दौरान डीएचई/डीएचईएटी द्वारा एमसीएम योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब हुआ और वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान अभी तक शुरू नहीं किया गया। यह विलंब चार से 10 महीने

तक का था, जिससे ज़रूरतमंद मेधावी छात्र समय पर आर्थिक सहायता से वंचित रह गए और योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(ड.) निधियों का अपयोजन: उप मुख्यमंत्री के निर्देश (मई 2021) पर, जीजीएसआईपीयू ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 5,000 स्वास्थ्य सहायकों को तैयार करने के लिए दो सप्ताह का नया प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया (जून 2021) और डीएचईएटी को प्रेषण के लिए जीजीएसआईपीयू के पास पड़े ₹ 5 करोड़ के उपयोग का प्रस्ताव रखा। इसे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री द्वारा मंज़ूरी दी गई थी। अक्टूबर 2023 तक, जीजीएसआईपीयू ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए ₹ 2.44 करोड़ का भुगतान किया था, जिससे जीजीएसआईपीयू के पास ₹ 2.56 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। उपर्युक्त पाठ्यक्रम के संचालन के लिए समाज के कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग अनियमित था। अपने उत्तर में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने ₹ 2.44 करोड़ का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया और मार्च 2024 में ₹ 2.56 करोड़ अव्ययित शेष वापस कर दिया। तथापि, यद्यपि कोविड महामारी के दौरान सरकारी निर्देशों के अनुसार निधियां खर्च की गई थीं, परंतु उनका उपयोग योजना के अंतर्गत न आने वाली गतिविधियों के लिए किया गया था।

(च) खराब वित्तीय प्रबंधन: डीकेडीएफ ने उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण से संबंधित आठ परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 2020-22 के दौरान छह विश्वविद्यालयों को ₹ 43.76 करोड़ का अनुदान जारी किया। तथापि, यह पाया गया कि विश्वविद्यालयों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न तो परियोजनाओं की प्रगति और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। उन्हें सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 230 (8) के उल्लंघन में, प्राप्त अनुदान राशि पर अर्जित ₹ 2.03 करोड़ का ब्याज रखने की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, तीन विश्वविद्यालयों अर्थात दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय और इंद्रप्रस्थ प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने ₹ 1.85 करोड़ की ब्याज राशि जमा की।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीकेडीएफ ने जारी की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज सहित, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। तथापि, डीकेडीएफ द्वारा शेष तीन विश्वविद्यालयों से धनराशि के उपयोग की अद्यतन स्थिति सहित जारी की गई धनराशि पर ब्याज की वसूली अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई थी।

2.2 विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक मुद्दे

2.2.1 शैक्षणिक और अवसंरचना के विकास की योजना में कमियां

सरकारी स्तर के अतिरिक्त, चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा भी उच्चतर शिक्षा की योजना बनाने में कमी पाई गई। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु अपने वित्तीय और मानव संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु प्रभावी योजना बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खंड 12.3 में पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा संचालन की गुणवत्ता तक की शैक्षणिक योजनाओं को व्यापक संस्थागत विकास योजना के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। लेखापरीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों की ओर से शैक्षणिक और अवसंरचना के विकास के लिए योजना का पूर्ण अभाव पाया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

क) **जीजीएसआईपीयू** में, विश्वविद्यालय का **योजना बोर्ड** प्रधान योजना निकाय है जो उपयुक्त योजनाओं को डिज़ाइन और तैयार करने, शैक्षणिक प्रगति, अवसंरचना विकास आदि की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है। तथापि, योजना बोर्ड लगभग निष्क्रिय था क्योंकि प्रत्येक वर्ष में निर्धारित दो बैठकों के प्रति बोर्ड की अंतिम तीन बैठकें अक्टूबर 2012, जून 2022 और नवंबर 2022 में आयोजित हुई थीं। इसके अतिरिक्त, एक विज़न दस्तावेज़ - विज़न 2030, जिसे 2019 में तैयार किया गया और जुलाई 2020 में अनुमोदित किया गया, समयबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाले विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की पहचान किए बिना कई व्यक्तिगत प्रस्तावों का एक संग्रह मात्र प्रतीत हुआ। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए अल्पकालिक (तीन वर्ष) और दीर्घकालिक (पांच वर्ष) कार्यनीतिक योजनाएं तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था

(जुलाई 2022), उक्त समिति द्वारा की गई प्रगति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। 2022 में तैयार किया गया एक अन्य विज़न दस्तावेज़, विज़न-2047, योजना बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा में था। जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि एनईपी 2020 के अनुसार कार्यनीतिक योजना (तृतीय योजना दस्तावेज़) तैयार करने हेतु गठित समिति ने उक्त दस्तावेज़ को अंतिम रूप दे दिया है और इसे शीघ्र ही अनुमोदन के लिए योजना बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

ख) **डीटीयू** (2009 में स्थापित) में, योजना बोर्ड का गठन केवल मार्च 2018 में हुआ था, जिसकी पहली बैठक (अप्रैल 2019) आयोजित करने में एक वर्ष और लग गया। इसके बाद भी, नवंबर 2023 तक केवल तीन और बैठकें हुईं। यद्यपि डीटीयू ने 2019 में कार्यनीतिक योजना 2019-30 नामक अपना पहला विज़न दस्तावेज़ तैयार किया था, इसमें 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले केवल दीर्घकालिक लक्ष्य ही शामिल थे और कार्यनीतिक योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित कोई मध्यम अवधि या वार्षिक योजनाएं नहीं थीं। डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि उसने 2019 तक एकत्रित आंकड़ों के आधार पर 2019 में अपना पहला विज़न दस्तावेज़ तैयार कर लिया था और विज़न 2047 का एक संक्षिप्त संस्करण योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था (अक्टूबर 2022)। 2047 के लिए विस्तृत विज़न दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है।

ग) अगस्त 2015[5] से कार्यरत **डीपीएसआरयू** ने विज़न दस्तावेज़ 2030 प्रस्तुत किया, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि इसे कब तैयार किया गया था और क्या उक्त दस्तावेज़ को उपयुक्त निकाय/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसने किसी भी वार्षिक योजना से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए, जिसके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति को विज़न दस्तावेज़ 2030 के अल्पकालिक लक्ष्यों (पांच वर्षों के लिए) के अंतर्गत उल्लिखित मदों से सहसंबंधित नहीं किया जा सकता था।

यह भी पाया गया कि डीपीएसआरयू ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) को सूचित किया था (जनवरी 2023) कि उसने विज़न दस्तावेज़ 2030 में निर्धारित लक्ष्यों को 2022 तक प्राप्त कर लिया था। तथापि,

---

[5] इससे पहले यह दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर) के रूप में कार्य कर रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उसने 2020 के लिए निर्धारित लक्ष्य, अर्थात् स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ हॉस्पिटल एंड फार्माकोविजिलेंस; और स्कूल ऑफ इंटरएक्टिव मेडिसिन को 2023 तक कार्यात्मक बनाने के, भी प्राप्त नहीं किए हैं।

संस्थागत लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हेतु एक विशिष्ट, कार्य-उन्मुख मध्यम या दीर्घकालिक योजना का अस्तित्व भी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के गुणवत्ता संकेतक ढांचे में एक प्रमुख संकेतक था। इसलिए, ऐसी उपयुक्त योजनाओं के अभाव का प्रत्यायन के दौरान विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था।

इन तीन विश्वविद्यालयों (जीजीएसआईपीयू, डीटीयू, डीपीएसआरयू) ने अपने-अपने विज़न दस्तावेज़ों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावी गतिविधियों के लिए कोई दीर्घकालिक/वार्षिक योजना या व्यवहार्य रूपरेखा तैयार नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में, सचिव (एचईडी/टीटीईडी) ने तीनों विश्वविद्यालयों के विजन दस्तावेज़ में उल्लिखित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य रूपरेखा और आवधिक समीक्षा तंत्र के अभाव के तथ्य को स्वीकार किया और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज़न के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।

सिफारिश 2: विश्वविद्यालयों को अपने विज़न दस्तावेज़ों में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और वार्षिक योजनाएं तैयार करनी चाहिए और प्राप्ति के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

2.2.2 छात्रों का प्रवेश

जीजीएसआईपीयू/इसके संबद्ध कॉलेजों और डीटीयू में अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स/राष्ट्रीय वास्तुकला योग्यता परीक्षा (एनएटीए)/राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)/सामान्य प्रवेश परीक्षा

(सीएटी)/सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) आदि के आधार पर या जीजीएसआईपीयू द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षाओं (सीईटी) के माध्यम से या संबंधित कार्यक्रमों में प्राप्त उपाधियों की योग्यता के आधार पर दिया जाता है। डीपीएसआरयू में प्रवेश बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में निष्पादन के आधार पर दिया जाता है।

विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.2.1 स्वीकृत प्रवेश के प्रति प्रवेश में कमी

लेखापरीक्षा में विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित तीनों विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का कम उपयोग पाया गया।

(i) **जीजीएसआईपीयू** में, समीक्षाधीन वर्षों के दौरान उपलब्ध सीटों का कम उपयोग 14 से 32 *प्रतिशत* तक रहा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विशेष रूप से 10 कार्यक्रमों में रिक्त सीटें महत्वपूर्ण थीं **(अनुलग्नक 2.3)** और 100 *प्रतिशत* तक थीं। जीजीएसआईपीयू से संबद्ध संस्थानों में जीजीएसआईपीयू के अंतर्गत आने वाले कुल छात्रों का लगभग 93 *प्रतिशत* हिस्सा है और इन संस्थानों में 2018-23 के दौरान रिक्त सीटों की प्रतिशतता 16 से 36 *प्रतिशत* के बीच रही। यह भी पाया गया कि दो संस्थानों ने विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता त्याग दी (जनवरी 2023) और दूसरे विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प चुना, क्योंकि उनके द्वारा संचालित बी.टेक और बी.आर्क कार्यक्रमों में छात्रों की संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही थी। कार्यक्रमों के प्रति छात्रों की खराब प्रतिक्रिया के कारण दो संस्थानों ने एक ने 2020-21 से और दूसरे ने 2023-24 से संबद्धता जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया।

जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि अन्य प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयों की मौजूदगी के कारण उम्मीदवारों के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होने से, विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2018-23 के दौरान सभी सीटें भरने में असमर्थ था। आगे कहा गया कि विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि सभी सीटें भरी जाएं।

रिक्त सीटों के लिए प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यापक विकल्प को ज़िम्मेदार ठहराना इस तथ्य को संबोधित नहीं करता है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद रोज़गार/नौकरी के अवसरों के आधार पर पाठ्यक्रम चुनते हैं और यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्यचर्या है जो बेहतर उद्योग-उन्मुख शिक्षा प्रदान करती है, तो अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं होगी।

(ii) **डीटीयू** में, 2018-23 के दौरान स्नातक-पूर्व (यूजी) कार्यक्रमों में रिक्त सीटें आठ से 10 *प्रतिशत* तक थीं और स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में 17 से 32 *प्रतिशत* तक थी।

अपने उत्तर में, डीटीयू ने कहा कि 2018-23 के दौरान पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश में गिरावट कोविड महामारी और इस तथ्य के कारण थी कि डीटीयू में पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से किए जाते हैं। डीटीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गैर-जीएटीई उम्मीदवारों को एम.टेक में प्रवेश दिए हैं, और इसके परिणामस्वरूप प्रवेश में सुधार होना चाहिए।

(iii) **डीपीएसआरयू** में, 2018-23 के दौरान रिक्त सीटों की कुल प्रतिशतता 11 से 24 *प्रतिशत* के बीच रही, जब कि विश्वविद्यालय के नौ कार्यक्रमों[6] में रिक्तियों की प्रतिशतता 42 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच रही। यह भी पाया गया कि डीपीएसआरयू में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश एनटीए या विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं आयोजित प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित नहीं थे।

अपने उत्तर में, डीपीएसआरयू ने कहा कि कुछ आरक्षित (एससी/एसटी) सीटें खाली रह गईं और नीति के अनुसार सामान्य सीटों से नहीं भरी जा सकीं, और कुछ छात्रों ने अपना प्रवेश वापस ले लिया क्योंकि वे केवल बी.फार्मा कार्यक्रमों में प्रवेश चाहते थे। आगे कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रवेश मानदंड को प्रवेश परीक्षा-आधारित कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय/संस्थान और उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की लोकप्रियता या कमियों को दर्शाने के अतिरिक्त, रिक्त सीटों का विश्वविद्यालयों और संबद्ध

---

[6] 1. बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, 2. एमएससी स्पोर्ट्स साइंस, 3. एमएससी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट), 4. मास्टर इन फिजियोथेरेपी, 5. एम फार्मा इन ड्रग रेगुलेटरी साइंस, 6. बीबीए (चाइल्ड एंड हेल्थकेयर), 7. बी फार्मा आयुर्वेद, 8. मेडिसिन मैनेजमेंट और 9. ब्यूटी वेलनेस एंड कंसल्टेंट्स।

कॉलेजों के राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रों की ओर से कम प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं देखा।

निर्गम सम्मेलन में, कुलपति (जीजीएसआईपीयू) ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के छात्रों के लिए 85 *प्रतिशत* सीटें आरक्षित होने के कारण विश्वविद्यालयों की सीमाबद्धता पर प्रकाश डाला, जिससे सीटों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तीनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि रिक्त सीटों को भरने के लिए वे प्रयास करेंगे।

2.2.2.2 छात्र प्रवेश से संबंधित उचित अभिलेखों का अभाव

दिल्ली के चयनित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के प्रवेश क्षेत्र का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा ने छात्रों के निवास स्थान, श्रेणी आदि का निर्धारण करने हेतु प्रवेश अभिलेखों की माँग की थी। **जीजीएसआईपीयू** ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिल्ली और दिल्ली क्षेत्र के बाहर के छात्रों के प्रवेश; अनारक्षित और भरी गई रिक्त आरक्षित सीटों; विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल (यूएसएस) में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आरक्षित और भरी गई सीटों; और स्पॉट[7] काउंसलिंग के माध्यम से भरी गई रिक्त सीटों के विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। विवरण/अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा प्रवेश प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यविधि(यों) की प्रामाणिकता और निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के बारे में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि विश्वविद्यालय की पूरी प्रवेश परामर्श प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को बहिःस्रोतित की गई है और एनआईसी केवल विश्वविद्यालय को कुल प्रवेशित छात्रों का डाटा प्रदान करता है, जिसमें छात्रों का क्षेत्र-वार (दिल्ली और दिल्ली

[7] प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद, केवल रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से, ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग आयोजित की जाती है। सभी श्रेणियों के संपरिवर्तन ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतिम चरण में पूरे हो जाते हैं और स्पॉट काउंसलिंग भरी जाने वाली में सभी सीटों को अनारक्षित माना जाता है। विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग/प्रवेश के बाद बची हुई रिक्त सीटों को ही स्पॉट काउंसलिंग में भरने के लिए विचार किया जाता है।

क्षेत्र के बाहर) विवरण, सीटों के अनारक्षण और उनके आबंटन के संबंध में डाटा और ईडब्ल्यूएस सीटों का विवरण शामिल नहीं है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईसी केवल विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रक्रियाओं में सहायता कर रहा है और विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सभी डाटा प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। प्रवेश में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रवेश संबंधी अपनी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया का संपूर्ण डाटा बनाए रखना विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारी है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश नीति का निष्पक्ष विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय को संपूर्ण डाटा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठाया है।

2.3 विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मुद्दे

2.3.1 पुराने पाठ्यक्रम

यूजीसी ने सिफारिश की (जनवरी 2017) कि विश्वविद्यालयों के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रमों की प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए और इसमें परिशोधन किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को रोज़गार योग्य बनाने के लिए कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **जीजीएसआईपीयू** के विश्वविद्यालय स्कूलों में 62 कार्यक्रमों में से, छह पाठ्यचर्याओं के पाठ्यक्रम पिछले तीन से पांच वर्षों में और तीन पाठ्यचर्याओं के पाठ्यक्रम पिछले पांच से 11 वर्षों में परिशोधित नहीं किए गए **(अनुलग्नक 2.4)**। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुल 109 कार्यक्रमों में से 51 (अर्थात पाठ्यक्रमों का 47 *प्रतिशत*) के पाठ्यक्रम जीजीएसआईपीयू के अध्ययन स्कूलों के बोर्ड द्वारा परिशोधित नहीं किए गए (पिछले पांच से 16 वर्षों के दौरान 44 और पिछले तीन से पांच वर्षों के दौरान सात) **(अनुलग्नक 2.5)**।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है और सभी स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए योजनाओं और पाठ्यक्रमों को परिशोधित कर दिया है।

विश्वविद्यालय स्कूलों और संबद्ध कॉलेजों के तथ्यों **(अनुलग्नक 2.6** और **2.7)** से उत्तर की पुष्टि नहीं होती है, जहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में परिशोधन तीन से 16 वर्षों तक लंबित थे।

इसी प्रकार, **डीटीयू** में कुल 35 स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में से 18 कार्यक्रमों (51 *प्रतिशत)* के पाठ्यक्रम तीन वर्षों से अधिक समय से परिशोधित नहीं किए गए थे। डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि वह एआईसीटीई की सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर विभिन्न पीजी कार्यक्रमों के लिए योजना और पाठ्यचर्या की समीक्षा और अद्यतन करता है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने वर्ष 2019 में पीजी कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम में परिशोधन किया।

डीपीएसआरयू में, विश्वविद्यालय स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 38 यूजी, पीजी, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों (कुल का 34 *प्रतिशत*) में से 13 के पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा परिशोधित नहीं किया गया (उनमें से 12 को पांच वर्षों से अधिक समय तक परिशोधित नहीं किया गया)।

डीपीएसआरयू ने अपने उत्तर में कहा कि उसके द्वारा संचालित कई पाठ्यक्रम राष्ट्रीय नियामक परिषद (एनआरसी) द्वारा विनियमित हैं और पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। तथापि, उसने एनआरसी द्वारा विनियमित कार्यक्रमों की सूची प्रदान नहीं की और न ही यह स्पष्ट किया कि शेष कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में परिशोधन किया गया था या नहीं। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह विश्वविद्यालय द्वारा उद्योग की माँग के अनुसार पाठ्यक्रम को समयबद्ध तरीके से अद्यतन करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

इस प्रकार, विश्वविद्यालयों और संबद्ध स्कूलों/कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के परिशोधन में विलंब हुआ, जिससे पाठ्यक्रम सामग्री की प्रासंगिकता प्रभावित हुई। कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में परिशोधन न होने/विलंबित होने से प्रदान की जाने वाली शिक्षा पुरानी और उद्योगों व समाज की वर्तमान माँगों की दृष्टि से अप्रासंगिक हो जाती है, जिससे उत्तीर्ण छात्रों के स्थानन पर प्रभाव पड़ता है।

2.3.2 परीक्षाएं

विश्वविद्यालयों के परीक्षा स्कंध परीक्षाओं का आयोजन, परिणामों का प्रकाशन करने और सफल छात्रों को उपाधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। परीक्षा नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, उन सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं जिन्हें शैक्षणिक परिषद द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए अनुमोदित और अधिसूचित किया गया है, और जो शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता का एक संकेतक है।

2018-23 के दौरान, **जीजीएसआईपीयू** के विश्वविद्यालय स्कूलों में अंतिम वर्ष के छात्रों की कुल सफलता प्रतिशतता 91 *प्रतिशत* थी (2022-23 में 83 *प्रतिशत* से लेकर 2019-20 में 97 *प्रतिशत* तक); तथापि, विश्वविद्यालय स्कूलों के 42 कार्यक्रमों के मामले में, 2018-23 के दौरान सफलता प्रतिशतता 80 या उससे कम थी, जिससे विश्वविद्यालय का समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुआ। संबद्ध कॉलेजों में, 2018-23 के दौरान 135 कार्यक्रमों के लिए कुल सफलता प्रतिशतता 96 *प्रतिशत* थी (2022-23 में 88 *प्रतिशत* से लेकर 2019-20 में 98 *प्रतिशत* तक) जब कि 45 कार्यक्रमों में यह 80 या उससे कम थी। **डीटीयू** में, समीक्षाधीन वर्षों के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों की प्रतिशतता 87 से 92 *प्रतिशत* के बीच रही। **डीपीएसआरयू** में मास्टर/डॉक्टरेट कार्यक्रमों में सफलता प्रतिशतता 100 थी और अधिकांश अन्य कार्यक्रमों में भी यह 90 से ऊपर रही।

परीक्षाओं और संबंधित गतिविधियों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

2.3.2.1 परिणामों की घोषणा में विलंब

यूजीसी द्वारा जारी छात्र अधिकार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, "छात्रों को प्रॉस्पेक्टस में शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट समय पर परीक्षा के आयोजन और परिणामों की घोषणा का अधिकार प्राप्त है।" परिणामों की घोषणा में विलंब से छात्रों और संकाय दोनों के लिए शैक्षणिक योजना में बाधा आती है, जिससे

पाठ्यक्रम, अधिन्यास और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन चुनौतीपूर्ण हो जाता है और आगे की पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जीजीएसआईपीयू के पास परिणामों की घोषणा के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था। उत्तर में, यह कहा गया (नवंबर 2023) कि परिणाम अंतिम परीक्षा आयोजित होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर घोषित कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-22 (जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी) के दौरान, जीजीएसआईपीयू ने 368 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जिनमें से 199 परीक्षाओं के परिणाम, यानी 54 प्रतिशत के परिणाम, विलंब से घोषित किए गए। 2019-20 में तीन मामलों में, विलंब आठ महीने तक का था।

डीटीयू के विभिन्न विनियमों/एसओपी/शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, अंतिम परीक्षा आयोजित होने की तिथि से परिणाम घोषित करने के लिए लगभग 30 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान 183 में से 22 परिणाम अंतिम परीक्षा के आयोजन की तिथि से 45 दिन से अधिक, 110 दिन तक के विलंब से घोषित किए गए।

डीपीएसआरयू में, परिणामों की घोषणा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 2018-19 और 2019-20 के दौरान परिणामों की घोषणा में लगने वाले दिनों की संख्या 200 दिनों से भी अधिक थी। यद्यपि, 2022-23 में यह उल्लेखनीय रूप से घटकर 34 दिन रह गई। डीपीएसआरयू ने कहा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में एक विशिष्ट समय-सीमा शामिल की जाएगी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के मामले में पिछले वर्षों में परीक्षा परिणाम घोषित करने में कुछ विलंब हुआ था और शैक्षणिक सत्र 2023-24 के परिणाम 45 दिनों की निर्धारित समयावधि के अंदर घोषित किए गए। डीटीयू के मामले में, परिणाम घोषित करने में विलंब का कारण विश्वविद्यालय की आईटी प्रणाली से भारत सरकार के '**समर्थ**' पोर्टल पर प्रक्रिया का स्थानांतरण था।

2.3.2.2 छात्रों को उपाधि जारी करने में विलंब

यूजीसी के उपाधि और अन्य पंचाट प्रदान करने संबंधी विनियम, 2008 में प्रावधान है कि उपाधि प्रदान करने की तिथि(यां) परिणाम घोषित होने की तिथि(यों) से 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए। सफल छात्रों को उपाधियां प्रदान करना शैक्षिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और उपाधियां प्रदान करने में होने वाला विलंब उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा तथा छात्रों के रोज़गार/उच्चतर शिक्षा के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **जीजीएसआईपीयू** द्वारा 100 कार्यक्रमों (कुल 163 कार्यक्रमों का 61 *प्रतिशत*) के संबंध में उपाधियां जारी करने में आठ दिन से लेकर सात महीने तक और 104 कार्यक्रमों (कुल 163 कार्यक्रमों का 64 *प्रतिशत*) के संबंध में सात दिन से नौ महीने तक का विलंब हुआ, जिनके लिए क्रमशः मार्च 2022 और जून 2023 को दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए थे। **डीपीएसआरयू** में, परिणामों की घोषणा से 180 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक का विलंब हुआ। 2019-22 के दौरान छह कार्यक्रमों[8] की उपाधि जारी करने में 25 से 716 दिनों (लगभग 2 वर्ष) तक का विलंब हुआ।

अपने उत्तर में, विभाग ने जीजीएसआईपीयू के मामले में उपाधियां जारी करने में विलंब के लिए कोविड-19 के प्रकोप के बीच दीक्षांत समारोह आयोजित करने में विलंब को ज़िम्मेदार ठहराया (मार्च 2025) और सूचित किया कि विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया में है। उपाधियां जारी करने में विलंब के लिए कोविड-19 के प्रकोप को ज़िम्मेदार ठहराना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कोविड-19 के बाद की अवधि (अर्थात वर्ष 2022 और 2023) से संबंधित है। डीपीएसआरयू के मामले में, छात्रों को अंतिम उपाधियां दीक्षांत समारोह के दौरान दी जाती हैं और यदि कोई छात्र मांग करता है तो तुरंत एक अनंतिम उपाधि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बीपीटी (बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी) के

[8] 1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)-2019, 2. बीपीटी-2020, 3. बीपीटी-2021, 4. बीपीटी-2022, 5. डी.फार्मा-2018 और 6. डी.फार्मा-2019।

छात्र 8वें सत्र के बाद इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें अगले वर्ष उपाधि प्रदान की जाती है।

इस प्रकार, परीक्षा परिणामों की घोषणा के लिए समय-सीमा का उल्लंघन तथा सफल छात्रों को उपाधि जारी करने में विलंब के कारण, कैरियर बनाने वाले या उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले इन छात्रों को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा।

सिफारिश 3: विश्वविद्यालयों को नूतन विकास/उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों में नियमित परिशोधन करना चाहिए तथा समय पर परिणाम घोषित करना चाहिए/उपाधियां प्रदान करनी चाहिए।

2.4 अनुसंधान एवं विकास, पेटेंट, परामर्श और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इसमें यह पहचाना गया है कि अनुसंधान पर कम ज़ोर और विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान के लिए वित्तपोषण की कमी भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य समस्याएं थीं।

विश्वविद्यालयों में, अनुसंधान प्रयासों को उनकी योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने रा.रा.क्षे.दि.स. के चयनित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास परिवेश की समीक्षा की और उसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

2.4.1 अनुसंधान समितियों का कामकाज

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए "अनुसंधान और विकास सेल" की स्थापना के लिए मार्च 2022 के यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप, **जीजीएसआईपीयू** ने अपने अनुसंधान और परामर्श निदेशालय (डीआरसी) का नाम बदलकर "अनुसंधान और विकास सेल" (आरडीसी) कर दिया और मौजूदा

अनुसंधान प्रणाली को मज़बूत करने के लिए चार समितियों/परिषदों[9] का गठन किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों और संकायों में अनुसंधान गतिविधियों को सुगम बनाने और बढ़ाने के लिए गठित अनुसंधान परिषद ने कोई बैठक नहीं की, और उत्पाद विकास, निगरानी और व्यापारीकरण समितियों ने नवंबर 2022 में केवल एक बैठक की। चारों समितियों/परिषदों में से किसी ने भी कुलपति को कोई शोध कार्यकलाप प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने यूजीसी दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित संगत डाटाबेस और सूचनाओं के प्रलेखन के लिए अनुसंधान सूचना प्रबंधन प्रणाली (आरआईएमएस) का निर्माण अभी तक नहीं किया है।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि विभिन्न समितियों की रिपोर्टें दिसंबर 2023 में कुलपति को सौंप दी गई हैं और अब नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार एक 'अनुसंधान सूचना प्रबंधन प्रणाली (आरआईएमएस)' स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए खरीदी गई संपत्तियों और उपकरणों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बाद, विभिन्न समितियों की प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं।

डीटीयू और डीपीएसआरयू में अनुसंधान एवं विकास परिषदों का गठन नहीं किया गया।

2.4.2 विश्वविद्यालयों की शोध योजनाएं

संकाय शोध अनुदान योजना (एफआरजीएस) के अंतर्गत, **जीजीएसआईपीयू** विश्वविद्यालय के अध्ययन स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षकों को एकमुश्त बीज धन के रूप में और वार्षिक शोध अनुदान के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोध परिणामों को बढ़ाने हेतु शोध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान एफआरजीएस के

[9] 1. अनुसंधान परिषद, 2. अनुसंधान कार्यक्रम, संवर्धन और नीति विकास समिति, 3. सहयोग, परामर्श और सामुदायिक समिति, 4. उत्पाद विकास, निगरानी और व्यापारीकरण समिति

वार्षिक शोध अनुदान घटक के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने वाले संकाय सदस्यों में उल्लेखनीय कमी आई, जिसमें शोध परियोजनाओं में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों का प्रतिशत 2018-19 के 51 *प्रतिशत* से घटकर 2022-23 में 35 *प्रतिशत* हो गया। इसके अतिरिक्त, अनुदान जारी करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष की 1 अप्रैल की समय-सीमा के प्रति, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अनुदान 32 से 172 दिनों के विलंब से जारी किए गए।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू एफआरजीएस में संकाय सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ वार्षिक बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहा है। 2020-22 के दौरान एफआरजीएस अनुदान जारी करने में विलंब के लिए कोविड-19 को ज़िम्मेदार ठहराया गया, और अनुदानों के समय पर वितरण के लिए और अधिक प्रयास करने का आश्वासन दिया गया।

इसी प्रकार, **डीटीयू** मार्च 2019 में बनी नीति के अनुसार अपने स्थायी/नियमित संकाय को डॉक्टरेट की उपाधि के साथ शोध परियोजना अनुदान योजना के अंतर्गत एक शोध परियोजना में अन्वेषक के रूप में कार्य करने के लिए शोध परियोजना अनुदान प्रदान करता है। डीटीयू ने 16 शोध परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिसके लिए 2019-20 के दौरान कुल ₹ 65.46 लाख का अनुदान जारी किया गया। इनमें से आठ शोध परियोजनाएं 2022/2023 में पूरी हुईं, जब कि शेष परियोजनाओं में प्रगति सुनिश्चित नहीं थी। शैक्षणिक वर्ष 2020-23 के दौरान डीटीयू द्वारा कोई और शोध परियोजना स्वीकृत नहीं की गई और कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि डीटीयू के 94 *प्रतिशत* नियमित संकाय ने 2019-20 के दौरान शोध परियोजना अनुदान का लाभ नहीं उठाया। संकाय द्वारा शुरू की गई 16 शोध परियोजनाओं में, 47 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे, परंतु इन शोध प्रयासों के परिणामस्वरूप कोई बौद्धिक स्वत्व अधिकार या पेटेंट प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि विश्वविद्यालय की शोध नीति में परिकल्पित है।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2025) कि कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण 2020-23 की अवधि के दौरान डीटीयू द्वारा किसी भी शोध प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी गई और विश्वविद्यालय ने सितंबर 2024 में शोध परियोजना

अनुदान योजना को पुनः अभिकल्पित किया और नए प्रस्तावों के आमंत्रण और स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डीपीएसआरयू में, 13 संकाय सदस्यों को 2021-22 के दौरान ₹ 28.33 लाख का बीज धन प्रदान किया गया, जब कि 2020-21 और 2022-23 के दौरान निधियां उपलब्ध होने के बावजूद किसी को भी बीज धन प्रदान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि उसके संकाय ने 2018-23 के दौरान 612 शोध पत्र प्रकाशित किए थे।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2025) कि वह स्वीकार करता है कि डीपीएसआरयू को शोध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए संभावित आंतरिक वित्तपोषण स्रोतों की पहचान करने और सरकारी अनुदान और निजी प्रतिष्ठानों को खोजने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय संकाय द्वारा शोध-संबंधित गतिविधियों में उत्साह की कमी नवाचार और उद्योग उन्मुखीकरण के लिए अनुकूल वातावरण के अभाव का संकेत है और यह दिल्ली में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की समग्र रूप से कमज़ोर शैक्षणिक सुदृढ़ता को दर्शाता है।

2.4.3 शोध प्रकाशन - मात्रा और गुणवत्ता

एच-सूचकांक, या हिर्श सूचकांक, एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त माप-विद्या है जो किसी शैक्षणिक संस्थान के शोध परिणामों की उत्पादकता और प्रभाव दोनों को दर्शाता है। यह प्रकाशनों की संख्या और उनके संबंधित उद्धरणों की संख्या को ध्यान में रखता है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रभाव का एक मात्रात्मक माप प्राप्त होता है।

कैलेंडर वर्ष 2019-23 के दौरान वेब ऑफ साइंसेज़ द्वारा रिपोर्ट की गई जीजीएसआईपीयू के संकाय द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या, उद्धरणों की संख्या और विश्वविद्यालय के एच-सूचकांक का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: शोध पत्रों के प्रकाशनों, उद्धरणों की संख्या और एच-सूचकांक का विवरण

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
प्रति वर्ष प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	182	215	272	249	232
नियमित संकाय की संख्या	181	181	177	203	203
पीएचडी कर रहे छात्रों की संख्या	290	408	506	621	743
संकाय और शोध वृत्ति-छात्रों की कुल संख्या	471	589	683	824	946
प्रति संकाय और वृत्ति-छात्र द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	0.39	0.36	0.39	0.30	0.25
उद्धरणों की संख्या (प्रगतिशील)	29,225	32,692	35,974	37,589	37,961
विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक	74	76	79	80	80

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी

वर्ष 2019-23 के दौरान, जीजीएसआईपीयू का एच-सूचकांक मूल्य प्रायः स्थिर रहा, जो शोध परिणामों के समग्र प्रभाव और उद्धरण में सीमित सुधार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रति संकाय और वृत्ति-छात्र द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या में 2019 के 0.39 से 2023 में 0.25 तक की गिरावट देखी गई है। इसका मतलब है कि औसतन, प्रत्येक संकाय सदस्य और वृत्ति-छात्र 2019-23 की अवधि में कम शोध पत्र तैयार कर रहे थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू शोध कार्य और उनके प्रकाशन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने हेतु शोध प्रकाशन अनुदान योजना में परिशोधन जैसी पहल कर रहा है।

डीटीयू के मामले में, जब कि शोध पत्रों के प्रकाशन और उद्धरण की संख्या के संदर्भ में 2018-23 के दौरान प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक (जैसा कि वेब ऑफ साइंसेज द्वारा रिपोर्ट किया गया है) 97 से 102 के बीच प्रायः स्थिर रहा है, जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: शोध पत्रों के प्रकाशनों, उद्धरणों की संख्या और एच-सूचकांक का विवरण

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
प्रति वर्ष प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	321	442	694	756	852
नियमित संकाय की संख्या	258	266	301	301	288
पीएचडी कर रहे छात्रों की संख्या	924	1,065	1,185	1,307	1,368
संकाय और वृत्ति-छात्रों की कुल संख्या	1,182	1,331	1,486	1,608	1,656

वर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
प्रति संकाय और वृत्ति-छात्र द्वारा शोध पत्र प्रकाशन की संख्या	0.27	0.33	0.47	0.47	0.51
उद्धरणों की संख्या (प्रगतिशील)	71,502	83,160	92,758	97,227	98,826
विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक	97	100	102	102	102

स्रोत: वेब ऑफ साइंसेज़ से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

विभाग ने डीटीयू के मामले में कहा (मार्च 2025) कि वर्तमान शिक्षण-पद्धति में एच-सूचकांक को विशेष प्रासंगिकता और महत्व दिया जा रहा है और पुष्टि की कि लेखापरीक्षा के समापन के समय डीटीयू का एच-सूचकांक 102 था।

चार्ट 2.4: जीजीएसआईपीयू और डीटीयू के एच-सूचकांक

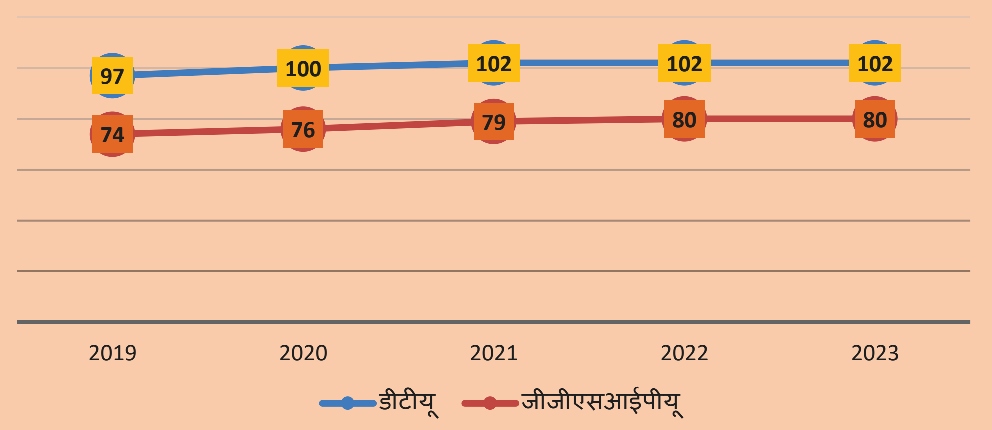

डीपीएसआरयू एच-सूचकांक डाटा का अनुरक्षण नहीं करता है। तथापि, उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उसने 2019-23 के दौरान स्कोपस सूचकांक जर्नल्स में कुल 571 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें कुल 1,481 उद्धरण हैं। विश्वविद्यालय द्वारा "स्कोपस जर्नल" से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में विश्वविद्यालय का एच-सूचकांक 38 है। तथापि, सत्यापन योग्य आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विविध विषयों को सम्मिलित करने वाले विश्वविद्यालयों के विपरीत, डीपीएसआरयू मुख्य रूप से औषधी विज्ञान पर केंद्रित है, जहाँ प्रकाशन और उद्धरण की गतिशीलता बहु-विषयक संस्थानों से भिन्न है। आगे कहा गया कि विभाग डीपीएसआरयू के शोध प्रकाशनों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में चिंता को स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जीजीएसआईपीयू का एच-सूचकांक 74 से 80, डीटीयू का 97 से 102 और डीपीएसआरयू का 38 था। दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालयों का यह प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय (2018-23 में 191 से 270) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (2022-23 में 168) से काफी नीचे था। तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल तीनों विश्वविद्यालय शिक्षण के व्यापक रूप से भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, फिर भी शोध मानकों पर उनके प्रदर्शन में सुधार की काफी गुंजाइश है।

2.4.4 प्रकाशित/प्रदान किए गए पेटेंटों का मुद्रीकरण

शोध कार्य और नवाचार, जो प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या से मापे जाते हैं, किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। पेटेंट विश्वविद्यालयों में शोध कार्य और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे शोध परिणामों का संरक्षण और मुद्रीकरण करते हैं। 2018-23 के दौरान तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या और मुद्रीकरण किए गए पेटेंटों की संख्या **तालिका 2.5** में दी गई है।

तालिका 2.5: 2018-23 में प्रदान किए गए पेटेंट

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या	मुद्रीकृत (₹ लाख में)
1	जीजीएसआईपीयू	37	शून्य
2	डीटीयू	09	शून्य
3	डीपीएसआरयू	शून्य	शून्य

2018-20 के दौरान जीजीएसआईपीयू को कोई पेटेंट नहीं मिला, परंतु उसके बाद के तीन वर्षों में 37 पेटेंट के लिए आवेदन किया गया/उन्हें प्रदान किया गया। इस संबंध में डीटीयू और डीपीएसआरयू का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। इनमें से कोई भी विश्वविद्यालय पेटेंट से आय अर्जित नहीं कर सका। यह भी उल्लेखनीय है कि डीटीयू को 2023 की एनआईआरएफ श्रेणीक्रम में मापदंड अनुसंधान एवं वृत्तिक पद्धति के अंतर्गत उप-मापदंड "बौद्धिक स्वत्व अधिकार" (आईपीआर) में शून्य अंक प्राप्त हुआ, जो दर्शाता है कि इस संबंध में उसके प्रयास अपर्याप्त थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के मामले में, 2022 में गठित बौद्धिक स्वत्व अधिकार (आईपीआर) सेल पूरी तरह सक्रिय हो गया है और प्रदान किए गए पेटेंटों के मुद्रीकरण के क्षेत्र में भी काम करेगा। डीटीयू के मामले में, यह बताया गया कि विश्वविद्यालय ने सितंबर 2024 में उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति तैयार कर ली है और पेटेंट दाखिल करने की सुविधा के लिए उपयुक्त अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जिससे आईपीआर और पेटेंट के क्षेत्रों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित होंगे।

डीपीएसआरयू ने कहा (अक्टूबर 2024) कि उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन किया है, परंतु पेटेंट प्राप्त करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और उन्हें अभी तक कोई पेटेंट नहीं मिला है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय प्रदान किए गए पेटेंट के मुद्रीकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा और इसका उपयोग छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय के लाभ के लिए करेगा।

2.4.5 परामर्श परियोजनाएं

वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि से परामर्श परियोजनाएं, जिनका समाधान निर्दिष्ट समय-सीमा में अपेक्षित होता है, किसी भी विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है और इसे एक प्रदर्शन सूचक के रूप में समर्थन और मान्यता दी जानी चाहिए।

वर्ष 2018-2023 की अवधि के दौरान चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा की गई परामर्श परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई परामर्श परियोजनाएं

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	परामर्श परियोजनाओं की संख्या	प्राप्त निधि (₹ लाख में)
1.	जीजीएसआईपीयू	2	2.70
2.	डीटीयू	149	1,979.00
3.	डीपीएसआरयू	4	18.70

इस प्रकार, केवल डीटीयू के पास ही परामर्श परियोजनाओं की कोई उल्लेखनीय संख्या थी, जो यह दर्शाता है कि जीजीएसआईपीयू और डीपीएसआरयू को इस पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

जीजीएसआईपीयू के मामले में विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के संस्थागत और व्यक्तिगत परामर्श दिशानिर्देशों को परिशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है और आने वाले वर्षों में परामर्श परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार लाने का लक्ष्य रखा है। डीपीएसआरयू के मामले में, यह बताया गया कि परामर्श परियोजनाओं की कम संख्या का कारण औषधी विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति है, जहाँ अनुसंधान और नवाचार प्रायः पारंपरिक परामर्श नमूनों के बजाय नियामक ढाँचों, नैदानिक अध्ययनों और अनुवादात्मक अनुसंधान के साथ अधिक संरेखित होते हैं। डीपीएसआरयू ने स्थिति में सुधार के लिए विश्वविद्यालय में एक परामर्श सेल के गठन का आश्वासन दिया।

निर्गम सम्मेलन में, शोध, परामर्श और पेटेंट के संदर्भ में, तीनों विश्वविद्यालयों ने सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया। तथापि, यह स्वीकार किया गया कि इन विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर तुलना संभव नहीं है क्योंकि डीटीयू और डीपीएसआरयू मुख्यतः तकनीकी संस्थान हैं, जब कि जीजीएसआईपीयू मुख्यतः सामान्य पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करता है।

सिफारिश 4: विश्वविद्यालयों को समाज और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श/शोध परियोजनाएं शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

2.4.6 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अप्रभावी सहयोग

छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों, संयुक्त संगोष्ठियों, सम्मेलनों और शोध प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से अंतर-संस्थागत सहयोग, शिक्षण पद्धति की गुणवत्ता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, साथ ही विचारों और प्रथाओं के विनिमय का अवसर भी प्रदान करता है जिससे भाग लेने वाले संस्थानों को लाभ होता है। 2018-23 के दौरान छात्र एवं संकाय विनिमय कार्यक्रमों के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों के साथ सहयोग और उनके कार्यान्वयन का विश्वविद्यालय-वार विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए सहयोग और उनका कार्यान्वयन

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	छात्र विनिमय कार्यक्रमों की संख्या	संकाय विनिमय कार्यक्रमों की संख्या
1.	जीजीएसआईपीयू	16	0	1
2.	डीटीयू	28	2	1
3.	डीपीएसआरयू	11	0	0

वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ, जीजीएसआईपीयू ने 2018-23 के दौरान विभिन्न विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ 16 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रमों को सुगम बनाने और संयुक्त संगोष्ठियों, सम्मेलनों और शोध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ फलदायी नहीं रहीं क्योंकि कोई भी छात्र विनिमय कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया गया और 2018-23 के दौरान संकाय विनिमय कार्यक्रम का केवल एक ही उदाहरण था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत और अधिक गतिविधियों को आयोजित करने के प्रयास कर रहा है और साथ ही दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ नए समझौता ज्ञापनों के अवसरों की खोज कर रहा है।

डीटीयू ने 2017 और 2023 के बीच विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ 28 सक्रिय समझौता ज्ञापन/शैक्षणिक सहयोग किए और पांच अन्य सहयोग प्रक्रियाधीन हैं। तथापि, छात्र विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत, केवल पांच छात्रों को नामांकित किया गया था और 2018-23 के दौरान संकाय विनिमय कार्यक्रम का केवल एक ही उदाहरण था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विदेशी सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को उनकी वैधता अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने मार्च 2024 में विदेशी सहयोग के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं और अब वह सहयोग के लिए बड़े पैमाने पर आउटरीच गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और छात्र विनिमय कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

डीपीएसआरयू ने 2017 और 2023 के बीच छात्रों के विनिमय, संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों, संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों आदि के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ 11 सक्रिय समझौता ज्ञापन/शैक्षणिक सहयोग किए। तथापि, इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने कोई छात्र/संकाय विनिमय नहीं किया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अप्रभावी सहयोग के बारे में चिंता को स्वीकार करता है और डीपीएसआरयू को छात्र विनिमय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.4.7 संकाय शोध अनुदान योजना और प्रायोजित शोध परियोजनाओं के लिए उपकरण की खरीद और इन्वेंट्री प्रबंधन

जीजीएसआईपीयू की प्रायोजित शोध परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय विनियम (अप्रैल 2016) के खंड 4 के अंतर्गत प्रदान की गई खरीद प्रक्रिया के अनुसार, शोध परियोजनाओं के लिए सभी खरीद सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुसार की जाएंगी। परियोजना के पूरा होने के बाद, परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण/पुस्तकें विश्वविद्यालय की संपत्ति बन जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में 18 मामले देखे गए जहाँ जीजीएसआईपीयू द्वारा ई-खरीद/जीईएम पोर्टल के बजाय खुले बाज़ार के माध्यम से सामान/उपकरण खरीदे जा रहे थे, जो जीएफआर 2017 के नियम 149 के प्रावधानों के विरुद्ध है। साथ ही, परियोजना के पूरा होने के बाद, संकाय शोध अनुदान योजना (एफआरजीएस) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण/पुस्तकों को विश्वविद्यालय स्कूल के स्टॉक रजिस्टर और विश्वविद्यालय के केंद्रीकृत स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को एफआरजीएस परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त उपकरणों की विशिष्टताओं को सत्यापित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं मिला।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय स्कूलों ने खरीदे गए उपकरणों का विवरण दर्ज करने के लिए स्टॉक रजिस्टर बनाए रखना शुरू कर दिया है और एफआरजीएस से खरीदी गई अचल संपत्तियों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीयू में 2018-23 के दौरान शोध अनुदान/प्रायोजित परियोजनाओं के कोष से खरीदे गए ₹ 5.89 करोड़ की लागत के उपकरण, मशीनरी और अन्य गैर-उपभोज्य वस्तुओं को विश्वविद्यालय के लेखाओं में उसकी परिसंपत्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू अपने लेखाओं में उक्त उपकरणों के को दर्ज किए जाने के संबंध में विसंगति का पता लगाएगा और उसका समाधान करेगा।

2.5 छात्रों का स्थानन और स्टार्ट-अप गतिविधियां

2.5.1 छात्रों का स्थानन

विश्वविद्यालय छात्र स्थानन सेल छात्रों और संभावित नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सफल नौकरी स्थानन और इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करना है।

(i) **जीजीएसआईपीयू** के स्थानन सेल द्वारा 2018-22 के लिए उपलब्ध कराए गए स्थानन आंकड़ों के अनुसार, 11 विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूलों (12 स्कूलों और 2 उत्कृष्टता[10] केंद्रों में से) में, 34 से 64 *प्रतिशत* छात्रों को उनके माध्यम से स्थानन प्राप्त हुए (अपनी उपाधि पूरी करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया)। यूएसएस में, जैव प्रौद्योगिकी, रासायनिक प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान तथा मौलिक एवं अनप्रयुक्त विज्ञान स्कूल छात्रों के स्थानन में पीछे रहे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि सभी विश्वविद्यालय स्कूलों के छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, तथापि, नौकरी देना भर्तीकर्ताओं का विवेकाधिकार है। इसके अतिरिक्त, एक पूर्व छात्र सेल को अपनी उपाधि पूरी करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का एक उचित डाटाबेस बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।

संबद्ध कॉलेजों के संबंध में, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 38 संबद्ध कॉलेजों के स्थानन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कई कॉलेजों

[10] दो स्कूलों ने केवल 2021 में काम करना शुरू किया है और अभी तक कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है।

ने असंगत स्थानन प्रदर्शन किया, जो उनकी स्थानन रणनीतियों या उनके स्नातकों की रोज़गार क्षमता में संभावित चुनौतियों का संकेत देता है। इनमें से पांच कॉलेजों में स्थानन प्रतिशत लगातार कम/शून्य रहा।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने संबद्ध कॉलेजों को उचित स्थानन सहायता अवसंरचना बनाने का निर्देश दिया है (दिसंबर 2024)।

(ii) **डीटीयू** में, 2018-23 के दौरान 53 *प्रतिशत* से 64 *प्रतिशत* छात्रों को विश्वविद्यालय के स्थानन सेल के माध्यम से स्थानन प्राप्त हुए, जब कि अंतिम वर्ष के कुल 37 *प्रतिशत* से 43 *प्रतिशत* छात्रों को न तो विश्वविद्यालय के स्थानन सेल के माध्यम से स्थानन मिला और न ही उन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार, रोज़गार या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों की प्रगति के संदर्भ में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

निर्गम सम्मेलन में, कुलसचिव (डीटीयू) ने कहा कि छात्रों की कुल संख्या के आधार पर स्थानन प्रतिशत की गणना करना आदर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि कई छात्र कैंपस स्थानन में भाग नहीं लेना चाहते और इसके स्थान पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए, स्थानन सेल के माध्यम से स्थानन का विकल्प चुनने वाले छात्रों की तुलना में स्थानन प्राप्त छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिशत निर्धारित करना अधिक व्यावहारिक तरीका होगा। तथापि, डीटीयू ने 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालय के कैंपस स्थानन अभियान में वास्तविक प्रतिभागियों के आधार पर परिशोधित आंकड़े प्रदान नहीं किए और इसलिए इस पर काम नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, स्थानन प्रतिशत की गणना करते समय उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के आंकड़ों पर पहले ही लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया जा चुका था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू को ऑफ-कैंपस स्थानन आंकड़े बनाए रखने, उद्योग सर्वेक्षण करने, बेहतर स्थानन के लिए उद्योग के साथ सहयोग करने और उद्योग की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

डीपीएसआरयू में, 2018-22 के दौरान स्थानन प्रभाग के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों का स्थानन पाठ्यक्रम के सफल समापन पर 78 से

86 *प्रतिशत* के बीच रहा, जब कि स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के संबंध में स्थानन पाने/उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 58 से 81 *प्रतिशत* के बीच रहा। वर्ष 2022-23 के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का आंकड़ा केवल आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त, छात्रों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य लाभदायक रोज़गार प्राप्त करना या बेहतर करियर के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना होता है। इन विश्वविद्यालयों के स्थानन सेल से छात्रों को इस उद्देश्य की प्राप्ति में मदद की अपेक्षा की जाती है। तथापि, अपूर्ण आंकड़ों के अलावा, इन विश्वविद्यालयों के स्थानन सेल का प्रदर्शन, जहाँ वे मौजूद हैं, उनकी स्थापना के पीछे के उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

अध्याय 3

विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया

अध्याय 3

विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया

- यूजीसी विनियम 2012 और एआईसीटीई विनियम 2014 विश्वविद्यालय और उसके तकनीकी कार्यक्रमों के लिए क्रमशः एनएएसी और एनबीए से अनिवार्य प्रत्यायन का प्रावधान करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू के तीन चयनित विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज काफी समय से अनिवार्य एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना कार्य कर रहे थे।
- संबद्ध कॉलेजों में आवश्यक भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मूल्यांकन समिति (जेएसी) के निरीक्षणों की मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त थी, क्योंकि चयनित संबद्ध कॉलेजों में जेएसी द्वारा अनुकूल ग्रेडिंग, जेएसी रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुपालन न करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के अभाव के मामले थे।
- लेखापरीक्षा ने वार्षिक संबद्धता प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अर्थात - आवेदक कॉलेजों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना, जेएसी का गठन और उसकी रिपोर्टिंग, सरकार द्वारा एनओसी प्रदान करना तथा जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्धता जारी करना आदि में विलंब देखा।
- सरकार द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन तथा प्रवेश विनियामक समिति और राज्य शुल्क विनियामक समिति के गठन में काफी विलंब हुआ।

3.1 विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम, 2012 प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान (एचईआई) के लिए दो बैचों के उत्तीर्ण होने या छह वर्ष के बाद, जो भी पहले हो, एक प्रत्यायन एजेंसी से अनिवार्य प्रत्यायन का प्रावधान है। यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय

मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) का प्रत्यायन अनिवार्य है। इसी प्रकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालय विभागों आदि में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अनिवार्य प्रत्यायन) विनियम, 2014 सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए दो बैचों के उत्तीर्ण होने या छह वर्ष के बाद, जो भी पहले हो, अपने सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को अपनी प्रत्यायन एजेंसी (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।

तीनों चयनित विश्वविद्यालयों ने अनिवार्य एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना महत्वपूर्ण अवधि तक कार्य किया। विवरण **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: प्रत्यायन रहित अवधि

विश्वविद्यालय का नाम	प्रत्यायन का प्रकार	कुल पाठ्यक्रम/बिना प्रत्यायन वाले पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रत्यायन रहित अवधि	टिप्पणी
जीजीएसआईपीयू	एनएएसी	प्रत्यायन विश्वविद्यालय के लिए है।	2018-23	विश्वविद्यालय ने एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।
	एनबीए	30/30	2018-23	विश्वविद्यालय ने एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।
डीटीयू	एनएएसी	प्रत्यायन विश्वविद्यालय के लिए है।	2015-19	विश्वविद्यालय ने एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।
	एनबीए	42/24	2018-23	छात्र-शिक्षक अनुपात एनबीए की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और पीजी कार्यक्रमों के लिए संबंधित यूजी कार्यक्रम एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है।
डीपीएसआरयू	एनएएसी	प्रत्यायन विश्वविद्यालय के लिए है।	2020-23	विश्वविद्यालय ने नवंबर 2022 में एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है।
	एनबीए	4/4	2020-23	विश्वविद्यालय ने एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जीजीएसआईपीयू से संबद्ध 88 संस्थानों में से 50 एनएएसी प्रत्यायन के बिना काम कर रहे थे और इनमें से 28 संबद्ध संस्थानों द्वारा संचालित 102 तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम एनबीए प्रत्यायन के बिना प्रस्तुत किए जा रहे थे।

इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कार्यक्रमों को प्रत्यायन न मिलने के कारण उन्हें प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में किसी तृतीय पक्ष द्वारा आश्वासन नहीं मिल पाता, जिससे छात्र इन विश्वविद्यालयों/कार्यक्रमों में दाखिला लेने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी विनियम 2012 और एआईसीटीई विनियम 2014, क्रमशः एनएएसी और एनबीए प्रत्यायन के बिना संस्थानों को सभी अनुदान और वित्तीय सहायता रोकने का प्रावधान करते हैं। साथ ही, एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन के बिना पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों को विभिन्न माध्यमों से सचेत करने का भी प्रावधान है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि एनएएसी से प्रत्यायन न मिलने से जीजीएसआईपीयू के कामकाज की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई है और एनबीए प्रत्यायन के संबंध में, तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाले पांच विश्वविद्यालय स्कूलों ने आगामी शैक्षणिक सत्र जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक आवश्यक मापदंडों का पालन करते हुए एनबीए प्रत्यायन के लिए आवेदन करने हेतु पहले ही कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों को एनएएसी और एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निर्देश जारी किया है।

डीटीयू ने 24 तकनीकी कार्यक्रमों के गैर-प्रत्यायन (एनबीए) के लिए कम छात्र-शिक्षक अनुपात, संबंधित यूजी कार्यक्रमों को पीजी कार्यक्रमों के मामले में प्रत्यायन नहीं मिलने और कार्यक्रमों में कम प्रवेश को ज़िम्मेदार ठहराया (मार्च 2024)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए डीटीयू द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति/भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

डीपीएसआरयू ने कहा (मई 2023) कि एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए नवंबर 2022 में विभाग/स्कूल-वार समितियाँ गठित की गईं, परंतु आगे कोई

प्रगति नहीं हुई। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह विश्वविद्यालय के प्रत्यायन को लेकर चिंता को स्वीकार करता है।

इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय एनएएसी/एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में अत्यंत लापरवाह थे, जिससे प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई तथा प्रत्यायन के अभाव में केंद्र सरकार के अनुदान के लिए अयोग्यता के कारण वित्तीय हानि भी हुई।

3.1.1 यूजीसी से धारा 12बी का दर्जा प्राप्त न होना

यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय को तब तक कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आयोग, निर्धारित विषयों पर स्वयं संतुष्ट होने के बाद, ऐसे विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न कर दे। इसके अतिरिक्त, यूजीसी विनियम 2012 में यह प्रावधान है कि यदि कोई विश्वविद्यालय एनएएसी द्वारा विधिवत प्रत्यायित नहीं है, तो उसे यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **डीपीएसआरयू** ने अगस्त 2015 में यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत प्रत्यायन के लिए कार्यवाही शुरू की और उसे केवल अगस्त 2023 में एनएएसी से प्रत्यायन प्राप्त हुआ। उसे अभी तक यूजीसी से धारा 12बी के तहत प्रत्यायन नहीं मिली थी, जिससे वह यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो गया।

विभाग ने कहा कि डीपीएसआरयू ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता के संबंध में यूजीसी की टिप्पणियों के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की (नवंबर 2023), और यूजीसी का अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था।

जीजीएसआईपीयू और **डीटीयू** को क्रमशः मार्च 2001 और दिसंबर 2012 में धारा 12बी के तहत प्रत्यायन दिया गया था।

सिफारिश 5: विश्वविद्यालयों को उनके अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों के लिए एनएएसी/एनबीए से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए, संबद्धता प्रदान करने की व्यवस्था को मज़बूत करना चाहिए तथा शुल्क की अधिसूचना के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

3.2 जीजीएसआईपीयू से संस्थानों की संबद्धता की प्रक्रिया

यूजीसी अधिनियम के अध्याय 3 खंड (12ए) (1) (ए) में कहा गया है कि 'संबद्धता' में किसी कॉलेज के संबंध में, ऐसे कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देना, ऐसे कॉलेज का विश्वविद्यालय के साथ जुड़ाव और ऐसे कॉलेज को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश देना शामिल है। विभिन्न आयोगों जैसे राधाकृष्णन आयोग (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग) (1948-49) और कोठारी आयोग (शिक्षा आयोग), 1964-66 ने संबद्धता प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में 15 वर्षों की अवधि में कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की गई है। एनईपी का लक्ष्य सभी कॉलेजों को स्वायत्त उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान बनाना है।

तथापि, रा.रा.क्षे.दि.स. ने अभी तक संबद्ध संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं की है क्योंकि उसका तर्क है कि जीजीएसआईपीयू अधिनियम की धारा 5 (14) जीजीएसआईपीयू को कॉलेजों और संस्थानों को स्वायत्त घोषित करने का अधिकार देती है।

इस लेखापरीक्षा के दौरान गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) द्वारा दी गई संबद्धता से संबंधित प्रक्रिया और मुद्दों की जांच की गई। यह रा.रा.क्षे.दि.स. का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित संस्थानों को संबद्धता प्रदान करता है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, संस्थानों को प्रत्येक कार्यक्रम/अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए अलग से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक है और संबद्धता की प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबद्धता चाहने वाले संस्थानों के पास संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे भूमि और भवन, पर्याप्त कक्षाएं और जनशक्ति, प्रयोगशालाएं/कार्यशालाएं, पुस्तकालय आदि उपलब्ध हैं। जीजीएसआईपीयू अधिनियम 1998 की धारा 4 के अनुसार, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित किसी भी संस्थान को संबद्धता प्रदान कर

सकता है जो जीजीएसआईपीयू के नियमों और अध्यादेशों का पालन करने के लिए सहमत है।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान, 25 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और 88 स्व-वित्तपोषित कॉलेज (19 दिल्ली राज्य की सीमा से बाहर स्थित) जीजीएसआईपीयू से संबद्ध थे। दिल्ली में स्थित 94 संबद्ध कॉलेजों में से, **अनुलग्नक 1.1** में वर्णित 14 कॉलेजों (दो सरकारी सहायता प्राप्त और 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेज) का आईडीईए सॉफ्टवेयर के साथ प्रतिस्थापन के बिना साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) पद्धति का उपयोग करके विस्तृत संवीक्षा के लिए नमूना लिया गया था।

3.2.1 संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना

आवेदक संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीएचई), रा.रा.क्षे.दि.स. के नीतिगत दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) और जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 (नवंबर 1999) द्वारा शासित होती है। जीजीएसआईपीयू द्वारा आवेदक कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के विभिन्न चरणों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

संबद्धता प्रक्रिया के संबंध में लेखापरीक्षा में देखे गए मुद्दों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2.2 संयुक्त मूल्यांकन समिति का कार्य और उनकी रिपोर्टों का अनुपालन

जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 और डीएचई/डीटीटीई द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देश और निजी तौर पर प्रबंधित स्व-वित्तपोषित संस्थानों से संबंधित मामले, उपलब्ध भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना को सत्यापित करने के लिए आवेदक कॉलेज/संस्थान के परिसर में भौतिक दौरे के बाद संयुक्त मूल्यांकन समिति[1] की रिपोर्ट सामने लाते हैं, जो सरकार द्वारा एनओसी प्रदान करने और उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता का आधार है।

डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. के नीतिगत दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएसी की निरीक्षण रिपोर्ट में श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' प्राप्त करने वाले संस्थान क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष के लिए एनओसी के पुनर्वैधीकरण के लिए पात्र थे। जेएसी के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, श्रेणी 'ए' प्राप्त करने के लिए, किसी संस्थान को जेएसी रिपोर्ट के भाग-II (शैक्षणिक मानक और अवसंरचना) और भाग-III (पिछली शैक्षणिक लेखापरीक्षा और जेएसी रिपोर्ट की अभ्युक्तियों का अनुपालन) में पृथक रूप से 75 *प्रतिशत* या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होते थे और श्रेणी 'बी' के लिए, 75 *प्रतिशत* से कम परंतु 65 *प्रतिशत*[2] से अधिक अंक प्राप्त करने होते थे।

जेएसी रिपोर्ट में श्रेणी 'सी' (50 *प्रतिशत* से अधिक अंक) प्राप्त करना एनओसी/संबद्धता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है।

---

[1] आवेदक स्व-वित्तपोषित संस्थानों के परिसर का भौतिक दौरा करने के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा सेवानिवृत्त आईएएस/दानिक्स की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें जीजीएसआईपीयू के विषय विशेषज्ञ और संयोजक शामिल होंगे।

[2] 50 *प्रतिशत* से अधिक और 65 *प्रतिशत* तक अंक प्राप्त होने पर श्रेणी 'सी' प्रदान की जाती है। 50 *प्रतिशत* से कम अंक प्राप्त होने पर श्रेणी 'डी' प्रदान की जाती है, जिसके तहत संबंधित आवेदक कॉलेज को प्रवेश निषेध श्रेणी में डाल दिया जाता है।

प्रत्यायन की वर्तमान प्रणाली की अपर्याप्तता, जेएसी की कार्यप्रणाली, उनकी रिपोर्टों की पर्याप्तता तथा आवेदक कॉलेजों द्वारा जेएसी की अभ्युक्तियों के अनुपालन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) जेएसी के मूल्यांकन में कमियां

लेखापरीक्षा ने नमूना-चयनित स्व-वित्तपोषित आवेदक/संबद्ध कॉलेजों में जेएसी द्वारा किए गए मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियां देखीं:

(क) शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए **पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जसोला** (बी.आर्क. 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) से संबंधित जेएसी रिपोर्ट से पता चला है कि मूल्यांकन करते समय प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं और छात्रों का शिकायत तंत्र की उपलब्धता (जो जेएसी रिपोर्ट के प्रारूप का हिस्सा हैं) जैसे मापदंडों को शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था, फिर भी संस्थान को 100 में से 50 अंक दिए गए। इसी प्रकार, संकाय संवर्ग अनुपात और छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए भी 100 में से 50 अंक दिए गए, जब कि कॉलेज में कोई संकाय नहीं था। इस प्रकार, जेएसी रिपोर्ट के भाग-II में पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को दिए गए अंकों का कुल योग 800 में से 536 (67 अंक) था, जब कि यदि सही अंक दिए गए होते, तो यह 1000 में से 386 (536 - 150) होना चाहिए था। परिणामस्वरूप, संस्थान को जेएसी मूल्यांकन के भाग-II में 38.60 के बजाय 67 अंक दिए गए, जिसने इसे श्रेणी 'डी' के बजाय श्रेणी 'बी' में रखा। श्रेणी 'डी' के अंतर्गत आने से आवेदक कॉलेज संबद्धता के लिए अयोग्य हो जाता, परंतु गलत ग्रेडिंग ने उक्त संस्थान को एनओसी और संबद्धता प्राप्त करने दिया।

(ख) इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए चार नए पाठ्यक्रमों के लिए **भारतीय विद्या भवन** (पहली बार आवेदक) से संबंधित जेएसी रिपोर्ट के मामले में, निदेशक की उपस्थिति, संकाय संवर्ग अनुपात और छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए शून्य अंक देने के बजाय, क्योंकि कोई निदेशक या संकाय नहीं था, इन मापदंडों को मूल्यांकन में बाहर रखा गया और स्कोरिंग 970[3] के बजाय 670 के अधिकतम अंकों के आधार पर की गई। 970 में से 647.50 अंकों के साथ,

[3] छात्रों के शिकायत निवारण से संबंधित अधिकतम 30 अंकों वाले मापदंड को बाहर रखा गया क्योंकि छात्रों का अभी नामांकन होना बाकी था।

संस्थान का भाग- II का अंक 66.75 (647.50/970) होना चाहिए था, जब कि जेएसी ने 96.64 (647.50/670) अंक दिए थे। परिणामस्वरूप, भारतीय विद्या भवन को जेएसी द्वारा गलती से श्रेणी 'बी' के बजाय श्रेणी 'ए' में रखा गया था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि चूँकि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पहली बार भारतीय विद्या भवन को संबद्धता प्रदान की गई थी और पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के मामले में, शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया था और कोविड-19 महामारी के बाद के प्रभावों को देखते हुए, जेएसी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इन दोनों संस्थानों को ग्रेड देते समय स्थिति का समग्र दृष्टिकोण लिया।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि यदि जेएसी द्वारा बताई गई कमियों को संस्थान द्वारा दूर नहीं किया जाता है, तो इससे संस्थान की ग्रेडिंग प्रभावित होगी, जो संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस तय करने का मानदंड है। इसके अतिरिक्त, जेएसी द्वारा पेरियार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और भारतीय विद्या भवन को दी गई गलत ग्रेडिंग के संबंध में स्पष्ट किया गया कि ऐसी ग्रेडिंग जेएसी द्वारा अनुशंसित संस्थान की सीट भर्ती को प्रभावित नहीं करती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों संस्थानों की ग्रेडिंग ने जेएसी तंत्र की निर्धारित प्रक्रिया/प्रारूप का उल्लंघन किया (रिपोर्ट जेएसी के दौरे के दिन अवसंरचना की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित नहीं थी), और उन्हें संबद्धता के योग्य बनाने के लिए अनुचित अंक दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रभावित संस्थानों के लिए स्वीकृत शुल्क संरचना पर प्रतिकूल ग्रेडिंग के प्रभाव के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) के खंड 1.1 (iii)(जे) में प्रावधान है कि आवेदक संस्थानों के **भवन दिव्यांग/अशक्त व्यक्तियों** के अनुकूल होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2022-23 के लिए जेएसी रिपोर्टों में आवेदक कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं/

अवसंरचना की उपलब्धता का उल्लेख केवल प्रतिशत उपलब्धता के संदर्भ में किया गया था, न कि उपलब्ध विशिष्ट सुविधाओं के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, जेएसी रिपोर्टों के अनुसार, 2018-23 के दौरान 12 में से 10 चयनित संबद्ध कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इससे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देशों के प्रावधानों के परिकल्पित उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिसका उद्देश्य पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप दिव्यांगजनों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करना था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि यदि जेएसी द्वारा बताई गई कमियों को संस्थान द्वारा दूर नहीं किया जाता है, तो इससे संस्थान की ग्रेडिंग प्रभावित होगी, जो संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस तय करने का मानदंड है। विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि उसने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जेएसी प्रोफार्मा में दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए अलग से अंक शामिल किए हैं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने सभी संबद्ध संस्थानों/कॉलेजों को दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित सुविधाएं/अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है और निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन (नोडल एजेंसी होने के नाते) के साथ भी मामला उठाया जाएगा।

(घ) यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों की संबद्धता) विनियम, 2009 और डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. के नीतिगत दिशानिर्देशों (मई 2011 और जनवरी 2016) के अनुसार, आवेदक संस्थानों के पास **कम से कम 1.5 एकड़ भूमि** का निर्विवाद स्वामित्व और कब्ज़ा होना चाहिए। साथ ही, जेएसी रिपोर्ट के प्रोफार्मा के भाग-I में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदक संस्थानों द्वारा भूमि के स्वामित्व का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संस्थानों में से छह, अर्थात लेखापरीक्षा नमूने के 50 *प्रतिशत* के पास न्यूनतम 1.5 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि नहीं थी **(अनुलग्नक 3.1)** जिससे वे संबद्धता प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गए। इसके अतिरिक्त, पांचवीं राज्य शुल्क नियामक समिति ने स्व-वित्तपोषित संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय

यह भी पाया (नवंबर 2021) कि 66 संस्थानों में से 42, अर्थात 64 *प्रतिशत*, निर्धारित 1.5 एकड़ से कम भूमि के साथ काम कर रहे थे **(अनुलग्नक 3.2)**।

विभाग ने जीजीएसआईपीयू के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि उल्लिखित 42 में से 38 संस्थान डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देश जारी होने से पहले (जनवरी 2016) विश्वविद्यालय से संबद्ध थे और जनवरी 2016 में भूमि की न्यूनतम आवश्यकता के लिए एक खंड जोड़ा गया था और इस प्रकार यह सत्र 2016-17 से लागू है।

विश्वविद्यालय का उत्तर गलत है क्योंकि भूमि की न्यूनतम आवश्यकता (यूजीसी विनियम 2009 के अनुसरण में) का खंड मई 2011 के नीतिगत दिशानिर्देशों में भी मौजूद था। इसके अतिरिक्त, चूँकि जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्धताएं समीक्षा अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती थीं, इसलिए 2016-17 से प्रदान की गई संबद्धताओं के लिए इस खंड का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

(ड.) जीजीएसआईपीयू के नियम 24 में यह प्रावधान है कि किसी भी कॉलेज या संस्थान को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास **निर्धारित योग्यताओं वाले शिक्षक और अन्य कर्मचारी** न हों, पात्रता मानदंड पूरे हों और जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक संख्या में उपलब्ध हों।

जीजीएसआईपीयू द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/सूचनाओं से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 88 में से 22 अर्थात 25 प्रतिशत संबद्ध स्व-वित्तपोषित संस्थान 13 कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संकाय के बिना चल रहे थे (मार्च 2023)। इन 13 कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी, शिक्षा (बी.एड.), प्रबंधन, विधि और सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम शामिल थे।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 12 स्व-वित्तपोषित कॉलेजों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कई संकाय सदस्यों के पास 2021-22 और 2022-23 के दौरान अपेक्षित योग्यता नहीं थी। 2021-22 में, दो कॉलेजों के 28 *प्रतिशत* एसोसिएट प्रोफेसरों के पास आवश्यक पीएचडी नहीं थी, जब कि 2022-23 में चार कॉलेजों के 19 *प्रतिशत* एसोसिएट प्रोफेसर

पीएचडी के बिना थे। इसी प्रकार, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान, चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों में से नौ में 35 *प्रतिशत* सहायक प्रोफेसरों के पास आवश्यक एनईटी योग्यता या पीएचडी नहीं थी, जब कि 2022-23 के दौरान आठ कॉलेजों में यह कमी 17 *प्रतिशत* थी।

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से कम योग्यता वाले प्राध्यापकों की नियुक्ति न केवल यूजीसी विनियमों का उल्लंघन थी, बल्कि इससे प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से भी समझौता हुआ।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि यद्यपि भविष्य में अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है, विश्वविद्यालय जेएसी रिपोर्टों और उनके अनुपालन की प्रक्रिया के माध्यम से संबद्ध कॉलेजों में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात और योग्य शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह उत्तर तथ्यों से पुष्ट नहीं होता क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों की जांच से पता चला है कि कई स्व-वित्तपोषित संस्थानों में आवश्यक योग्यता के बिना शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके अतिरिक्त, जेएसी प्रक्रिया में अक्षमताओं पर पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने सभी संबद्ध कॉलेजों को निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किया है।

(ii) जेएसी रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का गैर-अनुपालन और संबद्ध कॉलेजों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखी गई अन्य कमियां

दो चयनित सरकारी सहायता प्राप्त संबद्ध कॉलेजों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (दिसंबर 2023) के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई जेएसी रिपोर्टों के अनुपालन की स्थिति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: जेएसी रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों का गैर-अनुपालन और अन्य कमियां

क्रम सं.	संस्थान का नाम	जेएसी रिपोर्ट का वर्ष	जेएसी रिपोर्ट के अनुपालन की प्रतिशतता	संस्थान द्वारा हल न किए गए मुद्दे
1.	पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग[4]	2023-24	55	स्कूल ने (क) कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, अन्य प्रयोगशालाओं की अवसंरचना के उन्नयन और (ख) संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र, भूकंप प्रतिरोध प्रमाणपत्र और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसे अपेक्षित वैधानिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।
2.	डॉ. बीएसए मेडिकल कॉलेज[5]	2022-23	85	अशक्त व्यक्तियों को प्रथम तल तक पहुँचाने के लिए लिफ्ट/रैंप
		2023-24	75	कॉलेज का परिसर चार अस्थायी रूप से निर्मित ब्लॉकों में बनाया गया है और कॉलेज को एक स्थायी कॉलेज भवन की स्थापना सुनिश्चित करनी थी।

भौतिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अन्य कमियां इस प्रकार हैं:

पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग

1. स्कूल का भवन पुराना था, दीवारों में दरारें और सीलन थी। नौवीं (ऊपरी) और सातवीं मंज़िल पर स्थित छात्रावास के कमरे क्षतिग्रस्त स्थिति या उनमें बिजली न होने के कारण छात्रों को आबंटित नहीं किए गए थे।

टूटी और नम दीवारें

2. स्कूल ने मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के साथ मामला उठाया (अक्टूबर 2023), और बताया कि भवन की तीसरी से नौवीं मंज़िलों पर तत्काल निर्माण/मरम्मत की आवश्यकता है।

[4] स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पहली बार श्रेणी 'सी' के साथ संबद्धता दी गई। 2023-24 के लिए भी इसे श्रेणी 'सी' प्राप्त हुई।

[5] कॉलेज को 2018-24 की संपूर्ण अवधि के दौरान श्रेणी 'ए' प्राप्त हुई।

3. भवन की छत पर लगाए गए सौर पैनल कार्यात्मक नहीं थे।

डॉ. बीएसए मेडिकल कॉलेज

1. कॉलेज के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं था।

2. पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों और पुस्तकालय सहायकों के पद रिक्त पड़े थे।

3. सभी उपकरणों की ए.एम.सी. समाप्त पाई गई थी।

4. 89 स्वीकृत संकाय पदों में से 58 भरे गए (21 पद संविदात्मक आधार पर भरे गए) तथा 31 संकाय पद (35 *प्रतिशत*) रिक्त रह गए।

जेएसी रिपोर्टों की अनुवर्ती कार्रवाई में उपर्युक्त कमियों के कारण संबद्ध संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जेएसी द्वारा किए गए निरीक्षण अप्रभावी हो गए।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

3.3 प्रक्रिया में कमियां

संबद्धता प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया विलंब और अक्षमताओं से भरी हुई थी। विवरण नीचे दिया गया है।

3.3.1 एनओसी और अन्य संबद्ध मामलों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के परिशोधन में विलंब

निजी तौर पर प्रबंधित स्व-वित्तपोषित संस्थानों को एनओसी जारी करने और संबंधित मामलों के लिए, तीन वर्षों के लिए लागू, प्रथम नीतिगत दिशानिर्देश, डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मई 2007 में जारी किए गए थे। बाद में, इन नीतिगत दिशानिर्देशों को मई 2011 और जनवरी 2016 में परिशोधित किया गया (2018-19 तक प्रभावी)। ये दिशानिर्देश जीजीएसआईपीयू से संबद्धता के लिए आवेदक स्व-वित्तपोषित कॉलेजों को सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने/पुनर्वैधीकरण के मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

डीएचई ने जनवरी 2016 के नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन/संशोधन हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की (जून 2019), जिसने अक्टूबर 2019 में डीएचई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट तब से सरकार के विचाराधीन है और नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन पर निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा अभी (दिसंबर 2023 तक) लिया जाना बाकी था। परिणामस्वरूप, शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए लागू दिशानिर्देशों को अगले 4 वर्षों अर्थात शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक के लिए जबरन आगे बढ़ाया जा रहा था, जिससे छात्र पाठ्यक्रम परिशोधन, उन्नत अवसंरचना सुविधाओं आदि के लाभ से वंचित हो रहे थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि नीतिगत दिशानिर्देशों में परिशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा रही थीं।

3.3.2 संबद्धता बोर्ड का गठन और कार्यप्रणाली

जीजीएसआईपीयू अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान है कि एक संबद्धता बोर्ड (बीओए) का गठन किया जाएगा, जिसमें कुलपति और प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित अधिकतम सात सदस्य शामिल होंगे। यह बोर्ड कॉलेजों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बीओए का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और इसलिए इसे हर तीन वर्ष में पुनर्गठित और अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 और 2021-22 के दौरान प्रबंधन बोर्ड द्वारा सदस्यों के नामांकन के अनुमोदन के बाद बीओए की अधिसूचना में दो महीने से अधिक का विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बीओए की बैठकें वार्षिक शैक्षणिक सत्र शुरू होने की निर्धारित तिथि 1 अगस्त के बाद दो से सात महीने के विलंब से आयोजित की गईं। इससे समीक्षाधीन संपूर्ण अवधि के दौरान पूरी संबद्धता प्रक्रिया में चार से 10 महीने का विलंब हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

3.3.3 जेएसी रिपोर्ट के बिना गुरु तेग बहादुर चतुर्थ शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज को संबद्धता प्रदान की गई

गुरु तेग बहादुर चतुर्थ शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज ने मई 2022 में अपने बी.टेक (सीएसई) पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता हेतु आवेदन किया। तथापि, आवेदन की अंतिम तिथि (31 मार्च 2022) समाप्त होने के कारण, जीजीएसआईपीयू द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया (जून 2022)। इसके बाद संस्थान ने सचिव, डीटीटीई (12 जुलाई 2022) और उपमुख्यमंत्री (1 अगस्त 2022) से अनुरोध किया। परिणामस्वरूप, डीटीटीई ने 25 अगस्त 2022 को एक अनंतिम एनओसी जारी की, जो जेएसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसमें बताई गई कमियों के अनुपालन के अधीन थी। एनओसी जारी होने के बाद, जेएसी ने परिसर का दौरा किया (1 सितंबर 2022) और उसी दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीजीएसआईपीयू ने 13 दिसंबर 2022 को संस्थान को संबद्धता प्रदान की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीटीई द्वारा जेएसी की रिपोर्ट के बिना एनओसी, भले ही वह अनंतिम हो, जारी करने से संबद्धता प्रक्रिया बाधित हुई क्योंकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि संस्थान ने संबद्धता की किसी भी शर्त को पूरा किया था। यहाँ तक कि उस समय संस्थान द्वारा संबद्धता शुल्क भी जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जेएसी ने कुछ कमियों की ओर इशारा किया, जैसे कि संकाय की भर्ती न होना और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का अभाव, जिन्हें एनओसी की शर्तों के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक ठीक किया जाना था। तथापि, जीजीएसआईपीयू ने अनुपालन की माँग तभी की जब संस्थान ने 2023-24 सत्र की संबद्धता के लिए आवेदन किया।

विभाग ने जीजीएसआईपीयू के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि गुरु तेग बहादुर चतुर्थ शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज को संबद्धता सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद प्रदान की गई है। तथापि, उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.3.4 संबद्धता प्रक्रिया में विलंब

विश्वविद्यालय का अध्यादेश 1 कॉलेजों और संस्थानों की संबद्धता के प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी जनवरी 2016 के नीतिगत दिशानिर्देशों के खंड 18 के अनुसार, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने/पुनर्वैधीकरण और स्व-वित्तपोषित संस्थानों/ कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने की समय-सारणी **तालिका 3.3** में दी गई है।

तालिका 3.3: संबद्धता प्रक्रिया की समय-सीमा

क्रम सं.	नियत कार्य	समय-सीमा
1.	जीजीएसआईपीयू में संबद्धता के लिए आवेदन प्राप्त करना	पिछले शैक्षणिक वर्ष के दिसंबर तक
2.	संयुक्त मूल्यांकन समिति (जेएसी) के दौरों की शुरुआत	फरवरी से
3.	जीजीएसआईपीयू द्वारा जेएसी रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित करना	जीजीएसआईपीयू में जेएसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर
4.	सरकार द्वारा एनओसी जारी करना	जीजीएसआईपीयू से जेएसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर
5.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश को अंतिम रूप देना और जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्धता जारी करना	मई के अंत तक
6.	शैक्षणिक सत्र की शुरुआत	1 अगस्त

शैक्षणिक वर्ष 2020-22 (दो वर्ष) के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण, अनापत्ति प्रमाणपत्र/संबद्धता स्वतः ही बढ़ गई थी। शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2022-23 के लिए 12 चयनित स्व-वित्तपोषित कॉलेजों से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि-

- जीजीएसआईपीयू में संबद्धता के लिए आवेदन दो से चार महीने के विलंब से प्राप्त हुए।
- संयुक्त मूल्यांकन समिति ने दो से पांच महीने के विलंब से 11 चयनित कॉलेजों के परिसर का दौरा किया।
- शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2022-23 के लिए सभी 12 चयनित स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में डीएचई द्वारा एनओसी जारी करने/पुनर्वैधीकरण करने में 15 दिनों से लेकर चार महीने तक का विलंब हुआ।

- जीजीएसआईपीयू ने स्व-वित्तपोषित संस्थानों को संबद्धता 1 अगस्त की निर्धारित समय-सीमा से नौ महीने तक के विलंब से प्रदान की। इस प्रकार, इन संस्थानों ने उन वर्षों में बिना संबद्धता के ही शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया, जिससे प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए संबद्धता प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और डीएचई ने भी समय पर एनओसी जारी करने के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

3.3.5 लंबी अवधि के बजाय प्रति वर्ष एनओसी जारी करना/संबद्धता प्रदान करना

डीएचई के नीतिगत दिशानिर्देशों के खंड 3 और जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 के खंड 4 में उन स्व-वित्तपोषित संस्थानों को लंबी अवधि के लिए एनओसी जारी करने और नियमित संबद्धता प्रदान करने का प्रावधान है, जो मास्टर प्लान दिल्ली (एमपीडी) 2021 के अनुसार अनुरूप क्षेत्रों में स्थित थे। संबद्धता प्रदान करने में विलंब को देखते हुए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है जैसा कि ऊपर **पैरा 3.3.4** में चर्चा की गई है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल वार्षिक अनंतिम एनओसी और संबद्धता ही उन संस्थानों को दी जा रही थी जो अन्यथा विस्तारित एनओसी के लिए पात्र थे, जिससे इन संस्थानों को प्रत्येक वर्ष पूरी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि आवेदक संस्थानों को दीर्घकालिक एनओसी और स्थायी संबद्धता प्रदान करने का मामला विचाराधीन है।

इस प्रकार, जेएसी के कामकाज में अपर्याप्तता और प्रक्रियागत विलंबों से संकेत मिलता है कि सरकार/जीजीएसआईपीयू वर्तमान तंत्र के माध्यम से संबद्ध संस्थानों में पर्याप्त भौतिक या शैक्षणिक अवसंरचना को सुनिश्चित नहीं कर सका, न ही वह प्रक्रिया में तेज़ी ला सका।

3.4 जीजीएसआईपीयू द्वारा संबद्ध संस्थानों की निगरानी

यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि जिन सभी संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जाती है, उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 1 और संविधि 24 में इन संस्थानों की योजना और विकास, आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रवेश, शुल्क आदि को विनियमित करने की ज़िम्मेदारियां विश्वविद्यालय पर डाली गई हैं। लेखापरीक्षा ने इन क्षेत्रों में कमियों को देखा, जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

3.4.1 कॉलेज विकास परिषद का गठन नहीं किया गया

परिशोधित यूजीसी दिशानिर्देशों (अगस्त 1985) के अनुसार, विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों की उचित योजना और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा कॉलेजों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक उपयुक्त निकाय के रूप में कॉलेज विकास परिषद (सीडीसी) की स्थापना कर सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीजीएसआईपीयू ने कॉलेज विकास परिषद की स्थापना नहीं की थी, जिससे हितधारकों को संबद्ध कॉलेजों की योजना और पर्यवेक्षण के समन्वय हेतु एक मंच से वंचित होना पड़ा।

विभाग ने जीजीएसआईपीयू के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय अधिनियम में कॉलेज विकास परिषद की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु विश्वविद्यालय सीडीसी की तरह एक केंद्रीकृत समिति की स्थापना की संभावना की खोज करेगा।

3.4.2 संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में शुल्क संरचना का विनियमन

संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश और स्व-वित्तपोषित संस्थानों में शुल्क संरचना से संबंधित मामलों को सरकार द्वारा दिल्ली व्यावसायिक कॉलेज और संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषणकारी शुल्क का निर्धारण और गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय)

अधिनियम और नियमावली 2007 के अनुसार विनियमित किया जाता है। अधिनियम 2007 के कार्यान्वयन में देखी गई कमियां इस प्रकार हैं:

(i) प्रवेश नियामक समिति के गठन में विलंब

2007 के अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि सरकार संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ एक प्रवेश नियामक समिति (एआरसी) का गठन करेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एआरसी का गठन 2022-23 तक नहीं किया गया था। इसके बाद, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों (मार्च 2023) के अनुपालन में, इसे 16 वर्ष बीत जाने के बाद अप्रैल 2023 में गठित किया गया। इस प्रकार, प्रवेश की प्रक्रिया का विनियमन, इसकी शिकायतों को संबोधित करने का प्रबंधन 2007 से जीजीएसआईपीयू द्वारा किया जाना था। अपने गठन के बाद भी, एआरसी ने मुद्दों को स्वयं संबोधित करने के बजाय जीजीएसआईपीयू को प्रवेश संबंधी शिकायतों को संबंधित करने का काम सौंप दिया। अप्रैल 2023 से, एआरसी में 65 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 39 का जांच के बाद निपटारा कर दिया गया, तीन में कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी और 23 (35 *प्रतिशत*) अक्तूबर 2023 तक लंबित थीं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि एआरसी का गठन किया गया है और वह प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तर तथ्यात्मक नहीं है और एआरसी का कामकाज कभी-कभार होने वाली बैठकों तक ही सीमित रहा है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 या उसके बाद की प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई ठोस नीतिगत निर्णय या दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ii) राज्य शुल्क नियामक समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क दरों की अधिसूचना में विलंब

अधिनियम 2007 की धारा 6 के अनुसार, सरकार ने स्व-वित्तपोषित संबद्ध संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु एक राज्य शुल्क नियामक समिति (एसएफआरसी) का गठन किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2017-20 के लिए एसएफआरसी का गठन केवल जनवरी 2017

में किया गया था, परंतु उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में लगभग दो वर्ष (दिसंबर 2018) लग गए।

इसके बाद डीएचई ने परिशोधित शुल्क दरों को अधिसूचित करने में (अगस्त 2019) आठ महीने का समय लिया और इस प्रकार एसएफआरसी द्वारा 2017-20 के लिए अनुशंसित शुल्क दरों को शैक्षणिक वर्ष 2019-22 के लिए लागू करना पड़ा था और एसएफआरसी की पूर्व सिफारिशों के अनुसार 2014-17 के लिए लागू दरों को दो और वर्षों अर्थात 2017-19 के लिए बढ़ाना पड़ा था।

शुल्क दरों के परिशोधन में विलंब के कारण स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण लागू शुल्क के संबंध में मुकदमेबाज़ी शुरू हो गई तथा उपाधि प्रदान करने के बाद बढ़े हुए शुल्क का भुगतान न करने के डर से इन संस्थानों द्वारा उपाधि रोक ली गई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीएचई ने 2022-25 के लिए 5वें एसएफआरसी की शुल्क सिफारिश को अधिसूचित कर दिया है और 2025-28 के लिए 6वें एसएफआरसी का भी गठन किया गया है।

3.4.3 संबद्ध कॉलेजों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करना

विश्वविद्यालय के क़ानून 24 में प्रावधान है कि संबद्ध कॉलेज या संस्थान के शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिलब्धियां विश्वविद्यालय में संबंधित पदों के लिए निर्धारित परिलब्धियों के अनुसार होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीएचई ने जीजीएसआईपीयू और उससे संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतनमानों में परिशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग (एआईसीटीई और यूजीसी योजनाओं के अंतर्गत) की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया (अगस्त 2018)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 में से 9 चयनित स्व-वित्तपोषित संस्थान अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते दे रहे थे, जब कि एक संस्थान पांचवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान कर रहा था। एक संस्थान के संबंध में इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

केवल एक संस्थान सातवें वेतन आयोग (2021-22 से) के मानदंडों के अनुसार भुगतान कर रहा था।

विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों के दिन-प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु जेएसी रिपोर्टों और उनके अनुपालन के तंत्र के माध्यम से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिलब्धियों को सुनिश्चित करता है।

उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट नहीं है। जेएसी प्रक्रिया की अप्रभाविता से संबंधित मुद्दों पर पिछले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रकार, चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों में से 10 कॉलेज अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते नहीं दे रहे थे।

अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना सुविधाएं

अध्याय 4

वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना सुविधाएं

- जीजीएसआईपीयू अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संबद्धता गतिविधियों से प्राप्त आय पर निर्भर है, जो इसके कुल राजस्व का 53 से 57 *प्रतिशत* है, जब कि डीपीएसआरयू सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर निर्भर है (2018-23 के दौरान इसकी प्राप्तियों का 77 *प्रतिशत*)। डीटीयू अपने राजस्व व्यय को मुख्यतः अपने आंतरिक राजस्व से पूरा करता है।
- जीएसआईपीयू द्वारा सीपीएफ का निवेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुरूप नहीं था। 2018-23 के दौरान अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण उसे ₹ 2.11 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई।
- जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर (मार्च 2022 से अप्रैल 2023) और डीटीयू के रोहिणी परिसर (जनवरी 2022 से जुलाई 2023) ने कार्यात्मक वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) होने के बावजूद डीजेबी के जल बिलों पर उपलब्ध ₹ 4.66 करोड़ की छूट का लाभ नहीं उठाया।
- 2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू में 38.77 *प्रतिशत* और 44.84 *प्रतिशत*, डीटीयू में 55 *प्रतिशत* और 60 *प्रतिशत* तथा डीपीएसआरयू में 21.77 *प्रतिशत* और 54.43 *प्रतिशत* के बीच शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी थी।
- 2018-23 की अवधि के दौरान जीजीएसआईपीयू में गैर-शिक्षण कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी क्रमशः 38 से 50 और 39 से 65 *प्रतिशत* के बीच रही और डीटीयू में यह क्रमशः 62 से 67 *प्रतिशत* और 44 से 49 *प्रतिशत* के बीच रही। इसी प्रकार, डीपीएसआरयू में 2018-23 के दौरान गैर-शिक्षण पदों में रिक्तियां 34 *प्रतिशत* से 53 *प्रतिशत* और तकनीकी पदों में रिक्तियां 53 *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के बीच रही।

- **लेखापरीक्षा में भर्ती में विलंब, स्वीकृत पदों के बिना भर्ती और अपात्र व्यक्तियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने जैसी कमियां पाई गईं।**
- **तीनों विश्वविद्यालय कक्षाओं और बैठने की जगह की कमी से जूझ रहे थे। जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर में 4,017 छात्रों के लिए केवल 2,973 सीटों की क्षमता थी, डीटीयू के रोहिणी परिसर में 13,908 छात्रों के लिए 8,280 सीटों की क्षमता थी और डीपीएसआरयू में 2,800 छात्रों के लिए केवल 1,157 सीटों की क्षमता थी।**
- **संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने इन विश्वविद्यालयों में अपर्याप्त अवसंरचना, उपलब्ध अवसंरचना और उपकरणों का गैर-उपयोग आदि भी देखे।**

शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संगठन में वित्त, मानव संसाधन और अवसंरचना सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने और सक्षम जनशक्ति की नियुक्ति और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता होती है। चयनित तीन विश्वविद्यालयों में इन संसाधनों के प्रबंधन में कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1 वित्तीय प्रबंधन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय संसाधनों का आबंटन और उपयोग विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप तथा इस संबंध में विद्यमान नियमों और विनियमों का पालन करते हुए किया जाता है, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। इस संबंध में चयनित तीन विश्वविद्यालयों में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1.1 बजट और व्यय

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान तीनों विश्वविद्यालयों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

चार्ट 4.1: जीजीएसआईपीयू की प्राप्तियों और व्यय का वर्ष-वार विवरण (₹ करोड़ में)

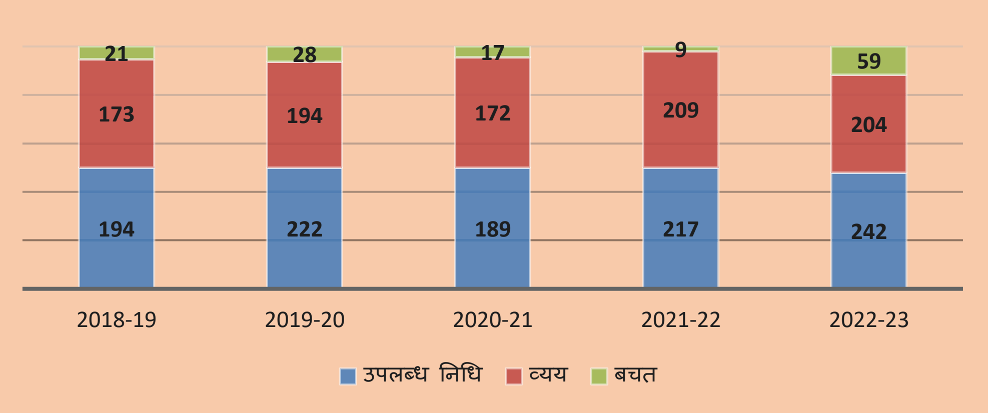

चार्ट 4.2: डीटीयू की प्राप्तियों और व्यय का वर्ष-वार विवरण (₹ करोड़ में)

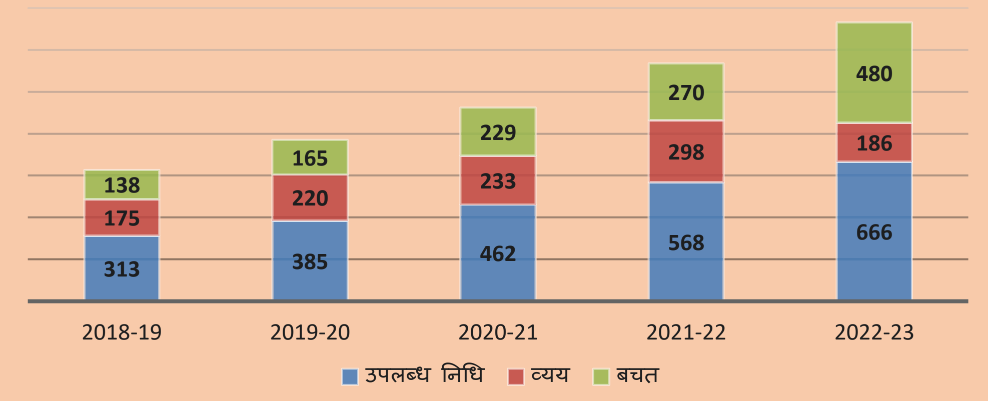

चार्ट 4.3: डीपीएसआरयू की प्राप्तियों और व्यय का वर्ष-वार विवरण (₹ करोड़ में)

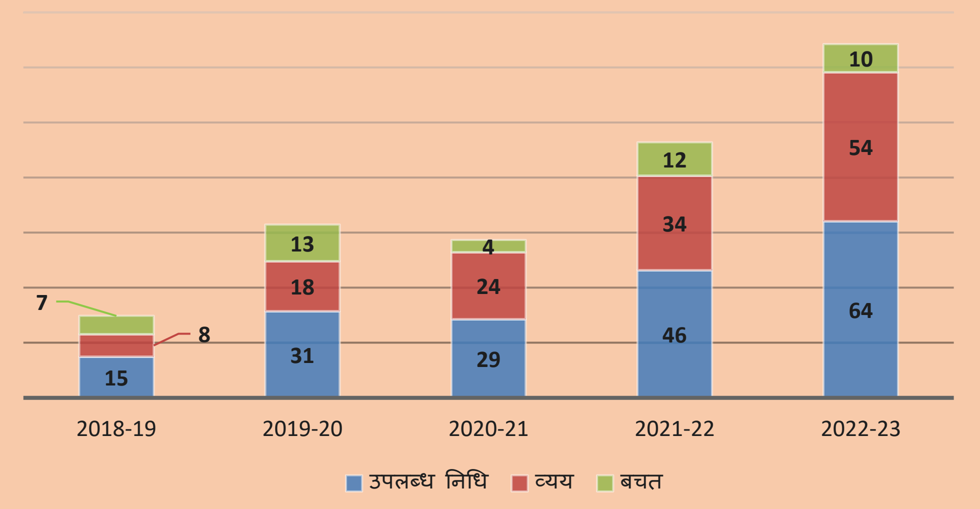

संबद्धता गतिविधियों से आय, जो 53 *प्रतिशत* (2022-23) से 57 *प्रतिशत* (2018-19) के बीच था, जीजीएसआईपीयू के राजस्व का बड़ा हिस्सा था। इसमें कमी आने की संभावना है क्योंकि स्वायत्त कॉलेजों को यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम 2018 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वार्षिक संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जब कि 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियमित रोज़गार पर रहे कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने की आवश्यकता और ₹ 973.99 करोड़ की अनुमानित लागत से द्वारका परिसर के चरण II के प्रस्तावित विकास (सरकार से वित्तीय सहायता की कोई प्रतिबद्धता नहीं) को देखते हुए व्यय के बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय को अपने राजस्व को बढ़ाने/विविधता लाने के तरीकों की पहचान करनी होगी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने अपने राजस्व को बढ़ाने/विविधता लाने तथा संबद्धता से मिलने वाली आय पर निर्भरता कम करने के लिए छात्रों के प्रवेश में वृद्धि, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, विभिन्न कार्यक्रमों के शुल्क में मामूली वृद्धि, किराए से राजस्व उत्पन्न करने आदि जैसे कदम उठाए हैं।

डीटीयू अपने राजस्व व्यय को विश्वविद्यालय जनित निधियों (यूजीएफ)[1] और गैर-सरकारी निधियों (एनजीएफ)[2] के रूप में अपने आंतरिक राजस्व से पूरा करता है और मार्च 2023 तक यूजीएफ में ₹ 125 करोड़ और एनजीएफ में ₹ 355 करोड़ का शेष था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2018-23 के दौरान, इसे सरकार से ₹ 192.75 करोड़ का जीआईए प्राप्त हुआ, यद्यपि यह संबंधित वित्त वर्ष के अंत में प्राप्त हुआ।

---

1 यूजीएफ में प्राप्तियों में शैक्षणिक प्राप्तियां, निवेश से आय और अन्य आय शामिल हैं।

2 विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, परीक्षा, प्रायोजित परियोजनाएं, पदक और छात्रवृत्तियां, विश्वविद्यालय अनुसंधान विकास निधि, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, परामर्श, सुविधाएं और सेवाएं आदि जैसी निर्धारित निधियों को गैर-सरकारी निधि (एनजीएफ) मानता है। इनकी आय और व्यय विश्वविद्यालय के आय-व्यय खाते में नहीं दर्शाए जाते। तथापि, इन एनजीएफ में अंत शेष राशि को विश्वविद्यालय के वार्षिक तुलन पत्र में देनदारियों के रूप में दर्शाया जाता है।

निर्गम सम्मेलन में सचिव ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जीआईए जारी करने में विलंब हुआ है और कहा कि विभाग ने जीआईए को समय पर जारी करने के लिए एक एसओपी तैयार किया है।

डीपीएसआरयू के मामले में, 2018-23 के दौरान ₹ 185.10 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से, ₹ 143.78 करोड़ (77 *प्रतिशत*) सरकार से प्राप्त जीआईए थे, जिससे यह सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हो गया। आत्मनिर्भरता के लिए इसे आय के नए स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है।

4.1.2 छात्रों की प्रतिभूति जमा राशि वापस नहीं की गई

डीटीटीई ने जीजीएसआईपीयू, डीटीयू (तत्कालीन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) और डीपीएसआरयू (तत्कालीन दिल्ली औषधी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान) को निर्देश दिया था (दिसंबर 2003) कि वे छात्रों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से अदावी प्रतिभूति जमा को सरकारी खाते में जमा करें। मार्च 2023 तक, छात्रों की ₹ 6.67 करोड़, ₹ 4.46 करोड़ और ₹ 1.34 करोड़ का अदावी प्रतिभूति जमा क्रमशः जीजीएसआईपीयू, डीटीयू और डीपीएसआरयू के पास पड़ा था (जीजीएसआईपीयू के मामले में 2008-09 तक की अवधि की)। डीटीयू ने उन छात्रों से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखा, जिन्हें प्रतिभूति जमा देय थीं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने छात्रों को अपनी छात्र प्रतिभूति राशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए हैं और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से उसने छात्र प्रतिभूति जमा को बंद करने का निर्णय लिया है। डीटीयू के मामले में, विश्वविद्यालय ने तीन वर्षों से अधिक समय से अदावी प्रतिभूति जमा को विश्वविद्यालय के समग्र निधि खाते में अंतरित कर दिया है। डीपीएसआरयू के मामले में, यह कहा गया कि विश्वविद्यालय को छात्रों द्वारा प्रतिभूति जमा का दावा करने के लिए एक आसान तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

डीटीटीई के निर्देशानुसार, अदावी प्रतिभूति जमा को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए।

4.1.3 सीपीएफ/अधिशेष निधि का निवेश

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा निर्दिष्ट (मार्च 2015) निवेश के पैटर्न के अनुसार, गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के अंतर्गत आने वाली निधि को सरकारी प्रतिभूतियों (45 से 50 *प्रतिशत*), ऋण प्रतिभूतियों और बैंकों की सावधि जमा (35 से 45 *प्रतिशत),* मुद्रा बाज़ार लिखत (5 *प्रतिशत* तक) और एक्सचेंज ट्रेडेड निधि और परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों (10 से 20 *प्रतिशत*) जैसे अन्य में निवेश किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त के उल्लंघन में, वर्ष 2018-19 के दौरान, ***जीजीएसआईपीयू*** की अंशदायी भविष्य निधि (₹ 72.37 करोड़) का 96.71 *प्रतिशत* फ्लेक्सी जमा सहित सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में और शेष 3.29 *प्रतिशत* (₹ 2.46 करोड़) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की प्रतिशतता समय के साथ धीरे-धीरे कम होती गई और यह मार्च 2019 के 3.29 *प्रतिशत* से मार्च 2023 में 2.76 *प्रतिशत* हो गई। जीजीएसआईपीयू ने अप्रैल 2010 से सीपीएफ को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट किया (जनवरी 2024) और बेहतर और सुरक्षित प्रतिलाभ के लिए निवेश की संभावना ढूंढ़ने का आश्वासन दिया।

उपर्युक्त के अलावा, जीजीएसआईपीयू को 2018-23 के दौरान अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 2.11 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई, क्योंकि निवेश समिति के अध्यक्ष दिल्ली से बाहर होने के कारण बैठक के लिए मौजूद नहीं थे।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि दिल्ली से बाहर के अध्यक्ष को अब विश्वविद्यालय के एक आंतरिक सदस्य से बदल दिया गया है ताकि प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि निवेश समितियों की बैठकें अब नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

4.1.4 निधियों का अपयोजन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में ध्यान एवं योग विस्तार प्रकोष्ठों के निर्माण और डीपीएसआरयू में "ध्यान एवं योग विज्ञान केंद्र (सीएमवाईएस)" की स्थापना करके ध्यान एवं योग में डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने (15 मार्च 2021 से) हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया। डीपीएसआरयू को इस प्रयोजन के लिए डीटीटीई से ₹ 22.36 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि-

- निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए सीएमवाईएस निधि के ₹ 5.02 करोड़ में से, ₹ 3.42 करोड़ का व्यय सीवाईएमएस से संबंधित निर्माण गतिविधियों पर नहीं किया गया था, जैसे (i) खेल के मैदान में अस्थायी शेड का निर्माण, (ii) परीक्षा कार्यालय ब्लॉक पर लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम और (iii) स्वागत कक्ष के पास छात्र/शैक्षणिक अर्ध-पक्का कार्यालय और पुस्तकालय का विस्तार और लिफ्ट की स्थापना।

- सीएमवाईएस निधि से ₹ 18.03 लाख की राशि का उपयोग आईटी विभाग के लिए लैपटॉप, विभिन्न अवसरों के लिए पीतल की मूर्तियाँ, अतिथि गृह के लिए फर्नीचर, कुलपति/कुलसचिव के कार्यालय के लिए ज़ूम कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए किया गया, जो योजना से संबंधित नहीं थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नवंबर 2022 में सीएमवाईएस योजना को बंद कर दिया। नवंबर 2022 में सरकार द्वारा योजना को बंद करने के परिणामस्वरूप ध्यान एवं योग केंद्र के निर्माण के अधूरे कार्य पर ₹ 1.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त, ध्यान और योग केंद्र के चार निर्माण कार्यों और विश्वविद्यालय के अन्य भागों की अवसंरचना के विकास के लिए ₹ 2.54 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि सीएमवाईएस योजना के लिए डीपीएसआरयू को ₹ 22.36 करोड़ का जीआईए दिया गया था और उक्त राशि का उपयोग डीपीएसआरयू द्वारा सीएमवाईएस की गतिविधियों के लिए किया जाना था।

तथापि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, डीपीएसआरयू ने इस निधि का एक हिस्सा सीएमवाईएस योजना से असंबंधित मदों पर खर्च किया।

4.1.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विश्वविद्यालयों के हिस्से का कम जमा होना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को डीटीयू (जून 2017) और डीपीएसआरयू (फरवरी 2021) में क्रमशः जनवरी 2010 और मई 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। पूर्वव्यापी अवधि के लिए एनपीएस अंशदान में विश्वविद्यालयों के हिस्से को जमा करते समय, डीटीयू और डीपीएसआरयू ने केवल मूल राशि जमा की, जिसके परिणामस्वरूप अंशदान देय तिथि से उस अवधि के लिए देय ब्याज कम जमा हुआ। डीटीयू के मामले में ₹ 31.04 लाख और डीपीएसआरयू के मामले में ₹ 16.29 लाख की राशि कम जमा की गई थी।

डीटीयू के मामले में विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि मामला विश्वविद्यालय के विचाराधीन है और डीटीयू की वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। डीपीएसआरयू के मामले में, यह सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ब्याज राशि का भुगतान कर दिया गया है (अप्रैल 2024)। तथापि, उक्त भुगतान के लिए कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.1.6 जल बिलों में सब्सिडी का दावा नहीं किया गया

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के 18 मार्च 2016 के परिपत्र के अनुसार, परिसर में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित होने पर 10 *प्रतिशत* सब्सिडी और परिसर में सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित होने पर 10 *प्रतिशत* सब्सिडी का प्रावधान है। यदि आरडब्ल्यूएच और एसटीपी दोनों स्थापित हैं, तो सब्सिडी बिल राशि के 15 *प्रतिशत* तक सीमित है। जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर (मार्च 2022 से अप्रैल 2023) और डीटीयू के रोहिणी परिसर (जनवरी 2022 से जुलाई 2023) ने कार्यात्मक वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) होने के लिए डीजेबी के जल बिलों पर उपलब्ध ₹ 4.66 करोड़ की छूट का लाभ नहीं उठाया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने अपने द्वारका परिसर के लिए जनवरी 2024 से (लेखापरीक्षा में बताए जाने के बाद) जल बिलों पर छूट का लाभ उठाना शुरू कर दिया है और सूरजमल विहार परिसर के लिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है। उसने आगे कहा कि डीटीयू ने सितंबर 2022 में रोहिणी और फरवरी 2024 में विवेक विहार में वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए दिल्ली जल बोर्ड से अनुमोदन के लिए आवेदन किया था। डीजेबी से अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है और डीजेबी की स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय सब्सिडी के लिए आवेदन करेगा।

4.1.7 शुल्क में विश्वविद्यालय के हिस्से की कम प्राप्ति

प्रवेश परामर्श, पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य-वस्तु तैयार करना, परीक्षा आयोजित करना, परिणाम तैयार करना, उपाधि प्रदान करना आदि जैसी सेवाओं के बदले में विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों से निर्धारित दर पर विश्वविद्यालय शुल्क वसूल करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध 57 संस्थानों पर अक्टूबर 2023 तक ₹ 10.67 करोड़ की राशि बकाया थी, जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक छात्रों द्वारा जमा किए गए शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा थी। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि उसने संबद्ध महाविद्यालयों से अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे छात्रों के प्रवेश के समय विश्वविद्यालय का हिस्सा प्रतिधारित करना क्योंकि प्रथम वर्ष का शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाता है, साथ ही उच्च स्तर पर बकाया राशि जमा करने के मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

4.1.8 वित्तीय प्रबंधन में अन्य कमियां

लेखापरीक्षा ने तीनों विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन में विभिन्न अन्य कमियां देखीं, जो निम्नानुसार हैं:

<u>जीजीएसआईपीयू</u>

(i) **सरकार से सहायता अनुदान की हानि:** विश्वविद्यालय को वर्ष 2022-23 में कक्षाओं के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए सरकार से ₹ 20 करोड़ का

अनुदान नहीं मिल सका क्योंकि उसने अनुमान तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए डीएचई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने ₹ 9.73 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तथापि, डीएचई की मंज़ूरी बाद में वापस ले ली गई क्योंकि वित्त और योजना विभागों द्वारा डीएचई को पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कमियों के कारण 2022-23 में अनुदान प्राप्त नहीं हो सका। तथापि, अगले वर्ष 2023-24 में सरकार ने प्रारंभिक बजट अनुमानों में प्रावधान किया, परंतु बाद में परिशोधित अनुमानों के चरण में, निधि की कमी के कारण अंततः स्वीकृति वापस ले ली गई। विभाग के उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में निधि उपलब्ध थी या नहीं।

(ii) वाणिज्यिक दरों पर विज्ञापन जारी किए गए: विश्वविद्यालय ने सूचना और प्रचार निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के माध्यम से कम दरों के बजाय 2018-23 के दौरान वाणिज्यिक दरों पर ₹ 6.50 करोड़ की लागत के विज्ञापन जारी किए।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डीएवीपी दरें प्राप्त नहीं कर सका और उसे अपने विज्ञापन वाणिज्यिक दरों पर जारी करने पड़े। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अंबेडकर विश्वविद्यालय की तरह अपने प्रशासनिक विभाग (अर्थात उच्चतर शिक्षा विभाग) के नाम से डीएवीपी दरों पर अपने विज्ञापन प्रकाशित कर सकता था।

(iii) सेवा कर एकत्रित नहीं किया गया: विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित संबद्धता शुल्क पर सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर[3] (जीएसटी) एकत्रित नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-23 के लिए ₹ 10.68 करोड़ की सेवा कर देयता उत्पन्न हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने वित्त वर्ष 2023-24 से संबद्धता शुल्क पर जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया है और 2017-23 की

[3] 1 जुलाई 2017 से सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया।

अवधि के लिए जीएसटी अधिकारियों को अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। 2013-17 की अवधि के लिए सेवा कर की देय राशि के भुगतान के बारे में उत्तर में नहीं बताया गया है।

डीटीयू

(i) अधिशेष निधियों का निवेश नहीं किया गया: डीटीयू द्वारा अनुरक्षित 39 बैंक खातों में से 26 चालू खाते थे। लेखापरीक्षा ने इनमें से पांच खातों की शेष राशि की नमूना जांच की और पाया कि महीने के अंत में शेष राशि ₹ 74.23 करोड़ तक थी। ऑटो स्वीप सुविधा के माध्यम से इस अधिशेष शेष राशि को सावधि जमा में निवेश करने पर डीटीयू को ब्याज की प्राप्ति हो जाती।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुसार, डीटीयू ने अपने सभी बैंक खातों को फ्लेक्सी खाते में परिवर्तित कर दिया है और अब उसके बचत/चालू खातों में कोई अतिरिक्त शेष राशि नहीं है।

(ii) लाइसेंस शुल्क परिशोधित नहीं किया गया : डीटीयू ने भारतीय स्टेट बैंक को किराए पर दिए गए स्थान के लिए लगाए गए लाइसेंस शुल्क (जैसा कि समय-समय पर संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा निर्धारित और परिशोधित[4] किया गया है) की दर को परिशोधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 19.22 लाख के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा कि इसके लिए एसबीआई को मांग नोटिस जारी की गई है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने लाइसेंस शुल्क की दर परिशोधित कर दी है और बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क के आधार पर गणना की गई बकाया राशि वसूल कर ली है। तथापि, उत्तर किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य से समर्थित नहीं है।

[4] इस अवधि के दौरान संपदा निदेशालय की प्रति वर्ग मीटर प्रति माह दरों को दो बार परिशोधित किया गया, 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक, जिन्हें अप्रैल 2020 के बाद के लिए ₹ 800 और अप्रैल 2023 के बाद के लिए ₹ 940 कर दिया गया। तथापि, डीटीयू अप्रैल 2017 से पहले प्रभावी ₹ 585 और 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी ₹ 675 की दर से लाइसेंस शुल्क वसूलता रहा।

<u>डीपीएसआरयू</u>

(i) लाइसेंस शुल्क की कम वसूली : संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क एकत्र करने के बजाय, डीपीएसआरयू परिसर में छात्रावास मेस/कैंटीन चलाने के लिए प्रति माह ₹ 30,000 का शुल्क ले रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 21 फरवरी 2022 से 29 फरवरी 2024 की अवधि के लिए ₹ 44.44 लाख के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू द्वारा लाइसेंस शुल्क रा.रा.क्षे.दि.स. की दरों के अनुसार, अर्थात डीओई द्वारा निर्धारित दरों और पीडब्ल्यूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समर्थित दरों पर लिया जाना है।

(ii) जीआईए पर ब्याज: वर्ष 2018-19 के लिए सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान प्राप्त जीआईए पर अर्जित ₹ 0.28 करोड़ की ब्याज राशि को न तो सरकारी खाते में भेजा गया और न ही 2019-20 के अनुदान के प्रति समायोजित किया गया, जो सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 230 (8) के प्रावधानों का उल्लंघन था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू अगले उपयोगिता प्रमाणपत्र में वर्ष 2018-19 के लिए जीआईए के उक्त ब्याज का हिसाब रखेगा।

(iii) आयकर छूट का लाभ नहीं उठाया गया: डीपीएसआरयू, एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत आयकर भुगतान से छूट के लिए पात्र था। तथापि, 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, उसने अप्रैल 2022 में ही छूट प्रमाणपत्र प्राप्त किया। आयकर अधिकारियों से छूट प्राप्त करने में विलंब के परिणामस्वरूप, निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 43.99 लाख का अनुचित भुगतान और 2018-23 के दौरान ₹ 40.47 लाख की स्रोत पर कर कटौती हुई।

डीपीएसआरयू ने कहा (मार्च 2024) कि वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी सनदी लेखाकार ने न तो आईटीआर दाखिल किया और न ही छूट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जब तक कि लेखापरीक्षा ने 2021 में इस मुद्दे को चिह्नित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि

डीपीएसआरयू को भविष्य में आयकर मामलों को निपटाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए।

(iv) ₹ 3.66 करोड़ खर्च करने के बावजूद डीजेबी जल कनेक्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया: डीपीएसआरयू ने अपने परिसर के अंदर जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पास मार्च 2019/जनवरी 2021 में ₹ 3.66 करोड़ जमा किए। डीजेबी ने जल पाइपलाइन बिछाने के लिए ₹ 1.36 करोड़ की एक और मांग उठाई (मई 2022) और विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि वह संबंधित अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस से सभी आवश्यक अनुमतियों की व्यवस्था करे। आगे और कोई कार्रवाई नहीं हुई और ₹ 3.66 करोड़ जमा करने के बाद भी, डीपीएसआरयू को अभी तक डीजेबी से पेय जल की आपूर्ति नहीं मिली थी और उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भूजल पर निर्भर रहना पड़ा था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीजेबी ने निक्षेप कार्य के लिए अधिक धनराशि की मांग की और फरवरी 2025 में सूचित किया कि जल पाइपलाइन बिछाने के काम में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा।

(V) वित्तीय आंकड़ों का समाधान न होना : विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विंग और लेखा विंग द्वारा 2018-23 के लिए छात्रों से एकत्रित शुल्क के आंकड़ों में अंतर था। इन अभिलेखों के अनुसार, एकत्रित शुल्क 2018-19 की देय राशि से ₹ 1.62 करोड़ अधिक था, जब कि 2019-23 की देय राशि से ₹ 2.37 करोड़ कम था। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि पारदर्शिता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय आंकड़ों अर्थात छात्र शुल्क आदि का समाधान किया जाना चाहिए।

इन विश्वविद्यालयों द्वारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन अधिशेष निधियों के निवेश में विफलता, निधियों का अपयोजन, एनपीएस अंशदानों का कम प्रेषण, जल बिलों पर सब्सिडी का लाभ न उठाना, सरकार से अनुदान प्राप्त करने में विफलता, स्थान किराए पर देने के लिए लाइसेंस शुल्क की कम वसूली आदि के कारण प्रभावित हुआ। वित्त से संबंधित मामलों को निपटाने में इन कमियों के कारण, इन विश्वविद्यालयों को ₹ 9.19 करोड़ की संयुक्त हानि हुई।

4.2 मानव संसाधन प्रबंधन

शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं सक्षम कर्मचारियों का होना अत्यंत आवश्यक है। तीनों विश्वविद्यालयों के मानव संसाधन प्रबंधन पर की गई अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.2.1 शिक्षण कर्मचारियों की कमी

लेखापरीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी पाई गई, जो शिक्षा प्रदान करने का मुख्य कार्य करते हैं। 2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू में शिक्षण पदों की कुल रिक्तियां 38.77 *प्रतिशत* से 44.84 *प्रतिशत* के बीच थीं, और विशेष रूप से प्रोफेसर के संवर्ग में, संविदा पर कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए भी यह 58 *प्रतिशत* से 63 *प्रतिशत* के बीच थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान स्कूल, आपदा प्रबंधन अध्ययन केंद्र और औषधि विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र बिना किसी नियमित संकाय के कार्य कर रहे थे।

संविदात्मक शिक्षकों पर विचार करने के बाद भी डीटीयू में शिक्षण पदों की कुल रिक्तियां 55 *प्रतिशत* से 60 *प्रतिशत* के बीच थीं। लेखापरीक्षा अवधि 2018-23 के दौरान डीटीयू में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के तीन-चौथाई पद रिक्त रहे। वर्ष 2022-23 में डीटीयू में 38 प्रोफेसरों और 153 एसोसिएट प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों के प्रति, केवल 15 प्रोफेसर (19 *प्रतिशत*) और 37 एसोसिएट प्रोफेसर (24 *प्रतिशत*) ही तैनात पाए गए। डीटीयू ने इस कमी को पूरा करने के लिए केवल 14 से 21 सहायक प्रोफेसरों को संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया (मानदंडों के अनुसार, अधिकतम 70 शिक्षकों को संविदा तक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है) और सीटों की क्षमता की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति का सहारा लिया।

डीपीएसआरयू में संविदात्मक शिक्षकों पर विचार करने के बाद भी शिक्षण पदों में रिक्तियां 21.77 *प्रतिशत* (2022-23) से 54.43 *प्रतिशत* (2019-20) तक थीं।

शिक्षण कर्मचारियों की इतनी कमी का सामना करने के बावजूद, डीपीएसआरयू के शिक्षण कर्मचारियों को गैर-शैक्षणिक प्रकृति (जैसे खरीद, भर्ती, पुस्तकालय, प्रशासन, छात्रावास और भंडार) के अतिरिक्त कार्य सौंपे गए थे, जो उनके नियत शैक्षणिक कार्य को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जीजीएसआईपीयू (2021-22 में 19 *प्रतिशत* और 2022-23 में 15 *प्रतिशत*) और डीपीएसआरयू (2019-20 में 13.92 *प्रतिशत* से लेकर 2020-21 को छोड़कर 2018-19 में 23.91 *प्रतिशत* तक) में संविदात्मक शिक्षण कर्मचारियों का प्रतिशत यूजीसी विनियमों में निर्दिष्ट 10 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक था।

डीटीयू और डीपीएसआरयू के मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि वह शिक्षण कर्मचारियों की कमी को स्वीकार करता है और डीटीयू ने मार्च 2024 में 158 संकाय पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। तथापि, उत्तर में भर्ती की वर्तमान स्थिति नहीं दी गई।

4.2.2 गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की कमी

शिक्षण कर्मचारियों की तरह, तीनों विश्वविद्यालयों को गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की भी कमी का सामना करना पड़ा। 2018-23 की अवधि के दौरान जीजीएसआईपीयू में गैर-शिक्षण कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी क्रमशः 38 से 50 और 39 से 65 *प्रतिशत* के बीच थी, जब कि डीटीयू में यह क्रमशः 62 से 67 *प्रतिशत* और 44 से 49 *प्रतिशत* के बीच थी। इसी प्रकार, डीपीएसआरयू में 2018-23 के दौरान गैर-शिक्षण पदों में रिक्तियां 34 *प्रतिशत* से 53 *प्रतिशत* और तकनीकी पदों में 53 *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के बीच रहीं। कर्मचारियों की ऐसी कमी विश्वविद्यालयों के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

जीजीएसआईपीयू में निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सामान्य सहायक, सहायक, सहायक लेखाकार, आशुलिपिक आदि तथा डीटीयू में प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष, स्टोर अधिकारी, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, आशुलिपिक आदि संवर्गों में महत्वपूर्ण कमी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू के मामले में, विश्वविद्यालय ने गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए सर्वोत्तम संभव कदम उठाए हैं और विश्वविद्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बहिःस्रोतन के आधार पर नियुक्त किया गया है। डीटीयू के मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने पांच गैर-शिक्षण और तीन तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। डीपीएसआरयू के मामले में, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि 2022 में शुरू की गई गैर-शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की संभावना है।

4.2.3 प्रमुख पदों पर समर्पित/नियमित कार्मिकों का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालयों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख पद या तो रिक्त थे या अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों/परामर्शदाताओं द्वारा देखे जा रहे थे, जो विश्वविद्यालयों के कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए अनुकूल नहीं है।

जीजीएसआईपीयू जून 2019 से ***प्रतिकुलपति के बिना काम कर रहा था***, जो 100 से अधिक संबद्ध कॉलेजों वाले विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद या तो अतिरिक्त प्रभार या स्थानापन्न आधार पर रखे गए थे **(अनुलग्नक 4.1)** तथा भर्ती, प्रवेश और परामर्श जैसे महत्वपूर्ण कार्य देखने वाले उप कुलसचिव के तीन पद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा रखे गए थे जिन्हें परामर्शदाता के रूप में काम पर रखा गया था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि प्रतिकुलपति के अभाव का मामला बीओएम के विचारार्थ रखा जाएगा। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने नियमित आधार पर कुलसचिव की नियुक्ति कर दी है और वित्त नियंत्रक, उप-कुलसचिवों और सहायक कुलसचिवों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीटीयू में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक आदि के पद या तो अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार/स्थानापन्न आधार पर रखे गए थे या 2018-23 के अधिकांश समय के लिए रिक्त पड़े थे **(अनुलग्नक 4.1)**।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों के लिए सितंबर 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीपीएसआरयू में भी, जनवरी 2021 से अगस्त 2023 तक वित्त नियंत्रक का पद कुलसचिव के पास स्थानापन्न क्षमता में रहा और उप-कुलसचिव एवं निदेशक (डीआईपीएसएआर) के पद 2018-23 के दौरान रिक्त रहे। डीपीएसआरयू ने कहा (जनवरी 2024) कि चयनित उम्मीदवार ने वित्त नियंत्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, प्रशासनिक कारणों से उप-कुलसचिव के चयन की प्रक्रिया रद्द कर दी गई और निदेशक (डीआईपीएसएआर) का प्रभार एक वरिष्ठ संकाय को दे दिया गया।

4.2.4 भर्ती

लगभग सभी संवर्गों में कार्मिकों की भारी कमी के बावजूद, रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों के प्रयासों में उद्देश्य और तत्परता की कमी थी। जहाँ भर्तियाँ हुईं भी, वहाँ लेखापरीक्षा ने विलंब, स्वीकृत पदों के बिना भर्ती, अपात्र व्यक्तियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने आदि जैसी कमियां देखीं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) भर्ती में विलंब

जीजीएसआईपीयू के प्रबंधन बोर्ड ने 144 शिक्षण पदों और 168 गैर-शिक्षण पदों के सृजन और पहले दो वर्षों में कुल शिक्षण पदों के 50 *प्रतिशत* को भरने को मंज़ूरी दी (अगस्त 2021)। कर्मचारियों की कमी के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2022 में सहायक प्रोफेसरों के केवल 32 पदों पर भर्ती की और दिसंबर 2023 तक शेष स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

डीटीयू जुलाई 2019 में विज्ञापित विभिन्न विषयों में 167 रिक्तियों के प्रति केवल 51 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती ही कर सका, जब कि उसी महीने विज्ञापित सहायक प्रोफेसरों की 87 अन्य रिक्तियों पर कोई भर्ती नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में यूजीसी द्वारा निर्धारित छह महीने के समय के प्रति 16 महीने (नवंबर 2020) लग गए। डीटीयू ने प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की, जब कि मार्च 2023 तक इन संवर्गों में भारी कमी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने 167 और 87 विज्ञापित शिक्षण पदों के प्रति शेष रिक्तियों की भर्ती वापस ले ली थी और नौ विषयों में 158 रिक्तियों की भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन मार्च 2024 में जारी किया गया, जिसके प्रति विश्वविद्यालय ने तीन विषयों में सहायक प्रोफेसरों के 68 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीटीयू के डिज़ाइन विभाग के लिए अक्टूबर और नवंबर 2020 में क्रमशः 15 शिक्षण पद और पांच गैर-शिक्षण पद स्वीकृत किए गए थे, परंतु दिसंबर 2023 तक भर्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। डीटीयू ने कहा (मई 2024) कि सहायक प्रोफेसरों के 6 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया मार्च 2024 में शुरू की गई थी।

डीपीएसआरयू ने कहा कि भर्ती से संबंधित अधिकांश अभिलेख डीटीटीई के सतर्कता विंग के पास थे और नियमित भर्ती और संविदात्मक आधार पर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित केवल एक-एक फाइल और संविदात्मक आधार पर सहायक कुलसचिवों की नियुक्ति से संबंधित एक फाइल ही उपलब्ध कराई गई। इन सभी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयन समिति की संरचना विश्वविद्यालय के कानून के अनुसार नहीं थी। यह भी पाया गया कि डीपीएसआरयू लक्षित संख्या में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सका।

(ii) स्वीकृत पदों के बिना भर्ती

डीटीयू ने 2018-23 के दौरान अटेंडेंट, नर्स, कैमरामैन, खेल प्रशिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, टेलीफोन ऑपरेटर जैसे कुछ गैर-शिक्षण और तकनीकी पदों पर भर्तियां कीं, जिनके लिए कोई स्वीकृत पद नहीं थे **(अनुलग्नक 4.2)**। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2018 में डिज़ाइन विभाग के लिए अन्य विभागों की स्वीकृत संख्या के प्रति पांच सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई। डीटीयू ने कहा (अप्रैल 2024) कि अन्य संवर्गों में रिक्त पदों के प्रति कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की गई थी। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि विभिन्न संवर्गों में पद आवश्यकतानुसार स्वीकृत होते हैं और एक संवर्ग के रिक्त पदों के प्रति दूसरे संवर्ग में कर्मचारियों की भर्ती करना अनियमित है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के जुलाई 2011 के आदेशों के अनुसार डीटीयू में उप लेखा नियंत्रक (डीसीए) का कोई पद सृजित नहीं किया गया था, परंतु वित्त विभाग द्वारा डीटीयू में प्रतिनियुक्ति पर एक डीसीए को तैनात किया गया (मार्च 2022)।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि सहायता के पैटर्न के अनुसार, डीटीयू के वित्त और लेखा विंग के सभी पद रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा संवर्ग से या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। तथ्य यह है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा डीटीयू में एक डीसीए की तैनाती की गई थी, जब कि डीटीयू में ऐसा कोई स्वीकृत पद नहीं था।

(iii) परामर्शदाताओं की नियुक्ति में अनियमितताएं

(क) जीजीएसआईपीयू में, तीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उप-कुलसचिव के रिक्त पदों पर परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इन पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य थे क्योंकि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ₹ 8,700 का ग्रेड वेतन नहीं प्राप्त कर रहे थे, जैसा कि भर्ती नियमों के अंतर्गत आवश्यक है। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि यह खंड त्रुटिपूर्ण था और मई 2023 में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिशोधित भर्ती नियमों के अनुसार, वे योग्य थे। विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025)। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि परामर्शदाताओं की नियुक्ति दिसंबर 2020 और जून 2022 के बीच की गई थी और तब वे मौजूदा नियमों के अनुसार अयोग्य थे।

(ख) रा.रा.क्षे.दि.स. के दिशानिर्देशों (दिसंबर 2015) में प्रावधान है कि स्वायत्त निकायों में परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना अंतिम आहरित मूल वेतन में से मूल पेंशन घटाकर और डीए जोड़कर की जाएगी। तथापि, जीजीएसआईपीयू के दिसंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) ने इन दिशानिर्देशों की अवहेलना की और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करते समय मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ते को शामिल करने के लिए "अंतिम परिलब्धियों" की परिभाषा को व्यापक बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त पांच सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ₹ 19.38 लाख का

अधिक भुगतान किया गया। इसके बावजूद कि प्रबंधन बोर्ड की मंज़ूरी केवल मई 2023 में मिली थी कार्यालय ज्ञापन के लाभों को अप्रैल 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनियमित रूप से लागू किया गया।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि दिसंबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन को जीजीएसआईपीयू द्वारा कभी नहीं अपनाया गया था और इसलिए इसके प्रावधान संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लागू नहीं थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2015 के दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2022 के विश्वविद्यालय कार्यालय ज्ञापन जारी होने से पहले, विश्वविद्यालय दिसंबर 2015 के सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का समेकित वेतन निर्धारित कर रहा था।

संक्षेप में, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण, गैर-शिक्षण और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। प्रमुख पदों पर नियमित कर्मचारियों का अभाव भी देखा गया, जिससे विश्वविद्यालयों के कामकाज की कुशलता में कमी आई। ऐसी कमियों के बावजूद, भर्ती की कार्रवाई में विलंब हुआ और जहाँ भर्तियाँ हुईं, वहाँ लेखापरीक्षा में नियमों के अपालन के मामले देखे गए। संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति भी अनियमितताओं से भरी हुई थी।

सिफारिश 6: विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित महत्वपूर्ण पदों को भरते हुए शिक्षण, गैर-शिक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करनी चाहिए।

4.3 अवसंरचना सुविधाएं और कार्य संविदाओं में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के अलावा कार्य निष्पादन में अनियमितताएं पाई गईं। चयनित तीन विश्वविद्यालयों में बैठने की जगह की कमी थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

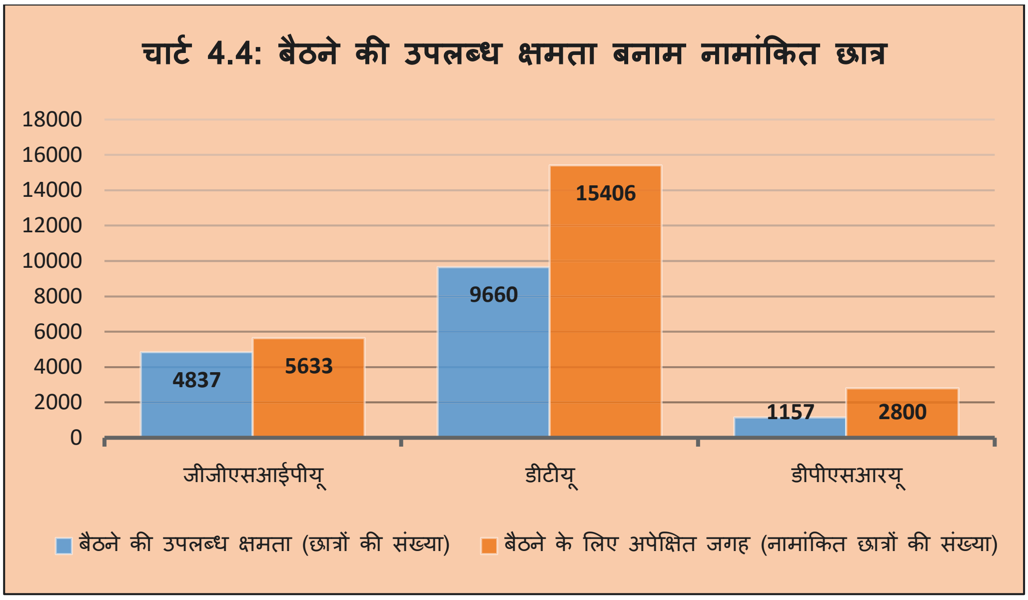

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित तीन विश्वविद्यालयों में अवसंरचना सुविधाओं संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.3.1 जीजीएसआईपीयू

जीजीएसआईपीयू के दो परिसर हैं, एक द्वारका में और दूसरा सूरजमल विहार में। द्वारका परिसर के पहले चरण का निर्माण मार्च 2013 में पूरा हुआ और सूरजमल विहार परिसर ने 2021-22 से काम करना शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि द्वारका परिसर में कक्षाओं की कमी थी, जहाँ अक्टूबर 2023 तक 4,017 नामांकित छात्रों के लिए 2,973 बैठने की क्षमता उपलब्ध थी, जब कि सूरजमल विहार परिसर में कक्षाएं पर्याप्त थीं (1,616 छात्रों के लिए 1,864 बैठने की क्षमता)।

निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों में पाई गई कमियां इस प्रकार थीं:

द्वारका परिसर

(i) पूंजीगत/मरम्मत/अनुरक्षण प्रकृति के 256 कार्यों में से 88 के पूरा होने में 27 महीने तक का विलंब हुआ, परंतु इनमें से किसी भी मामले में विलंब के लिए संविदाकारों को दंडित नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने दिन के समय विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के कारण स्थल की अनुपलब्धता को कार्य पूरा होने में विलंब के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और इसलिए संविदाकारों

पर कोई मुआवज़ा नहीं लगाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय में दिन के समय स्थल की अनुपलब्धता एक ज्ञात तथ्य है और इसलिए कार्य समापन के लिए अनुमानित समय की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

(ii) औषधि विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीएस) के लिए अगस्त 2022 में द्वारका परिसर में ₹ 26 लाख की लागत से निर्मित एक पशु गृह अक्टूबर 2023 तक कार्यात्मक नहीं था। सीईपीएस ने जनवरी 2023 में जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति (सीसीएसईए) के साथ आवश्यक पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जो नवंबर 2023 तक प्रतीक्षित था। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि पशु गृह सुविधा को मंज़ूरी दी गई और नवंबर 2024 में सीसीएसईए के साथ पंजीकृत किया गया। उत्तर इस बात पर चुप है कि क्या पशु गृह कार्यात्मक हो गया है।

(iii) द्वारका परिसर में एक तरणताल, जिसकी जुलाई 2020 में ₹ 53.37 लाख की लागत से मरम्मत की गई थी, अक्टूबर 2023 तक कार्यात्मक नहीं था। अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने दोहराया (मार्च 2025) कि वह तरणताल को नौसिखियों के लिए उपयोगी बनाने की प्रक्रिया में है।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी विद्युत आवश्यकताओं का आकलन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2018-23 के दौरान द्वारका परिसर में ₹ 1.67 करोड़ और सूरजमल विहार परिसर में ₹ 0.43 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अतिरिक्त स्वीकृत भार पर भुगतान किए गए स्थायी शुल्क के कारण हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने अपनी विद्युत आवश्यकताओं की समीक्षा की है और अब द्वारका परिसर के लिए संविदा मांग को 1,959 केवीए से घटाकर 1,800 केवीए कर दिया है और सूरजमल विहार परिसर के लिए 2,041 केवीए से घटाकर 1,150 केवीए कर दिया है।

(v) द्वारका परिसर में चरण-II के निर्माण का प्रस्ताव, जो अप्रैल 2013 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2023 तक अभी भी योजना के स्तर पर था।

योजना के अनुसार, चरण-II का निर्माण पूरा होने के बाद परिसर 8,700 अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने में सक्षम होगा।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि पीडब्ल्यूडी ने मार्च 2023 में द्वारका परिसर के चरण-II के विकास के लिए ₹ 973.99 करोड़ का अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के लिए डीएचई, रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत किया था।

सूरजमल विहार परिसर

(i) सूरजमल विहार परिसर का निर्माण कार्य, जो नवंबर 2019 में पूरा होना था, 27 महीने के विलंब से जून 2023 में ही पूरा हुआ और अक्टूबर 2023 तक पीडब्ल्यूडी से परिसर की विभिन्न सुविधाओं को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया जारी थी। निर्माण गतिविधियों के बीच परिसर ने 2021-22 से काम करना शुरू कर दिया।

विभाग ने विश्वविद्यालय/पीडब्ल्यूडी के जनवरी 2024 के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि विलंब के प्रमुख कारण नींव के काम के लिए मिट्टी की भारी खुदाई के कारण कम हुई जगह, कोविड-19 के फैलने के कारण काम रुकना, एनजीटी द्वारा बार-बार लगाया गया प्रतिबंध, परिशोधित आलेखों की प्रूफ जांच आदि थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि 1,329 दिनों के कुल विलंब में से 368 दिनों का विलंब आलेख/परिशोधित आलेख सौंपने और निधि की अनुपलब्धता के कारण हुआ था, जिसे विश्वविद्यालय, परामर्शदाता वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग और संविदाकार के बीच बेहतर समन्वय से टाला जा सकता था।

4.3.2 दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)

समीक्षा में डीटीयू में अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कमियां सामने आईं-

(i) कक्षाओं की कमी: डीटीयू के दो परिसर हैं, एक रोहिणी में जिसकी छात्रों के बैठने की क्षमता 8,280 है और दूसरा विवेक विहार[5] में जिसकी क्षमता 1,380 है। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2023 तक रोहिणी

[5] शैक्षणिक सत्र 2017-18 से काम करना शुरू किया।

परिसर में नामांकित छात्रों की संख्या 13,908 और विवेक विहार परिसर में 1,498 थी। जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि रोहिणी परिसर में नामांकित छात्रों को समायोजित करने के लिए कक्षाएं पूरी तरह से अपर्याप्त थीं:

तालिका 4.1: डीटीयू के रोहिणी परिसर में उपलब्ध शैक्षणिक स्थान

निर्माण का चरण	निर्माण पूरा होने का वर्ष	कक्षाओं की संख्या	समायोजित किए जा सकने वाले छात्रों की संख्या	अक्टूबर 2023 तक नामांकित छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या के लिए शैक्षणिक स्थान की कमी
चरण-I	1996	उ.न.	3,000		
चरण-II का स्टेज I	2022	67	5,280	13,908	
कुल			**8,280**	**13,908**	**5,628**

अक्टूबर 2022 में रोहिणी परिसर के दूसरे चरण के स्टेज-I के पूरा होने से पहले कक्षाओं की कमी अत्यधिक गंभीर थी, जिसमें अतिरिक्त 5,280 छात्रों के लिए कक्षाएं जोड़ी गईं। कक्षाओं की कमी डीटीयू में अवसंरचना के विकास की धीमी गति का परिणाम थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- वर्ष 1996 में निर्मित रोहिणी परिसर के प्रथम चरण की छात्र भर्ती क्षमता 3,000 थी।
- वर्ष 2013 में, जब छात्रों की संख्या 9,000 से अधिक हो गई, तो विश्वविद्यालय ने पांच चरणों में 13,000 छात्रों के लिए अवसंरचना तैयार करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित चरण-2 में जनवरी 2015 तक नौ भवनों का निर्माण शामिल था।
- पांच भवनों के साथ चरण-II के स्टेज-I के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा केवल जुलाई 2018 में और मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2018 में अनुमोदित किया गया था।
- 5,280 छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसंरचना के निर्माण के लिए डीटीयू के चरण-II के स्टेज-I का निर्माण कार्य सितंबर 2019 में दिया गया था, जिसमें कार्य शुरू करने और पूरा करने की निर्धारित तिथि 23 सितंबर 2019 और 23 दिसंबर 2020 थी। यह कार्य वास्तव में 22 महीने के

विलंब से 18 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ, जिसमें से सात महीने का विलंब आलेख/परिशोधित आलेख सौंपने में विलंब या डिज़ाइन/सामग्री के विलंब से अनुमोदन के कारण हुआ, जब कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 निर्माण गतिविधियों के बीच शुरू किया गया था।

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2023 तक, लोक निर्माण विभाग से परिसर की विभिन्न सुविधाओं को सौंपने/अपने अधीन लेने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। डीटीयू द्वारा अवसंरचना में और वृद्धि करना अभी बाकी था। परिणामस्वरूप, 2023-24 में रोहिणी परिसर में नामांकित लगभग 14,000 छात्रों में से केवल 8,280 छात्रों के लिए ही अवसंरचना उपलब्ध थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू में वर्तमान छात्र क्षमता के लिए 145 कक्षाएं पर्याप्त हैं और छात्रों को उनके अध्ययन समय के दौरान कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में विभाजित किया जाता है। डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड ने अपनी 53वीं बैठक में भविष्य में 22,000 छात्रों के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। तथ्य यह है कि अक्टूबर 2023 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जगह की कमी देखी गई क्योंकि पुराने शैक्षणिक भवन में कक्षाओं में अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए शिक्षक मंच क्षेत्र में अतिरिक्त बेंच लगाई गई थीं।

(ii) डीटीटीई ने दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के माध्यम से डीटीयू में **विश्व स्तरीय कौशल केंद्र** (डब्ल्यूसीएससी) **के निर्माण** को मंज़ूरी दी (फरवरी 2019), जिसे 120 छात्रों के लिए दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों (लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और फिल्म निर्माण) के साथ 2022-23 से कार्यात्मक बनाया जाना था। तथापि, निर्माण कार्य दो वर्ष से भी अधिक समय बाद सितंबर 2021 में ₹ 5.55 करोड़ की लागत से दिया गया, जिसे जुलाई 2022 तक पूरा किया जाना था। अक्टूबर 2023 में डीटीयू के रोहिणी परिसर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गया था, निर्माण कार्य में भौतिक प्रगति 80 *प्रतिशत* थी और डब्ल्यूसीएससी को अभी तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीटीडीसी द्वारा आगे काम नहीं किया गया क्योंकि डीटीटीई ने 2023-24 के दौरान बजट शीर्ष के अंतर्गत कम आबंटन के कारण धनराशि जारी नहीं की। इस प्रकार, कार्य के सभी चरणों में समय-सीमा का उल्लंघन हुआ और भवन अभी भी प्रचालन में नहीं है (अक्टूबर 2023)।

(iii) छात्रावासों के बिस्तरों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, विश्वविद्यालय के छात्रावास आबंटन नियमों के अनुसार, **छात्रावास सुविधा आबंटित** करते समय दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। नवंबर 2023 तक, विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में लड़कों के लिए 1,733 छात्रावास बिस्तर और लड़कियों के लिए 766 बिस्तर उपलब्ध थे। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018-20 और 2022-23[6] के दौरान, दिल्ली के 1,546 छात्रों को छात्रावास सुविधा प्रदान की गई, जब कि दिल्ली के बाहर के लगभग 1,300 छात्र छात्रावास सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तथापि, विश्वविद्यालय में छात्रावास के बिस्तरों के लिए आवेदन और आबंटन पर विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था और आबंटन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा छात्रावास सुविधा के आबंटन में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को सत्यापित नहीं कर सका।

डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि दिल्ली श्रेणी के बाहर के किसी भी स्नातकपूर्व छात्र को छात्रावास सुविधा से वंचित नहीं किया गया और इस संबंध में आंकड़ों की हार्ड कॉपी नहीं रखी गई क्योंकि आंकड़े बहुत विशाल हैं। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि छात्रावास सुविधा संबंधी आंकड़ों के अवलोकन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली के बाहर के कई छात्र छात्रावास सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे।

विभाग ने डीटीयू में छात्रों को छात्रावास आबंटन पर 2018-20 और 2022-23 की अवधि के लिए परिशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए (मार्च 2025)। तथापि, यह किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा इसका वैधीकरण नहीं कर सकी।

[6] 2020-21 और 2021-22 में कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गईं।

4.3.3 डीपीएसआरयू

वर्तमान में विश्वविद्यालय का एक परिसर पुष्प विहार, नई दिल्ली में 10.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

(i) कक्षाओं की कमी: 1,157 की बैठने की क्षमता के प्रति विश्वविद्यालय में 2,800 छात्र नामांकित थे, जो कक्षाओं की कमी को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और कक्षाओं की कमी को दूर करने के लिए नए भवन के निर्माण जैसे आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ii) निक्षेप कार्यों के निष्पादन और निगरानी में अनियमितताएं: विश्वविद्यालय, डीटीटीई से प्राप्त सहायता अनुदान से, दो निष्पादन एजेंसियों - लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अवसंरचना कार्यों का निष्पादन करता है। 2018-23 की अवधि के दौरान पीडब्ल्यूडी/डीटीटीडीसी द्वारा निष्पादित 34 निक्षेप कार्यों के मामले में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें पाई गईं:

(क) पूंजीगत कार्यों जैसे आंतरिक सड़कों का निर्माण, वातानुकूलकों की व्यवस्था और स्थापना, स्टील संरचना के साथ कक्षा स्थान का निर्माण आदि पर ₹ 1.05 करोड़ का **व्यय** पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान शीर्ष के बजाय सहायता अनुदान - सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत से किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि प्रारंभ में डीपीएसआरयू द्वारा जीआईए-सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत से भुगतान किया गया था, परंतु बाद में वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देते समय, भुगतानों को जीआईए-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के अंतर्गत दर्ज किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं है।

(ख) 100 *प्रतिशत* **निक्षेप कार्यों** के मामले में, निष्पादन एजेंसियों ने व्यय स्वीकृति के निबंधनों व शर्तों के अनुसार डीपीएसआरयू को अवार्ड पत्र, मासिक वित्तीय और भौतिक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, निष्पादन एजेंसियों ने न तो अव्ययित शेष राशि की स्थिति प्रस्तुत की और न ही उसे

अर्जित ब्याज सहित, यदि कोई हो, डीपीएसआरयू को वापस किया। डीपीएसआरयू ने इस मामले को आगे बढ़ाया भी नहीं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने निष्पादन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

(ग) डीपीएसआरयू में **विश्व स्तरीय कौशल केंद्र** के विस्तार के लिए एक अलग ब्लॉक के निर्माण से संबंधित कार्य डीटीटीडीसी को जुलाई 2022 तक पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ सौंपा गया था (नवंबर 2021)। दिसंबर 2023 तक काम पूरा होना बाकी था, परंतु विलंब के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(घ) डीपीएसआरयू के खेल विज्ञान और अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एएसएसआरएम) के अभिलेखों की संवीक्षा और **अवसंरचना के भौतिक सत्यापन** के दौरान, यह पाया गया कि तैराकी, जिमनास्टिक्स (लड़कियां), वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और योग फिटनेस और वेलनेस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, जैसा कि खेल विज्ञान में पीजी पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या द्वारा अपेक्षित है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि भावी अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है।

4.3.4 उपकरणों की खरीद में अनियमितताएं

उपकरणों की खरीद में पाई गई अनियमितताएं निम्नानुसार हैं:

(i) जीएफआर 2017 के अनुपालन में कमी: लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.59 करोड़ के व्यय वाले 10 कार्यों के मामले में, डीपीएसआरयू ने इन कार्यों के समग्र अनुमानों की अलग-अलग कार्य मदों को जीईएम के माध्यम से, बिना जीईएम पर बोलियां प्राप्त किए खरीदा, यद्यपि इन 10 मामलों में से प्रत्येक में कार्य के लिए अनुमानित राशि ₹ 5 लाख से अधिक थी। यह सामान्य वित्तीय नियमावली 149 का स्पष्ट उल्लंघन था और विश्वविद्यालय इन कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025) कि उक्त मामलों में, विभिन्न मदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, इसलिए जीएफआर के नियम 149 (i) और (ii) के अंतर्गत

जीईएम पोर्टल से विभिन्न मदों की खरीद की गई, जिसके लिए बोलियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त मदें समान प्रकृति की थीं और 10 मामलों में से प्रत्येक में अनुमानित राशि ₹ 5 लाख से अधिक थी, जिसके लिए जीएफआर के नियम 149 (iii) के अंतर्गत बोलियां प्राप्त करना आवश्यक था।

(ii) अवमानक खरीद: लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीएसआरयू ने विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए यह सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.45 करोड़ के 25 उपकरण खरीदे थे, कि उपकरण आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करते हैं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने विनिर्देश, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण आदि के संबंध में मांगकर्ता की पुष्टि के बाद उपकरण खरीदे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि खरीदे गए उपकरणों के विनिर्देश और गुणवत्ता मांगकर्ता द्वारा प्रस्तावित मूल मांग से भिन्न हैं।

4.3.5 विश्वविद्यालयों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

लेखापरीक्षा दल और संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों विश्वविद्यालयों के परिसरों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। अपर्याप्त अवसंरचना जैसी कमियां पाई गईं। उपलब्ध अवसंरचना/उपकरणों के गैर-उपयोग का सारांश **अनुलग्नक 4.3** में दिया गया है।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने द्वारका परिसर के संबंध में कहा (जनवरी 2024) कि उसने अनुपालन हेतु पर्याप्त अवसंरचना के गैर-उपयोग/अनुपलब्धता के संबंध में अभ्युक्ति को नोट कर लिया है और बैडमिंटन कोर्ट के पास खुले क्षेत्र को अब साफ़ कर दिया गया है। सूरजमल विहार परिसर के संबंध में, यह बताया गया कि पर्याप्त अवसंरचना के गैर-उपयोग/अनुपलब्धता के मुद्दे के समाधान के लिए उचित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/शुरू किए गए हैं।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू के रोहिणी परिसर के पुराने शैक्षणिक ब्लॉक में लिफ्ट कार्यात्मक हो गई हैं; विद्युत इंजीनियरी विभाग और केंद्रीय सीढ़ी क्षेत्र से रद्दी सामग्री हटा दी गई है; ईडीयूएसएसी की डंप की गई मशीनरी/उपकरण हटा दिए गए हैं और विवेक विहार परिसर में शैक्षणिक भवन

की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और चारदीवारी की मरम्मत की गई है।

इस प्रकार, जीजीएसआईपीयू के द्वारका परिसर, डीटीयू के रोहिणी परिसर और डीपीएसआरयू में उपलब्ध कक्षाएं नामांकित छात्रों के लिए पूरी तरह अपर्याप्त थीं। इसके बावजूद, अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई। कुछ मामलों में, निर्मित अवसंरचना और खरीदे गए उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

सिफारिश 7: विश्वविद्यालयों को अवसंरचना के निर्माण में समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायित्व के बिंदु निर्धारित करने चाहिए, जैसा कि छात्रों के लिए कक्षाएं एवं छात्रावास और सृजित परिसंपत्तियों का समय पर उपयोग।

अध्याय 5

आंतरिक नियंत्रण

अध्याय 5

आंतरिक नियंत्रण

- **विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्य-विवरणों की सिफारिश करने तथा संस्थानों के बीच शिक्षण और अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक अध्ययन स्कूल बोर्ड की संरचना, तीनों विश्वविद्यालयों में से किसी में भी मानदंडों के अनुरूप नहीं थी।**
- **चयनित विश्वविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल की बैठकें निर्धारित अंतराल पर नहीं होती थीं तथा विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा और उनका अनुवर्ती कार्य अपर्याप्त था।**
- **तीनों विश्वविद्यालयों में निर्धारित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, जीजीएसआईपीयू में स्टॉक के भौतिक सत्यापन में प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से खरीदे गए उपकरण सम्मिलित नहीं थे और डीटीयू में गैर-उपभोज्य वस्तुओं का कोई केंद्रीकृत समेकित डाटा नहीं था।**

आंतरिक नियंत्रण वे सुरक्षा उपाय हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन देने के लिए लागू किए जाते हैं कि उसके कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं। ये उपाय यह भी सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं कि संस्था के सामान्य उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं। चयनित तीन विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण की कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1 संस्थागत निकायों/आंतरिक समितियों का अभाव

विश्वविद्यालयों के कार्यों को दिशा-निर्देश देने और उनकी देखरेख के लिए शासी निकाय, अध्ययन स्कूल बोर्ड आदि जैसी कई संस्थाएं हैं। लेखापरीक्षा ने इन विश्वविद्यालयों में ऐसी संस्थाओं के गठन और कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाईं:

5.1.1 अध्ययन स्कूल बोर्ड के गठन में कमियां

जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 2 (मार्च 2005) के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में एक अध्ययन स्कूल बोर्ड (बीएसएस) का होना आवश्यक है जो स्कूल को सौंपे गए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या की सिफारिश करे और शिक्षण एवं शोध कार्यों का समन्वय करे। डीटीयू के अध्यादेश 2 (फरवरी 2010) में भी इसी तरह के प्रावधान हैं और डीपीएसआरयू की संविधि और अध्यादेशों (अप्रैल 2021) के अनुसार भी अध्ययन बोर्ड (बीओएस) का गठन आवश्यक है।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान, **जीजीएसआईपीयू** के 14 विश्वविद्यालय स्कूलों में से आठ में बीएसएस में संबद्ध कॉलेजों के किसी भी शिक्षक को अपेक्षानुसार सदस्य के रूप में नहीं रखा गया था और शेष स्कूलों के मामले में यह मानदंडों के अनुसार नहीं था। बीएसएस से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को बाहर करने से उन्हें विविध परिप्रक्ष्यों और अंतर्दृष्टि से वंचित होना पड़ा, विशेषकर उन मामलों में जहाँ कार्यक्रम विशेष रूप से संबद्ध कॉलेजों में चलाए जा रहे थे। लेखापरीक्षा में बीएसएस के दो वर्ष के कार्यकाल के बाद उनके पुनर्गठन में विलंब और/या 14 विश्वविद्यालय स्कूलों और दो उत्कृष्टता केंद्रों में संरचना के संबंध में मानदंडों का गैर-अनुपालन भी देखा गया **(अनुलग्नक 5.1)**।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के प्रकोप को विलंब के लिए ज़िम्मेदार ठहराया (जनवरी 2024) और कहा कि भविष्य में अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है। आगे यह भी कहा गया कि प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के अनुसार, बीएसएस में संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को सम्मिलित करने की प्रथा बंद कर दी गई थी। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि लेखापरीक्षा ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले ही बीएसएस के गठन में विलंब/गैर-गठन के मामले देखे। इसके अतिरिक्त, बीओएम को विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अधिक्रमण करने का अधिकार नहीं है।

(ii) **डीटीयू** ने अपने कुल 17 शैक्षणिक विभागों में से 12 के मामले में बीओएस के गठन से संबंधित विवरण और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 की अवधि के दौरान, डीटीयू के पांच विभागों में बीओएस में एसोसिएट प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व मानदंडों के अनुसार नहीं था जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे। इन पांच विभागों में,

बीओएस कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और समय पर उनका पुनर्गठन नहीं किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी और पर्यावरणीय इंजीनियरी विभागों के मामले में, पिछले बीओएस का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीओएस के पुनर्गठन में क्रमशः 18 महीने, 12 महीने और 16 महीने का विलंब हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि कोविड-19 महामारी के कारण पांच विभागों में बीओएस के गठन में विलंब हुआ और एसोसिएट प्रोफ़ेसरों के अभाव में, बीओएस के गठन में वरिष्ठतम सहायक प्रोफ़ेसरों पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय ने अब बीओएस के गठन में परिशोधन किया है। शेष 12 विभागों में बीओएस के गठन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने के संबंध में उत्तर में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

(iii) डीपीएसआरयू में, विश्वविद्यालय की स्थापना के छह वर्षों के महत्वपूर्ण विलंब के बाद, सितंबर 2021 में बीओएस का गठन किया गया था और उससे पहले, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा कि बीओएस का गठन 2018 में हुआ था और सभी स्कूलों में शैक्षणिक निगरानी समितियां थीं। उत्तर किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए सत्यापन योग्य नहीं है।

इस प्रकार, स्कूलों को सौंपे गए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या की सिफारिश करने और संस्थानों के बीच शिक्षण और शोध कार्य को समन्वित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक बीएसएस/बीओएस का गठन तीनों विश्वविद्यालयों में नियमों के अनुसार नहीं किया गया, जिससे शैक्षणिक समुदाय के हितार्थ विचारों के समन्वय और प्रतिउर्वरण पर प्रभाव पड़ा।

5.1.3 अन्य समितियों के गठन/कार्यप्रणाली में कमियां

(i) **डीपीएसआरयू** के अध्यादेशों के अनुसार, छात्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित मामलों के प्रभावी प्रशासन के लिए विभिन्न समितियों/परिषदों का गठन किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ***रैगिंग और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समितियों*** का गठन केवल जुलाई 2022 में और ***शिकायत निवारण समितियों*** का गठन केवल जून 2023 में हुआ। ***छात्र अनुशासन***

समिति का गठन अभी बाकी था और डीपीएसआरयू में सितंबर 2020 से कोई छात्र परिषद नहीं थी। विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2024) कि छात्र अनुशासन समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा। विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025)।

(ii) यूजीसी (उच्चतर शिक्षण संस्थानों-एचईआई में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 2015 की धारा 8 के अनुसार, ***यौन उत्पीड़न की शिकायतों*** पर जांच और निर्णय की प्रक्रिया आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 130 दिनों के अंदर पूरी करना आवश्यक था। **द्वारका परिसर** में प्राप्त तीन शिकायतों में, **जीजीएसआईपीयू** ने एक मामले में कार्यवाही पूरी करने में 22 महीने, दूसरे मामले में नौ महीने से अधिक समय लिया और नवंबर 2019 में प्राप्त एक शिकायत पर कार्यवाही रोक दी गई है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने कार्यवाही में विलंब के लिए बड़ी संख्या में परीक्षा संबंधी मुद्दों, अंतरालों और लंबित मामलों को ज़िम्मेदार ठहराया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अगस्त 2023 में **जीजीएसआईपीयू, सूरजमल विहार परिसर** में गठित आईसीसी की अध्यक्षता प्रोफेसर के बजाय एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा की गई, जिसमें छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से केवल एक सदस्य (निर्धारित दो के प्रति) था।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

5.2 गुणवत्ता आश्वासन के लिए तंत्र

किसी भी संगठन की सभी शाखाओं के कामकाज में नियमों, विनियमों और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र उस संगठन का अभिन्न अंग होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में, गुणवत्ता आश्वासन विभिन्न शाखाओं की ***शैक्षणिक लेखापरीक्षाओं*** के साथ-साथ ***प्रशासनिक लेखापरीक्षाओं*** के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लेखापरीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) जीजीएसआईपीयू - जीजीएसआईपीयू की संविधि 33 के अनुसार, इंद्रप्रस्थ आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईआईक्यूएसी) नामक एक सेल की स्थापना

विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संपूर्ण दायरे में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा के लिए सभी हितधारकों को जवाबदेह बनाने के माध्यम से विश्वविद्यालय की समग्र गुणवत्ता उन्नयन की सुविधा के लिए की गई थी। संविधि 33 के खंड 2.1 में प्रावधान है कि आईआईक्यूएसी निरंतर आधार पर संरचित शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा (एएए) करेगा और इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की समग्र गुणवत्ता को सुविधाजनक बनाएगा। मौजूदा प्रणाली को समझने और विभागों द्वारा उनकी उपलब्धियों के साथ-साथ शक्तियों, कमज़ोरियों, अवसरों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए 2017 से प्रति वर्ष एएए आयोजित की जा रही हैं।

2018-23 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आईआईक्यूएसी द्वारा स्कूलों या उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का कवरेज विभिन्न वर्षों में अलग-अलग रहा है और 2019-20 और 2022-23 में कोई शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई। जब कि 2018-19 और 2020-21 के दौरान 14 स्कूलों/ सीओई में से क्रमशः 11 और 13 के संबंध में शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा की गई थी, 2021-22 में 16 स्कूलों/ सीओई में से केवल आठ की शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में केवल लेखापरीक्षित विश्वविद्यालय स्कूलों द्वारा जांच-सूचि के रूप में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना सम्मिलित था और देखी गई कमियों के लिए कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट या अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2018-23 के दौरान आवश्यक 20 बैठकों के प्रति आईआईक्यूएसी की केवल 13 बैठकें ही आयोजित की गईं।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि वर्ष 2019-21 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई थी और 2022-23 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा अभी बाकी है और शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा प्रोफार्मा को परिशोधित किया जा रहा है ताकि पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्शाई जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को कागज़ रहित बनाने के लिए मानकीकृत किया जा रहा है और विश्वविद्यालय में समर्थ ई-गवर्नेंस ईआरपी का कार्यान्वयन जारी है।

(ii) डीटीयू - आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईक्यूएसी) की स्थापना दिसंबर 2015 में यूजीसी की बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसरण में की गई

थी। तथापि, डीटीयू ने आईक्यूएसी को कम प्राथमिकता दी है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि निदेशक (आईक्यूएसी) का पद कभी भरा ही नहीं गया और यह कार्यभार हमेशा विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा अतिरिक्त प्रभार के आधार पर संभाला जाता रहा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित तिमाही बैठकों के प्रति, आईक्यूएसी ने 2018-23 की पांच वर्ष की समीक्षा अवधि के दौरान केवल चार बैठकें आयोजित कीं।

डीटीयू ने 2018-23 के दौरान प्रशासनिक लेखापरीक्षा के संचालन के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या ऐसी लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा दिसंबर 2023 तक नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-22 की शैक्षणिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित अभ्युक्तियां लगातार बनी रहीं, जो अनुवर्ती/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव का संकेत देती हैं। इसके अतिरिक्त, सिविल इंजीनियरी, डिज़ाइन, मानविकी और यांत्रिकी इंजीनियरी विभागों को ग्रेड-'बी' दिया गया, जिसका अर्थ आईक्यूएसी की ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार 'स्वीकार्य नहीं' है।

अपने उत्तर में विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि-

- भविष्य में आईक्यूएसी की और अधिक बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।
- आगे के शैक्षणिक लेखापरीक्षा चक्रों में ग्रेड निश्चित रूप से बेहतर होंगे।
- आईक्यूएसी की सभी गतिविधियों को वरिष्ठ संकाय द्वारा अत्यंत सावधानी, ईमानदारी और प्रभावकारिता के साथ संभाला जाता है।

उत्तर में प्रशासनिक लेखापरीक्षा के संचालन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा की है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को अभ्युक्तियां भेज दी गई हैं।

(iii) डीपीएसआरयू - आईक्यूएसी मई 2019 में बनाया गया था, परंतु यह कार्यात्मक नहीं था और 20 अगस्त 2020 को पुनर्गठित होने के बाद ही काम करना शुरू किया। इसके बाद भी, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और विभागों की शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए

की गई थी और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई अभिलेख में नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं की नियमित शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा के अभाव तथा कमज़ोर अनुवर्ती तंत्र के कारण, इन विश्वविद्यालयों की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन शाखाओं की प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा कोई आश्वासन नहीं प्राप्त किया जा सका।

5.3 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कार्यालय स्वचालन

एक अच्छी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) किसी संगठन को सभी शाखाओं से डाटा एकत्र करके और मिलान करके और उसे सार्थक रूप में प्रस्तुत करके, उसके कार्यों से संबंधित सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगी। विश्वविद्यालयों की स्थापना और कार्यप्रणाली में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) जीजीएसआईपीयू में, आसान, सटीक और सुसंगत डाटा पुनर्प्राप्ति और निष्पादन पर वास्तविक समय रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए, उसकी विभिन्न शाखाओं के लिए ***कोई केंद्रीकृत और एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली*** नहीं थी। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विंग डाटा प्रविष्टि से लेकर एमआईएस रिपोर्टों तक, अपने निर्धारित कार्यों के पूरे चक्र को या तो मैन्युअल रूप से या एक स्टैंड-एलोन सॉफ़्टवेयर की सहायता से पूरा कर रहे थे और पिछले वर्षों से संबंधित डाटा पुनर्प्राप्ति/सहभाजन सभी संबंधित लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने समर्थ एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है और शैक्षणिक, प्रशासनिक और भर्ती मॉड्यूल पूरी तरह कार्यात्मक थे, जब कि विश्वविद्यालय जनवरी 2025 से फाइल निगरानी प्रणाली और छुट्टी निगरानी मॉड्यूल के साथ लाइव होने की योजना बना रहा था।

(ii) डीटीयू ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यों को स्वचालित करने के लिए ₹ 72 लाख की कुल लागत से **क्लाउड आधारित विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (सीयूएमएस)** लागू की और विश्वविद्यालय के सभी 18 विंग द्वारा प्रणाली के कामकाज पर संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने (अक्टूबर 2018 में) के बाद यह प्रणाली सक्रिय हो गई। तथापि, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) चरण के दौरान संतोषजनक रिपोर्टों के बावजूद, केवल परीक्षा और परिणाम विंग के मॉड्यूल का ही उपयोग किया जा रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि

डीटीयू के विभिन्न विंग द्वारा सीयूएमएस के संतोषजनक परिनियोजन के बारे में दी गई रिपोर्टें गलत थीं।

डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि सीयूएमएस के 4 मॉड्यूल/उप-मॉड्यूल वितरण के लिए लंबित थे और वितरित किए गए कुछ मॉड्यूल में निष्पादन संबंधी समस्याएं थीं, इसलिए उसने विक्रेता से ₹ 8.05 लाख की निष्पादन गारंटी (पी.जी.) के साथ ₹ 8 लाख रोक लिए हैं। आगे कहा गया कि डीटीयू ने सीयूएमएस ईआरपी से 'समर्थ' पोर्टल पर डाटा अंतरण पहले ही शुरू कर दिया है। तथ्य यह है कि ₹ 64 लाख (₹ 72- ₹ 8 लाख रोकी गई पीजी) खर्च करने के बाद भी वह अपने कार्यों को स्वचालित नहीं कर सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से नई समर्थ[1] ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

(iii) डीपीएसआरयू - लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान, डीपीएसआरयू के विभिन्न कार्यात्मक विंग डाटा प्रविष्टि से लेकर एमआईएस रिपोर्टों तक अपने सभी निर्धारित कार्यों को या तो मैन्युअल रूप से या एक स्टैंड-एलोन सॉफ्टवेयर की सहायता से कर रहे थे और पिछले वर्षों से संबंधित डाटा पुनर्प्राप्ति/सहभाजन सभी संबंधित लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

अक्टूबर 2022 में, डीपीएसआरयू ने एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (आईयूएमएस) के विकास और कार्यान्वयन के लिए निविदाएं जारी कीं, जिसके प्रति उसे दो बोलियां प्राप्त हुईं। एक बोलीदाता ने प्रति छात्र दर और दूसरे ने पूरी परियोजना के लिए ₹ 30.39 लाख की बोली लगाई। डीपीएसआरयू ने पहले बोलीदाता को संविदा दे दी, यद्यपि निविदा स्वीकार करते समय, बोलीदाता ने ₹ 37.48 लाख (2,500 छात्रों के लिए) का उल्लेख किया था, जिसके परिणामस्वरूप काम उच्चतर लागत पर दिया गया।

आरएफपी के खंड 6.4 के अनुसार, विक्रेता को विश्वविद्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, परंतु अभिलेख में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आईयूएमएस का कार्यान्वयन दिसंबर 2023 तक तीसरे चरण में होना चाहिए था। तथापि, दिसंबर 2023 तक कार्यान्वयन प्रक्रिया केवल पहले चरण में ही थी। विक्रेता, उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और ऑनलाइन सहायता पृष्ठ और आईयूएमएस

[1] "समर्थ" भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। 2019 में शुरू की गई इस पहल के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एक पूर्णतः प्रबंधित, क्लाउड-आधारित, व्यापक ईआरपी प्रदान किया जाता है, जो देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए विशेष रूप से निर्मित है।

के समुचित संचालन के लिए ऑन-साइट संसाधन परिनियोजन योजना प्रदान करने में भी विफल रहा, जैसा कि आरएफपी के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय विक्रेता के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और भुगतान विक्रेता के कार्य-निष्पादन के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

इस प्रकार, कार्यशील प्रबंधन सूचना प्रणालियों के अभाव में, ये विश्वविद्यालय अपने मामलों को अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित रह गए।

5.4 अध्यादेशों/संविधियों में किए गए संशोधनों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया

डीटीयू द्वारा अब तक बनाई गई छह संविधियों और सात अध्यादेशों में से, शिक्षकों/शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा की शर्तें और निबंधन और उनकी वरिष्ठता, 2019 के दौरान बनाई गई तीन संविधियों को दिसंबर 2023 तक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना बाकी था। अधिसूचना का अभाव संशोधनों की प्रवर्तनीयता को प्रभावित करता है, यदि कभी न्यायालय में कोई मुद्दा उठता है और इस प्रकार यह एक गंभीर प्रशासनिक चूक है। अपने उत्तर में, डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि डीटीटीई से प्राप्त नूतन निर्देशों पर, उसने इन संविधियों को यूजीसी, एआईसीटीई और डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुरूप रखने के लिए उन्हें संशोधित करने हेतु एक समिति का गठन किया है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिसूचना के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी ली जाएगी।

5.5 स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 213 में अचल संपत्तियों और उपभोज्य वस्तुओं एवं सामग्रियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन या तो जीएफआर के प्रावधान के अनुसार नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था या फिर परिणामों का उचित विश्लेषण नहीं किया जा रहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदी गई सभी वस्तुएं इन विश्वविद्यालयों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) जीजीएसआईपीयू में, वर्ष 2022-23 के लिए गैर-उपभोज्य स्टॉक का भौतिक सत्यापन जनवरी 2024 तक नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि पिछले

वर्षों के सत्यापन का परिणाम संबंधित रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 213 के अंतर्गत अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, 2018-23 की अवधि के दौरान मौलिक अनुसंधान अनुदान योजना (एफआरजीएस) और प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली निधियों से खरीदी गई ₹ 4.38 करोड़ की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि 2022-23 के लिए गैर-उपभोज्य स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है और वार्षिक भौतिक निरीक्षण में एफआरजीएस और प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली निधियों से खरीदी गई परिसंपत्तियों को सम्मिलित करने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू नियमित रूप से उपभोज्य और गैर-उपभोज्य स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रहा है और वर्ष 2023-24 के लिए यह कार्य प्रगति पर है।

(ii) डीटीयू में, यद्यपि सभी गैर-उपभोज्य वस्तुओं की खरीद भंडार एवं क्रय (एस एंड पी) विंग द्वारा केंद्रीय रूप से की जाती है, इन वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर उस विभाग द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं जिसे ये जारी किए गए हैं। विभाग-वार स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी इस उद्देश्य के लिए गठित टीमों द्वारा किया गया था। सत्यापन जीएफआर के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक के बजाय द्विवार्षिक रूप से किया जा रहा था। यद्यपि, सितंबर 2019 और नवंबर 2021 में सत्यापन किया गया था, डीटीयू यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था कि खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब रखा गया था क्योंकि एस एंड पी विंग द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर कोई समेकित डाटा नहीं रखा जा रहा था और रिपोर्ट को केवल अभिलेख में रखा जा रहा था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि 2021-23 के लिए भौतिक सत्यापन डीटीयू में प्रक्रियाधीन है और अप्रैल 2023 से विश्वविद्यालय द्विवार्षिक के स्थान पर वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन करेगा।

(iii) डीपीएसआरयू ने वर्ष 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के दौरान गैर-उपभोज्य वस्तुओं और अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया, जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू ने कोविड-19 की स्थिति के कारण 2020-22 के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया और 2022-23 से भौतिक सत्यापन किया है।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य नियंत्रण और संतुलन के अभाव में, इन विश्वविद्यालयों की आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणालियां इतनी मज़बूत नहीं थीं कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय उतने प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, जितना उन्हें करना चाहिए।

सिफारिश 8: विश्वविद्यालयों को विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों को कम करने के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

नई दिल्ली **(अमन दीप चट्ठा)**

दिनांक: 04 दिसम्बर 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 08 दिसम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

जीजीएसआईपीयू के चयनित विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों की सूची

(क)उच्चतर शिक्षा निदेशालय

क्रम सं.	चयनित विश्वविद्यालय के नाम
1.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)
	जीजीएसआईपीयू के चयनित 12 स्व-वित्तपोषित संबद्ध कॉलेजों की सूची
1.	महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान, सेक्टर-22 रोहिणी, दिल्ली-85 (बी.टेक)
2.	विवेकानंद व्यावसायिक अध्ययन संस्थान - तकनीकी परिसर, एयू ब्लॉक (आउटर रिंग रोड), पीतमपुरा, नई दिल्ली
3.	बनारसीदास चांदीवाला व्यावसायिक अध्ययन संस्थान, सेक्टर - 11, (मेट्रो स्टेशन के सामने) द्वारका, नई दिल्ली - 110075
4.	भारती विद्यापीठ कंप्यूटर एप्लिकेशन और प्रबंधन संस्थान, ए4 , पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110063
5.	दिल्ली ग्रामीण विकास संस्थान, (डीआईआरडी की सहोदर शाखा), जीटी करनाल रोड, गांव नांगली पूना, दिल्ली-110036
6.	कस्तूरी राम उच्चतर शिक्षा कॉलेज, ग्राम कुरेनी नरेला, दिल्ली-110040
7.	गुरु नानक शिक्षा कॉलेज, (अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान) रोड नंबर 75, पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026
8.	गीतारत्न प्रगत अध्ययन एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी-ब्लॉक, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली - 110085
9.	पेरियार वास्तुकला विद्यालय, 1 और 2 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जसोला, नई दिल्ली-25
10.	श्री राम शिक्षक शिक्षा संस्थान, ग्राम बामनोली , सेक्टर-28, द्वारका, नई दिल्ली -110045
11.	सेंट लॉरेंस उच्चतर शिक्षा कॉलेज, गीता कॉलोनी, सुविधा केंद्र , दिल्ली - 110030
12.	भारतीय विद्या भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001
	जीजीएसआईपीयू के चयनित 2 सरकारी सहायता प्राप्त संबद्ध कॉलेजों की सूची
1.	डॉ. बीएसए अस्पताल मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 6, रोहिणी दिल्ली-110085
2.	पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर क्लॉक टॉवर, नई दिल्ली 110064

(ख) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

क्रम सं.	चयनित विश्वविद्यालयों के नाम
1.	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
2.	दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय

अनुलग्नक 2.1

(अध्याय II (परिचय) में संदर्भित)

जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूलों (यूएसएस) और उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की सूची

क्रम सं.	स्कूलों/सीओई के नाम
	I द्वारका परिसर
1.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी
2.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी
3.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हयूमैनिटीज एंड सोशल साइंस
4.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेज
5.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड पैरा-मेडिकल हेल्थ साइंसेज
6.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडुकेशन
7.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इन्फार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी
8.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़
9.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़
10.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इनवायरमेंट मैनेजमेंट
11.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन
12.	सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फार्मास्यूटिकल सांइसेज
13.	यूनिवर्सिटी सेंटर फार डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज़
	II सूरजमल विहार परिसर
14.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स
15.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन
16.	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

अनुलग्नक 2.2

(अध्याय II (परिचय) में संदर्भित)

डीटीयू के शैक्षणिक विभागों और विश्वविद्यालय स्कूलों की सूची

क्रम सं .	स्कूलों/सीओई के नाम
	I रोहिणी, बवाना रोड परिसर
1.	विद्युत इंजीनियरी विभाग
2.	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी विभाग
3.	सिविल इंजीनियरी विभाग
4.	पर्यावरणीय इंजीनियरी विभाग
5.	यांत्रिकी इंजीनियरी विभाग
6.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
7.	अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग
8.	अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग
9.	डिज़ाइन विभाग
10.	मानविकी विभाग
11.	दिल्ली प्रबंधन स्कूल
12.	सॉफ्टवेयर इंजीनियरी विभाग
13.	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
15.	अनुप्रयुक्त गणित विभाग
	II विवेक विहार परिसर
16.	विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं उद्यमिता स्कूल

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

अनुलग्नक 2.3

(पैराग्राफ 2.2.2.1 (i) में संदर्भित)

2018-23 के दौरान स्वीकृत प्रवेश के प्रति कम प्रवेश वाले जीजीएसआईपीयू के विश्वविद्यालय स्कूलों के कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	स्कूल का नाम	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23		
			प्रवेश	भरा हुआ	अल्प-उपयोग की प्रतिशतता	प्रवेश	भरा हुआ	अल्प-उपयोग की प्रतिशतता	प्रवेश	भरा हुआ	अल्प-उपयोग की प्रतिशतता	प्रवेश	भरा हुआ	अल्प-उपयोग की प्रतिशतता	प्रवेश	भरा हुआ	अल्प-उपयोग की प्रतिशतता
1.	एम.टेक. (इंजीनियरी भौतिकी)	यूएसबीएएस	18	02	89	21	00	100	21	01	95	21	00	100	18	00	100
2.	एम.टेक. (नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	यूएसबीएएस	15	08	47	15	02	87	17	00	100	16	03	81	16	03	81
3.	एम.टेक. (रसायन इंजीनियरी)	यूएससीटी	30	01	97	33	06	82	30	04	87	30	06	80	30	02	93
4.	एम.टेक. (ईसीई)-सप्ताहांत	यूएसआईसीटी	60	13	78	60	08	87	60	15	75	66	03	95	66	05	92
5.	एम.टेक. (सीएसई)-सप्ताहांत	यूएसआईसीटी	60	42	30	60	27	55	60	27	55	66	14	79	66	08	88
6.	एम.टेक. (रोबोटिकी और स्वचालन)	यूएसआईसीटी	18	08	56	18	00	100	21	10	52	21	03	86	21	09	57
7.	एमबीए (आपदा प्रबंधन)-सप्ताहांत	सीडीएमएस	60	17	72	60	16	73	60	22	63	66	13	80	66	04	94
8.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा (आपदा प्रबंधन)	सीडीएमएस	00	00	0	00	00	00	60	00	100	66	00	100	55	00	100
9.	एम.एससी (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन)	यूएसईएम	25	14	44	28	09	68	28	07	75	28	03	89	28	02	93
10.	एम.टेक. (जैव प्रौद्योगिकी)	यूएसबीटी	10	02	80	12	00	100	24	14	42	24	09	63	24	14	42
कुल			**296**	**107**	**64**	**307**	**68**	**78**	**381**	**100**	**74**	**398**	**54**	**86**	**395**	**47**	**88**

अनुलग्नक 2.4
(पैराग्राफ 2.3.1 में संदर्भित)
विश्वविद्यालय स्कूलों में पाठ्यक्रम परिशोधन में विलंब के साथ संचालित कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	स्कूल का नाम	कार्यक्रम का अंतिम परिशोधन	पाठ्यक्रम में परिशोधन न करने के वर्षों की संख्या
1.	वास्तुकला स्नातक	यूएसएपी	2018-19	04
2.	विद्या वाचस्पति (जैव प्रौद्योगिकी)	यूएसबीटी	2017-18	05
3.	विद्या वार्चस्पति (रसायन इंजीनियरी)	यूएससीटी	2019-20	03
4.	प्रौद्योगिकी निष्णात (कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी)-सप्ताहांत	यूएसआईसीटी	2014-15	08
5.	प्रौद्योगिकी निष्णात (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी)-सप्ताहांत	यूएसआईसीटी	2014-15	08
6.	विधि निष्पात (साइबर विधि और आईपीआर)-सप्ताहांत	यूएसएलएलएस	2011-12	11
7.	विद्या वाचस्पति (विधि और विधिक अध्ययन)	यूएसएलएलएस	2019-20	03
8.	व्यवसाय प्रशासन निष्णात (आपदा प्रबंधन)-सप्ताहांत	सीडीएमएस	2018-19	04
9.	आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	सीडीएमएस	2018-19	04

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

अनुलग्नक 2.5
(पैराग्राफ 2.3.1 में संदर्भित)
जीजीएसआईपीयू के संबद्ध कॉलेजों में पिछले 3 वर्षों से पाठ्यक्रम परिशोधन के बिना संचालित कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	स्कूल का नाम	कार्यक्रम का अंतिम परिशोधन	पाठ्यक्रम में परिशोधन न करने के वर्षों की संख्या
1.	वास्तुकला स्नातक	यूएसएपी	2018-19	04
2.	बाल मार्गदर्शन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा	यूएसई	2012-13	10
3.	कला स्नातक (ऑनर्स) (अर्थशास्त्र)	यूएसएचएसएस	2018-19	04
4.	बीडीएस (दंत शल्य-चिकित्सा स्नातक)	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
5.	नेत्र विज्ञान डिप्लोमा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
6.	एमडी शरीर-क्रिया विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
7.	एमडी जैव रसायव	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
8.	एमडी भेषजगुण विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
9.	एमडी विकृति विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
10.	एमडी सूक्ष्मजैविकी	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
11.	एमडी न्याय-आयुर्विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
12.	एमडी सामुदायिक चिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
13.	एमडी सामान्य चिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
14.	एमडी विकिरण विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
15.	एमडी रेडियोलॉजिस्ट	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
16.	एमडी मनोचिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
17.	एमडी त्वचाविज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
18.	एमडी संज्ञाहरण विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
19.	एमडी शारीरिक चिकित्सा एवं पुनःस्थापना	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
20.	एमडी (विकिरण चिकित्सा)	यूएसएम और पीएमएचएस	2012-13	10
21.	एमडी खेल चिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2015-16	07
22.	एमएस शरीररचना विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
23.	एमएस सामान्य शल्यचिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
24.	एमएस विकलांग विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
25.	एमएस प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री-रोग विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
26.	एमएस नेत्र विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
27.	एमएस ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी (कान, नाक और गला)	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
28.	डीएम हृदय-विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
29.	डीएम तंत्रिका-विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
30.	डीएम नेफ्रोलॉजी	यूएसएम और पीएमएचएस	2017-18	05
31.	डीएम पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
32.	डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
33.	एम.सीएच. हृद्वक्षीय तथा वाहिका शल्य-चिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
34.	एम.सीएच स्नायु शल्य-चिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	स्कूल का नाम	कार्यक्रम का अंतिम परिशोधन	पाठ्यक्रम में परिशोधन न करने के वर्षों की संख्या
35.	एम.सीएच. बाल रोग शल्य-चिकित्सा	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
36.	एम.सीएच. मूत्र विज्ञान	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
37.	बीएएमएस (आयुर्वेद, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक)	यूएसएम और पीएमएचएस	2012-13	10
38.	बीएचएमएस (होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक)	यूएसएम और पीएमएचएस	2010-11	12
39.	बीपीटी (भौतिक चिकित्सा स्नातक)	यूएसएम और पीएमएचएस	2018-19	04
40.	बी.एससी. (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी)	यूएसएम और पीएमएचएस	2010-11	12
41.	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक	यूएसएम और पीएमएचएस	2006-07	16
42.	प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स स्नातक	यूएसएम और पीएमएचएस	2017-18	05
43.	बी.एससी. (चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकिरण चिकित्सा)	यूएसएम और पीएमएचएस	2008-09	14
44.	व्यावसायिक चिकित्सा स्नातक (तंत्रिका विज्ञान)	यूएसएम और पीएमएचएस	2007-08	15
45.	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स निष्णात (एमपीओ)	यूएसएम और पीएमएचएस	2017-18	05
46.	एम. फिल (मनोचिकित्सा सामाजिक कार्य)	यूएसएम और पीएमएचएस	2015-16	07
47.	पोस्ट बेसिक नर्सिंग	यूएसएम और पीएमएचएस	2018-19	04
48.	भौतिक चिकित्सा (तंत्रिका विज्ञान) निष्णात	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
49.	भौतिक चिकित्सा निष्णआत (मस्कुलोस्केलेटल)	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
50.	भौतिक चिकित्सा (खेल) निष्णात	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09
51.	भौतिक चिकित्सा (कार्डियोपल्मोनरी) निष्णात	यूएसएम और पीएमएचएस	2013-14	09

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

अनुलग्नक 2.6

(पैराग्राफ 2.3.1 में संदर्भित)

डीटीयू के विश्वविद्यालय विभागों के उन कार्यक्रमों की सूची जिनके पाठ्यक्रम में परिशोधन नहीं किया गया

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	विभाग का नाम	कार्यक्रम का अंतिम परिशोधन	पाठ्यक्रम में परिशोधन न करने के वर्षों की संख्या
1.	एम.टेक. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी	कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी	2018-19	04
2.	एम.टेक. सूचना प्रणाली (आईएसवाई)	सूचना प्रौद्योगिकी	2018-19	04
3.	एम.टेक. सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एमएसटी)	अनुप्रयुक्त भौतिकी	2018-19	04
4.	एम.टेक. माइक्रो-वेव्स और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन (एमओसी)	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी	2018-19	04
5.	एम.टेक. वीएलएसआई डिज़ाइन और एम्बेडेड सिस्टम (वीएलएसआई)	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी	2018-19	04
6.	एम.टेक. जैव सूचना-विज्ञान (बीआईओ)	जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरी	2018-19	04
7.	एम.टेक. औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी (आईबीटी)	जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरी	2018-19	04
8.	एम.टेक. पॉलिमर प्रौद्योगिकी (पीटीई)	अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान	2018-19	04
9.	एम.टेक. थर्मल इंजीनियरी (टीएचई)	यांत्रिकी इंजीनियरी	2018-19	04
10.	एम.टेक. उत्पादन इंजीनियरी (पीआरडी)	यांत्रिकी इंजीनियरी	2018-19	04
11.	एम.टेक. नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन (सी एंड आई)	विद्युत इंजीनियरी	2018-19	04
12.	एम.टेक. विद्युत प्रणाली (पीएसवाई)	विद्युत इंजीनियरी	2018-19	04
13.	एम.टेक. स्ट्रक्चरल इंजीनियरी (एसटीई)	सिविल इंजीनियरी	2018-19	04
14.	एम.टेक. द्रव-इंजीनियर और जल संसाधन इंजीनियरी (एचआरई)	सिविल इंजीनियरी	2018-19	04
15.	एम.टेक. जियोटेक्निकल इंजीनियरी (जीटीई)	सिविल इंजीनियरी	2018-19	04
16.	एम.टेक. पर्यावरणीय इंजीनियरी (ईएनई)	पर्यावरणीय इंजीनियरी	2018-19	04
17.	एम.टेक. भू-सूचना विज्ञान (जीआईएनएफ)	सिविल इंजीनियरी	2018-19	04
18.	एम.एससी. भौतिकी	अनुप्रयुक्त भौतिकी	2018-19	04

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

अनुलग्नक 2.7
(पैराग्राफ 2.3.1 में संदर्भित)
पाठ्यक्रम परिशोधन में विलंब वाले डीपीएसआरयू के कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	पुरःस्थापना	पाठ्यक्रम में परिशोधन न करने के वर्षों की संख्या
1.	एम. फार्म (फार्मास्युटिक्स)	2015-16	07
2.	एम. फार्म (औद्योगिक फार्मेसी)	2017-18	05
3.	एम. फार्म (फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री)	2015-16	07
4.	एम. फार्म (फार्मास्युटिकल विश्लेषण)	2017-18	05
5.	एम. फार्म (फार्मास्युटिकल गुणवत्ता आश्वासन)	2015-16	07
6.	एम. फार्म (फार्मास्युटिकल नियामक मामले)	2015-16	07
7.	एम. फार्म (फार्मास्युटिकल जैव प्रौद्योगिकी)	2017-18	05
8.	एम. फार्म (फार्माकोलॉजी)	2015-16	07
9.	एम. फार्म (फाइटो-केमिस्ट्री और फार्माकॉग्नोसी)	2015-16	07
10.	एम. फार्म (अस्पताल फार्मेसी)	2015-16	07
11.	एम. फार्म (कॉस्मेस्यूटिक्स)	2017-18	05
12.	पीएच.डी. (पीएम)	2017-18	05
13.	खेल डिजिटलीकरण और प्रदर्शन प्रबंधन	2019-20	03

स्रोत: एनएएसी को प्रस्तुत स्व-अध्ययन रिपोर्ट का डाटा

अनुलग्नक 3.1
(पैराग्राफ 3.2.2 (i) (डी) में संदर्भित)
1.5 एकड़ से कम भूमि वाले जीजीएसआईपीयू के 6 संबद्ध कॉलेजों का विवरण

क्रम सं.	संबद्ध संस्थान का नाम	2018-19	2019-20	2021-22	2022-23
		कुल भूमि (एकड़ में)	कुल भूमि (एकड़ में)	कुल भूमि (एकड़ में)	कुल भूमि (एकड़ में)
1	बनारसीदास चांदीवाला व्यावसायिक अध्ययन संस्थान	0.66	0.66	0.64	0.64
2	भारती विद्यापीठ कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं प्रबंधन संस्थान	0.50	0.50	उ.न.	उ.न.
3	दिल्ली ग्रामीण विकास संस्थान, (डीआईआरडी की सहोदर शाखा)	1.31	1.31	1.31	1.31
4	कस्तूरी राम उच्चतर शिक्षा कॉलेज	0.99	0.99	0.99	0.99
5	गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान)	-	0.25	0.25	0.25
6	पेरियार वास्तुकला विद्यालय	0.99	0.99	0.99	0.99

स्रोत: आवेदक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत संबद्धता आवेदन/जेएसी रिपोर्ट

अनुलग्नक 3.2
(पैराग्राफ 3.2.2 (i) (डी) में संदर्भित)
1.5 एकड़ से कम भूमि वाले संबद्ध कॉलेजों का विवरण

क्रम सं.	संस्थान का नाम	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	एक्शन फॉर ऑटिज्म, नेशनल सेंटर फॉर ऑटिज्म इंडिया	0.29
2.	अष्टावक्र पुनर्वास विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	0.19
3.	बनारसीदास चांदीवाला सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कालकाजी, नई दिल्ली-19	0.5
4.	बनारसीदास चांदीवाला भौतिक चिकित्सा संस्थान, कालकाजी, नई दिल्ली	0.5
5.	बनारसीदास चांदीवाला व्यावसायिक अध्ययन संस्थान, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075	0.64
6.	भारती विद्यापीठ कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं प्रबंधन संस्थान	0.5
7.	कॉम-आईटी, कैरियर अकादमी (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान)	0.51
8.	चंद्रप्रभु जैन उच्चतर अध्ययन कॉलेज एवं विधि विद्यालय	0.86
9.	दिल्ली उन्नत अध्ययन संस्थान	0.83
10.	दिल्ली ग्रामीण विकास संस्थान	0.83
11.	दिल्ली ग्रामीण विकास संस्थान, (डीआईआरडी की सहोदर शाखा), ग्राम नंगली पूना	1
12.	दिल्ली व्यावसायिक अध्ययन और अनुसंधान स्कूल	0.41
13.	दिल्ली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	0.53
14.	गितारत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल	0.56
15.	गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान)	0.21
16.	गुरु नानक प्रबंधन संस्थान	0.66
17.	गुरु राम दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन	0.74
18.	आइडियल प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	0.43
19.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान	0.65
20.	प्रौद्योगिकी और प्रबंधन नवाचार संस्थान	0.40
21.	व्यावसायिक अध्ययन संस्थान (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान)	0.51
22.	जगन्नाथ इंटरनेशनल प्रबंधन स्कूल, वसंत कुंज	0.42
23.	जगन प्रबंधन अध्ययन संस्थान	0.89
24.	जगन्नाथ इंटरनेशनल प्रबंधन स्कूल, कालकाजी	0.5
25.	कमल उच्च शिक्षा एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान	0.52
26.	कस्तूरी राम उच्चतर शिक्षा कॉलेज	0.83
27.	लक्ष्मी बाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग	1.23
28.	लिंगाया ललिता देवी प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान	0.76
29.	लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन,	0.74
30.	मधु बाला संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान	0.51
31.	प्रबंधन शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	1
32.	राष्ट्रीय हृदय संस्थान	0.52
33.	नई दिल्ली प्रबंधन संस्थान	0.87

क्रम सं.	संस्थान का नाम	कुल भूमि (एकड़ में)
34.	प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन	0.57
35.	आरसी प्रौद्योगिकी संस्थान	1
36.	रुक्मणी देवी उन्नत अध्ययन संस्थान	0.75
37.	सिरीफोर्ट प्रबंधन अध्ययन संस्थान	0.41
38.	श्री गुरु तेग बहादुर प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	0.42
39.	टेक्निया उन्नत अध्ययन संस्थान	0.56
40.	ट्रिनिटी व्यावसायिक अध्ययन संस्थान	0.42
41.	वास्तु कला अकादमी	0.83
42.	वीडी प्रौद्योगिकी संस्थान	0.64

स्रोत: 5वीं राज्य शुल्क नियामक समिति की रिपोर्ट

अनुलग्नक 4.1
(पैराग्राफ 4.2.3 में संदर्भित)
वर्ष 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का विवरण

जीजीएसआईपीयू

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भर्ती की विधि	अवधि/ कार्यकाल	2018-23 के दौरान कार्यरत व्यक्ति
1.	कुलसचिव	2	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति	पांच वर्ष	1. श्री सतनाम सिंह- 13.11.17 से 11.02.19 प्रतिनियुक्ति आधार पर 2. प्रो. पी.सी. शर्मा- 12.02.19 (अतिरिक्त प्रभार) 3. श्री के.डी. डोगरा- 12.02.19 से 09.09.19 (प्रतिनियुक्ति) 4. श्री. रवि दाधीच- 09.09.19 से 18.10.21 (प्रतिनियुक्ति) 5. श्री सुशील कुमार (संयुक्त कुलसचिव)- 18.10.21 से 31.10.21 (अतिरिक्त प्रभार) 6. श्री. शैलेन्द्र सिंह परिहार- 01.11.21 से 09.06.22 (प्रतिनियुक्ति) 7. श्री मनोज कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)- 09.06.22 से 30.08.22 (संविदा-अतिरिक्त प्रभार) 8. सुश्री सुनीता शिवा (संयुक्त कुलसचिव)- 31.08.22 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	वित्त नियंत्रक	1	प्रतिनियुक्ति	दो वर्ष	1. प्रो. नीना सिन्हा- 31.05.18 से 31.03.19 (अतिरिक्त प्रभार) 2. सुश्री रिंकू गौतम- 01.04.19 से 28.03.22 (प्रतिनियुक्ति) 3. श्री. शैलेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव- 29.03.22 से 09.06.22 (अतिरिक्त प्रभार) 4. सुश्री सुनीता शिवा (संयुक्त कुलसचिव)- 10.06.22 से 17.08.22 (अतिरिक्त प्रभार) 5. श्री नरेन्द्र सिंह (सीओए) - 18.08.22 से आज तक (सीओएफ का कार्यभार देखते हुए उप वित्त अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर)।
3.	परीक्षा नियंत्रक	1	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/अंतर-	पांच वर्ष	1. प्रो. प्रवीण चंद्रा- 06.07.11 से 30.07.19 (अतिरिक्त प्रभार)

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भर्ती की विधि	अवधि/ कार्यकाल	2018-23 के दौरान कार्यरत व्यक्ति
			विश्वविद्यालय स्थानांतरण		2. सुश्री सुनीता शिवा (संयुक्त कुलसचिव)- 30.07.19 से 16.03.20 (अतिरिक्त प्रभार) 3. प्रो. प्रोद्युत भट्टाचार्य- 17.03.20 से 30.04.21 (अतिरिक्त प्रभार) 4. श्री राजू नायर- 09.04.21 से 29.04.23 (सीओई-I के रूप में प्रतिनियुक्ति) 5. डॉ. एसएल भंडारकर (उप निदेशक)- 01.11.21 से आज तक (सीओई-II के रूप में प्रतिनियुक्ति) 6. प्रो. गुलशन कुमार- 30.04.23 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	जानकारी उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	1. प्रो. अरिंजय जैन- 19.02.19 से 03.07.19 (अतिरिक्त प्रभार) 2. प्रो. क्वीनी प्रधान- 04.07.19 से 26.09.19 (अतिरिक्त प्रभार) 3. डॉ. सविता मित्तल (उप पुस्तकालयाध्यक्ष)- 26.09.19 से 27.07.23 (अतिरिक्त प्रभार) 4. प्रो. मीनू कपूर- 28.07.23 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)

डीटीयू

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भर्ती की विधि	अवधि/कार्य काल	2018-23 के दौरान कार्यरत व्यक्ति
1.	कुलपति	1	खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति	पांच वर्ष	1. प्रो. योगेश सिंह- 14.07.16 से 07.10.21 तक नियमित आधार पर 2. प्रो. जय प्रकाश सैनी- 07.10.21 से 25.09.2023 (अतिरिक्त प्रभार) 3. प्रो. एस इंदु- 25.09.23 से 29.11.23 (अतिरिक्त प्रभार) 4. प्रो. प्रतीक शर्मा- 29.11.23 से आज तक नियमित आधार पर
2.	प्रतिकुलपति	2	कुलपति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्ति	तीन वर्ष या कुलपति के कार्यकाल के साथ सह-समाप्ति	1. प्रो. अनु सिंह लाठर - 17.01.17 से 20.02.19 तक नियमित आधार पर 2. फरवरी 2019 से पद रिक्त
					1. प्रो. एस.के. गर्ग- 17.01.17 से 16.01.20 तक नियमित आधार पर 2. जनवरी 2020 से पद रिक्त

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भर्ती की विधि	अवधि/कार्य काल	2018-23 के दौरान कार्यरत व्यक्ति
3.	कुलसचिव	1	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	पांच वर्ष	1. प्रो. समशेर- 14.03.17 से 15.04.21 (अतिरिक्त प्रभार) 2. प्रो. मधुसूदन सिंह- 16.04.21 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)
4.	वित्त नियंत्रक	1	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	पांच वर्ष	1. प्रो. समशेर- 30.10.17 से 31.12.20 (अतिरिक्त प्रभार) 2. प्रो. नीरेन्द्र देव- 01.01.21 से 07.12.21 (अतिरिक्त प्रभार) 3. श्री. धरम दास वर्मा- 08.12.21 से 04.08.22 (प्रतिनियुक्ति) 4. प्रो. नीरेन्द्र देव- 01.09.22 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	जानकारी उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	1. श्री रमा कांत शुक्ला- 29.12.95 से 31.07.22 तक नियमित आधार पर 2. प्रो. रचना गर्ग- 05.08.22 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)
6.	निदेशक (आईक्यूएसी)	कोई सूचना नहीं है	कोई सूचना नहीं है	जैसा कि नियुक्ति आदेश में निर्णय लिया गया है	1. प्रो. एम एम त्रिपाठी- 01.01.18 से 31.12.20 (अतिरिक्त प्रभार) 2. प्रो. नीरेन्द्र देव- 01.01.21 से 31.07.22 3. प्रो.नीता पांडे- 01.08.22 से 31.07.25
7.	मुख्य परियोजना अधिकारी	कोई सूचना नहीं है	कोई सूचना नहीं है	कोई सूचना नहीं है	1. श्री बिमल जैन- 23.12.15 से 31.12.21 तक प्रतिनियुक्ति पर 2. प्रो. अमित श्रीवास्तव- 01.01.22 से आज तक (अतिरिक्त प्रभार)
8.	कार्यपालक अभियंता	1	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	आर.आर. में उल्लेख नहीं है	1. श्री बिमल जैन- 01.06.15 से 05.01.22 तक प्रतिनियुक्ति पर 2. जनवरी 2022 से पद रिक्त।

अनुलग्नक 4.2
(पैराग्राफ 4.2.4 (ii) में संदर्भित)
स्वीकृत नहीं किए गए परंतु बहिःस्रोतित आधार पर भरे गए पदों का वर्ष-वार विवरण

1. गैर-शिक्षण

क्रम सं.	पद का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	परिचारक	179	184	208	207	211
2.	नर्स	03	03	04	03	03
3.	कैमरामैन	03	03	03	03	03
4.	खेल प्रशिक्षक	-	08	09	09	09
5.	ग्राउंड मैन	-	02	02	02	02
6.	वीडियो संपादक	-	-	01	01	01
7.	वीडियो संपादक सह मीडिया प्रबंधक	-	-	-	-	01
8.	उप सुरक्षा अधिकारी	-	01	01	01	01
9.	इनक्यूबेटर प्रबंधक	-	-	-	-	01
10.	परामर्शदाता	-	-	01	01	01

2. तकनीकी कर्मचारी

क्रम सं.	पद का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	लैब सहायक	-	-	01	01	01
2.	टेलिफ़ोन - आपरेटर	-	-	01	01	01

अनुलग्नक 4.3
(पैराग्राफ 4.3.5 में संदर्भित)
संयुक्त भौतिक निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियां

जीजीएसआईपीयू - द्वारका परिसर

1. यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन (यूएसई) की एक कक्षा (दो में से) में श्रव्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

2. औषधि विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के लिए नवनिर्मित पशु गृह का उपयोग उत्तर पुस्तिकाओं के भंडारण कक्ष के रूप में किया जा रहा था।

नवनिर्मित पशु गृह का उपयोग उत्तर पुस्तिकाओं के भंडारण कक्ष के रूप में किया जा रहा है

3. बैडमिंटन कोर्ट के पास खुले क्षेत्र को साफ नहीं रखा गया है और यह देखा गया है कि उस क्षेत्र में कबाड़ सामग्री फेंक दी गई थी।

बैडमिंटन कोर्ट के पास फेंकी गई कबाड़ सामग्री

4. विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावास ब्लॉकों में 92 सीसीटीवी कैमरे कार्यात्मक थे। यूएसएमसी में कोई सीसीटीवी निगरानी नहीं थी।

5. विश्वविद्यालय विधि एवं विधिक अध्ययन स्कुल की कंप्यूटर लैब का उपयोग बाहरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के भंडारण कक्ष के रूप में किया गया था।

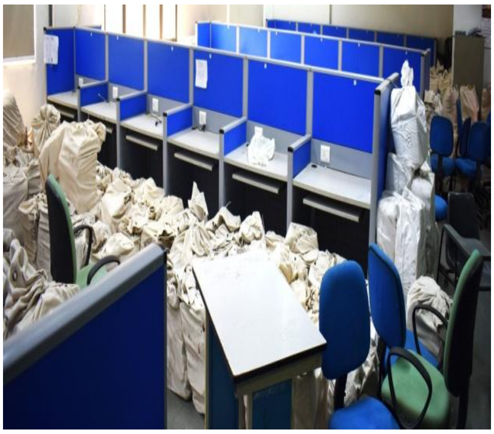

यूएसएलएलएस की कंप्यूटर लैब का उपयोग बाह्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं और कोरी उत्तर पुस्तिकाओं के भंडारण कक्ष के रूप में किया जा रहा है

6. विश्वविद्यालय का तरणताल गैर-कार्यात्मक पाया गया।

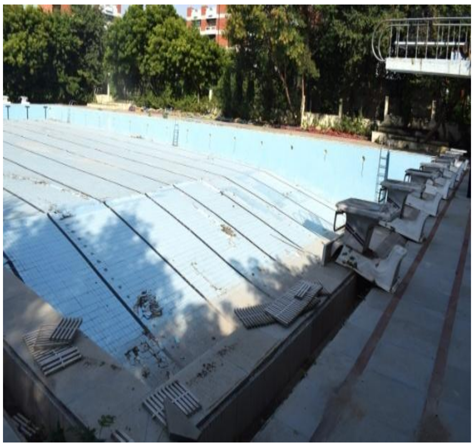

गैर-कार्यात्मक तरणताल

7. पीडब्ल्यूडी ने पूरे परिसर में सीसीटीवी लगा दिए हैं, परंतु नियंत्रण कक्ष/कक्षों सहित प्रणाली अभी तक कार्यात्मक नहीं हुई है।
8. विश्वविद्यालय स्वचालन एवं रोबोटिकी स्कूल (यूएसएआर) -
   - सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएं (ए-301 एवं ए-302), मेकाट्रोनिक्स (ए-304) और शिक्षकीय कक्ष (ए-303) कार्यात्मक नहीं थे।
   - कंप्यूटर लैब ए-203 एवं 204 में 32-32 बैठने की क्षमता के प्रति 49 एवं 51 कंप्यूटर सिस्टम स्थापित पाए गए।

- चार कार्यक्रमों में व्याख्यान कक्षों/कक्षाओं की बैठने की अधिकतम क्षमता 48 और 107 के बीच थी, परंतु 2022-23 सत्र के दौरान 139 से 148 छात्रों को नामांकित किया गया।

जीजीएसआईपीयू - सूरजमल विहार परिसर

9. विश्वविद्यालय डिज़ाइन तथा नवाचार स्कूल (यूएसडीआई) -
   - मेटल प्रिंटिंग स्टूडियो यूबी-03 कार्यात्मक नहीं था और वर्तमान में इस स्टूडियो का उपयोग सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा केंद्रीय भंडार के लिए किया जा रहा था।
   - लेज़र कटिंग वर्कशॉप में निर्माता से कोड प्राप्त न होने के कारण चार में से दो मशीनें कार्यात्मक नहीं थीं।
   - बिजली पाइंट की अनुपलब्धता के कारण 3डी प्रिंटिंग रैपिट प्रोटोटाइपिंग (बी-201) 12 कंप्यूटर और पांच 3डी मशीनें कार्यात्मक नहीं थीं।
10. विश्वविद्यालय वास्तुकला एवं योजना स्कूल (यूएसएपी) को द्वारका परिसर से पूर्वी परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था और यह अभी भी पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है, यद्यपि 2023-24 शैक्षणिक सत्र अगस्त 2023 से शुरू हो गया है।
11. शैक्षणिक ब्लॉक में पेयजल सुविधा पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वाटर कूलरों से 72 नल गायब थे।

वाटर कूलर से नल गायब

12. शिक्षक आवास कार्यात्मक नहीं था।
13. लड़कियों के छात्रावास में भोजनालय काम नहीं कर रहा था।
14. छात्रावास में रसोईघर के फर्श पर जलभराव था।

लड़कों के छात्रावास के भोजनालय में अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था

15. छात्रावासों में सार्वजनिक कक्ष/मनोरंजन कक्ष प्रचालन में नहीं थे।

16. खेल शाला कार्यात्मक नहीं थी क्योंकि वहाँ कोई खेल किट कक्ष नहीं था।

<u>डीटीयू - रोहिणी परिसर</u>

(i) विद्युत इंजीनियरी विभाग में छात्रों का सार्वजनिक कक्ष (एफडब्ल्यू1-एफएफ12) बंद पाया गया, उसमें कबाड़ भरा हुआ था और कार्यात्मक नहीं था।

(ii) सभी भवनों में तीन सेट सीढ़ियां हैं। तथापि, भवनों की सभी मंज़िलों पर केंद्रीय सीढ़ियां बंद पाई गईं और उनका उपयोग कबाड़ फेंकने के लिए किया जा रहा था। केंद्रीय सीढ़ियों का यह अवरोध आग लगने, भूकंप आदि जैसी आपात स्थितियों में हानिकर सिद्ध हो सकता है।

पुराने शैक्षणिक ब्लॉक में केंद्रीय सीढ़ियां

(iii) डीटीटीई, रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2008-09 में डीटीयू में एजुसैट सुविधा स्थापित की थी ताकि शैक्षिक सामग्रियों के वितरण के लिए उपग्रह (जीसैट-3 नामक एक इसरो उपग्रह) पर आधारित द्वि-मार्गी संचार का उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वंचित/अछूते वर्गों तक उच्च शिक्षा

की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि एजुसैट की मशीनरी/उपकरण सिविल इंजीनियरी शैक्षणिक भवन की छत पर फेंक दिए गए थे।

सिविल इंजीनियरी अकादमिक भवन की छत पर फेंके गए एजुसैट उपकरण

(iv) सामान्यतः, पुराने शैक्षणिक भवन की कक्षाओं में आधुनिक आईसीटी सुविधाओं जैसे श्रव्य प्रणाली, स्मार्ट बोर्ड, टीवी, प्रोजेक्टर आदि का अभाव था। जहाँ श्रव्य सुविधाएं स्थापित थीं, वे भी कार्यात्मक नहीं थीं। आधी कक्षाओं में प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु वह भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा, पुराने शैक्षणिक भवन की कक्षाओ में शिक्षकों के मंच के लिए जगह की कमी थी, क्योंकि मंच क्षेत्र में अतिरिक्त बेंच रखी गई थीं।

पुराने शैक्षणिक ब्लॉक में कक्षाएं

(v) नए शैक्षणिक भवन में स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली कार्यात्मक नहीं पाई गई।

(vi) संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दिन 70 सीसीटीवी कैमरे (कुल 739 में से) कार्यात्मक नहीं पाए गए।

(vii) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बालक छात्रावास के निकट विश्वविद्यालय परिसर की चारदीवारी टूटी हुई पाई गई तथा उसके स्थान पर कम ऊंचाई का अस्थायी टिन शेड लगाया गया, जिसका अतिक्रमणकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है तथा यह सुरक्षा के लिए खतरा है।

<u>डीटीयू - विवेक विहार परिसर</u>

(i) अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन उचित नहीं था और यह देखा गया कि परिसर में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ था।

विवेक विहार परिसर में पड़ा कबाड़

(ii) परिसर के भवन में दरारें देखी गईं, जिससे इसकी संरचनात्मक सुरक्षा पर चिंता उत्पन्न होती है।

विवेक विहार परिसर के भवन में दरारें

(iii) चारदीवारी पर टूटी हुई बाड़ देखी गई।

<u>डीपीएसआरयू</u>

कैंटीन में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और छात्रों को पानी की बोतलें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(i) रसोईघर साफ़-सुथरा और स्वास्थ्यकर नहीं पाया गया। कूड़ा खुले कूड़ेदान में रखा हुआ था।

रसोई में अस्वास्थ्यकर स्थिति

(ii) रसोईघर की जल निकासी व्यवस्था उचित नहीं थी।

(iii) व्यंजन-सूची का रखरखाव और प्रदर्शन ठीक से नहीं किया गया था।

(iv) लड़कियों के छात्रावास के कई कमरों में रिसाव (सी-15, सी-17 और सी-19) और वर्षा जल की समस्या (ए-07) थी।

(v) नए डीपीएसआरयू भवन के तहखाने का उपयोग कर्मचारियों की पार्किंग सुविधा के लिए किया जाता है। तथापि, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बहुत सारा अप्रयुक्त/टूटा हुआ फर्नीचर, जिसे हटाया जाना आवश्यक था, उसी पार्किंग क्षेत्र में फेंक दिया गया था, जिससे वाहनों की पार्किंग में कठिनाई हो रही थी और अस्वास्थ्यकर वातावरण भी बन रहा था।

(vi) डीपीएसआरयू भवन की बेसमेंट पार्किंग में स्थापित अभिलेख कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं थी। प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने और कमरे में नमी होने के कारण, वहाँ रखे अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

(vii) लड़कों के छात्रावास में लगाए गए 30 कैमरों में से पांच काम नहीं कर रहे थे।

(viii) परीक्षा ब्लॉक में स्थापित 13 कैमरों में से तीन कैमरे लैन से जोड़े नहीं गए थे, जिसके कारण लाइव मॉनिटरिंग नहीं हो सकी।

(ix) नए डीपीएसआरयू भवन, डीआईपीएसएआर भवन और परिसर में स्थापित 152 कैमरों में से 48 कैमरे लैन से नहीं जोड़े गए थे, जिसके कारण लाइव मॉनिटरिंग नहीं हो सकी।

लाइव निगरानी का अभाव	

<u>डीआईपीएसएआर</u>

(i) यद्यपि डीआईपीएसएआर भवन डीपीएसआरयू से पुराना है, फिर भी डीआईपीएसएआर भवन में लिफ्ट की सुविधा का अभाव है। डीआईपीएसएआर भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) कॉलेज में वाटर कूलर काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा था।

(iii) प्रयोगशालाओं में कई उपकरण काम नहीं कर रहे थे जैसे इनक्यूबेटर और फर्मेंटर (लैब नं. 07), अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर और डीप फ्रीज़र (लैब नं. 113 ए), यूएफएलसी (लैब नं. 113 बी), लियोफिलाइज़र (लैब नं. 108), ऑयल बाथ और डिसॉल्यूशन उपकरण (101), रोटा इवेपोरेटर (103), प्रयोगशाला ड्राइविंग ओवन, बेंच शेकर, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर (लैब नं. 306), आइस फ्लेकिंग मशीन (लैब नं. 307), माइक्रो वेव सिंथेसिस लैब, रोटरी इवेपोरेटर, सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्टर, डिस्टिलेशन असेंबली और फ्यूमिंग हुड (लैब नं. 310), डिसॉल्यूशन उपकरण, वॉटर बाथ और रोटरी इवेपोरेटर (लैब नं. 206), ओवन और मिलिपोर वॉटर (लैब नं. 208) आदि।

(iv) कक्षाओं में प्रोजेक्टर सुविधा ठीक से काम नहीं करती पाई गई तथा एक कक्षा (कक्ष संख्या 205) में रिसाव की समस्या भी पाई गई।

अनुलग्नक 5.1

(पैराग्राफ 5.1.1 (i) में संदर्भित)

वर्ष 2018-23 के दौरान जीजीएसआईपीयू के बीएसएस के गठन और कार्यप्रणाली में देखी गई विसंगतियां

क्रम सं.	स्कूल का नाम	दिनांक	संकायाध्यक्ष	स्कूल के प्रोफेसरों	03 एसोसिएट प्रोफेसर और 02 सहायक प्रोफेसर	संबद्ध कॉलेज से 03 व्यक्ति (01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर)	कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामित 05 सदस्य
			के मानदंडों के प्रति बीएसएस के वास्तविक सदस्य				
1.	**विश्वविद्यालय मानविकी और सामाजिक विज्ञान स्कूल**	18.10.2019	01 संकायाध्यक्ष	03 प्रोफेसर	कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		24.09.2021	01 संकायाध्यक्ष	03 प्रोफेसर	एक एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
2.	**यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और पैरा मेडिकल हेल्थ साइंस**	09.10.2018	01 संकायाध्यक्ष	शून्य	शून्य	01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर	05 बाहरी सदस्य
		13.10.2021 (एक वर्ष के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	शून्य	शून्य	01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर	05 बाहरी सदस्य
3.	**विश्वविद्यालय प्रबंधन अध्ययन स्कूल**	21.08.2018	01 संकायाध्यक्ष	07 प्रोफेसर	01 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर	05 बाहरी सदस्य
		10.10.2020 (2 महीने के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	07 प्रोफेसर	01 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर	05 बाहरी सदस्य
		18.10.2022	01 संकायाध्यक्ष	09 प्रोफेसर	03 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर	05 बाहरी सदस्य
4.	**विश्वविद्यालय पर्यावरण प्रबंधन स्कूल**	20.09.2019	01 संकायाध्यक्ष	05 प्रोफेसर	01 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य

क्रम सं.	स्कूल का नाम	दिनांक	संकायाध्यक्ष	स्कूल के प्रोफेसरों	03 एसोसिएट प्रोफेसर और 02 सहायक प्रोफेसर	संबद्ध कॉलेज से 03 व्यक्ति (01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर)	कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामित 05 सदस्य
			के मानदंडों के प्रति बीएसएस के वास्तविक सदस्य				
		24.09.2021	01 संकायाध्यक्ष	06 प्रोफेसर	शून्य-एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
5.	**विश्वविद्यालय जन संचार स्कूल**	31.01.2020	01 संकायाध्यक्ष	-	शून्य-एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	-	05 बाहरी सदस्य
		04.03.2022 (एक महीने से अधिक के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	-	शून्य-एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
6.	**विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी स्कूल**	11.04.2019	01 संकायाध्यक्ष	03 प्रोफेसर	03-एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		05.07.2021 (लगभग तीन महीने के विलंब से)	01 संकायाध्यक्ष	05 प्रोफेसर	02 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		05.09.2023 (2 महीने के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	05 प्रोफेसर	02 एसोसिएट प्रोफेसर, 01 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
7.	**विश्वविद्यालय मौलिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान स्कूल**	19.09.2019	01 संकायाध्यक्ष	06 प्रोफेसर	01 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		24.09.2021	01 संकायाध्यक्ष	05 प्रोफेसर	03 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
8.	**विश्वविद्यालय विधि एवं विधिक अध्ययन स्कूल**	11.04.2019	01 संकायाध्यक्ष	03 प्रोफेसर	03 एसोसिएट प्रोफेसर, 02	02 सदस्य	05 बाहरी सदस्य

क्रम सं.	स्कूल का नाम	दिनांक	संकायाध्यक्ष	स्कूल के प्रोफेसरों	03 एसोसिएट प्रोफेसर और 02 सहायक प्रोफेसर	संबद्ध कॉलेज से 03 व्यक्ति (01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर)	कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामित 05 सदस्य
			के मानदंडों के प्रति बीएसएस के वास्तविक सदस्य				
					सहायक प्रोफेसर		
		(6 महीने से अधिक के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	03 प्रोफेसर	03 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	02 सदस्य	05 बाहरी सदस्य
9.	**विश्वविद्यालय शिक्षा स्कूल**	16.08.2017	01 संकायाध्यक्ष	02 प्रोफेसर	शून्य-एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		08.09.2021 (2 वर्ष के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	01 प्रोफेसर	शून्य-एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
10.	**विश्वविद्यालय रसायन प्रौद्योगिकी स्कूल**	04.01.2019	01 संकायाध्यक्ष	01 प्रोफेसर	03 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		12.01.2021	01 संकायाध्यक्ष	06 प्रोफेसर	02 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
		05.02.2023 (लगभग एक महीने के विलंब के साथ)	01 संकायाध्यक्ष	06 प्रोफेसर	03 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
11.	**विश्वविद्यालय वास्तुकला और योजना स्कूल**	17.12.2020	01 संकायाध्यक्ष	01 प्रोफेसर	02 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	विभिन्न संबद्ध कॉलेजों के 03 निदेशक	05 बाहरी सदस्य
			01 संकायाध्यक्ष	01 प्रोफेसर	02 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य
12.	**विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल**	19.11.2019	01 संकायाध्यक्ष	08 प्रोफेसर	03-एसोसिएट प्रोफेसर, 02-सहायक प्रोफेसर	शून्य	05 बाहरी सदस्य

क्रम सं.	स्कूल का नाम	दिनांक	संकायाध्यक्ष	स्कूल के प्रोफेसरों	03 एसोसिएट प्रोफेसर और 02 सहायक प्रोफेसर	संबद्ध कॉलेज से 03 व्यक्ति (01 प्रोफेसर + 01 एसोसिएट प्रोफेसर + 01 सहायक प्रोफेसर)	कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामित 05 सदस्य
			के मानदंडों के प्रति बीएसएस के वास्तविक सदस्य				
		10.05.2022 (6 महीने के विलंब के साथ)	आंतरिक सदस्यों का गठन यूएसआईसीटी द्वारा नहीं किया गया था।				05 बाहरी सदस्य
13.	**औषधि विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीएस)**	20.06.2019	चूंकि सीईपीएस के पास अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए आपदा प्रबंधन से 01 प्रोफेसर, यूएसईएम से 01 प्रोफेसर, यूएसआईसीटी से 01 प्रोफेसर, यूएसबीटी से 01 एसोसिएट प्रोफेसर और यूएसबीएएस से 01 सहायक प्रोफेसर को विषय-निर्वाचन समिति के आंतरिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।				05 बाहरी सदस्य
		13.08.2021 (02 महीने के विलंब के साथ)	चूंकि सीईपीएस के पास अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए आपदा प्रबंधन से 01 प्रोफेसर, यूएसईएम से 01 प्रोफेसर, यूएसबीएएस से 01 एसोसिएट प्रोफेसर को विषय-निर्वाचन समिति के आंतरिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।				05 बाहरी सदस्य
14.	**प्रबंधन अध्ययन केंद्र (सीडीएमएस)**	06.10.2020	चूंकि सीडीएमएस के पास अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए यूएसईएम से 02 प्रोफेसर और यूएसएमएस से 01 प्रोफेसर, कुल 03 एसोसिएट प्रोफेसर - यूएसएलएलएस, यूएसईएम, यूएसआईसी एंड टी प्रत्येक से एक, 02 सहायक प्रोफेसर - यूएसईएम, यूएसएमएस प्रत्येक से एक को विषय-निर्वाचन समिति के आंतरिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।				05 बाहरी सदस्य
		15.02.2023 (4 महीने के विलंब के साथ)	चूंकि सीडीएमएस के पास अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए कुल 03 प्रोफेसर - यूएसईएम, यूएसबीएएस , यूएसएल एंड एलएस से एक-एक, और कुल 03 एसोसिएट प्रोफेसर - यूएसएल एंड एलएस, यूएसईएम, यूएसआईसी एंड टी से एक-एक, 02 सहायक प्रोफेसर - यूएसबीटी, यूएसईएम से एक-एक को विषय-निर्वाचन समिति के आंतरिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।				05 बाहरी सदस्य
15.	**विश्वविद्यालय स्वचालन एवं रोबोटिकी स्कूल (यूएसएआर)**	21.01.2022	01 संकायाध्यक्ष	01 प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर-शून्य, सहायक प्रोफेसर-01	02- एसोसिएट प्रोफेसर, 01 सहायक प्रोफेसर	05 बाहरी सदस्य
16.	**विश्वविद्यालय डिज़ाइन तथा नवाचार स्कूल (यूएसडीआई)**	20.01.2022	01 संकायाध्यक्ष	01 प्रोफेसर	01 एसोसिएट प्रोफेसर, 02 सहायक प्रोफेसर	यह लागू नहीं है क्योंकि संबद्ध संस्थान में यूएसडीआई से संबंधित कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है।	05 बाहरी सदस्य

स्रोत: बीएसएस की अधिसूचनाओं से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी

शब्दावली

शब्दावली

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
एएए	शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा
एआईसीटीई	भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआरसी	प्रवेश नियामक समिति
एएसएसआरएम	खेल विज्ञान और अनुसंधान प्रबंधन अकादमी
एवाई	शैक्षणिक वर्ष
बीपीटी	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
बीएसएस	अध्ययन स्कूल बोर्ड
सीएटी	सामान्य प्रवेश परीक्षा
सीसीएसईए	जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति
सीडीसी	कॉलेज विकास परिषद
सीएलएटी	सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा
सीएमवाईएस	ध्यान और योग विज्ञान केंद्र
सीएसई	कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी
सीयूईटी	संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा
सीयूएमएस	क्लाउड आधारित विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली
डीसीए	उप लेखा नियंत्रक
डीएचई	उच्चतर शिक्षा निदेशालय
डीएचईएटी	दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता न्यास
डीएचईएसएफ	दिल्ली उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कोष
डीआईपीएसएआर	दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान संस्थान
डीजेबी	दिल्ली जल बोर्ड
डीकेडीएफ	दिल्ली ज्ञान विकास प्रतिष्ठान
डीपीएसआरयू	दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय
डीआरसी	अनुसंधान और परामर्श निदेशालय
डीटीटीडीसी	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम
डीटीयू	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
एफआरजीएस	मौलिक अनुसंधान अनुदान योजना
जीजीएसआईपीयू	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचईआई	उच्चतर शिक्षा संस्थान
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईआईक्यूएसी	इंद्रप्रस्थ आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल
आईपीआर	बौद्धिक स्वत्व अधिकार
आईक्यूएसी	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
आईयूएमएस	एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली
जेएसी	संयुक्त मूल्यांकन समिति
जेईई	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
एमसीएम	योग्यता-सह-साधन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमपीडी	दिल्ली का मास्टर प्लान
एनएएसी	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
एनएटीए	राष्ट्रीय वास्तुकला योग्यता परीक्षा
एनईईटी	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरसी	राष्ट्रीय नियामक परिषद
एनटीए	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीजी	स्नातकोत्तर
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
आरआईएमएस	अनुसंधान सूचना प्रबंधन प्रणाली
आरयूएसए	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
आरडब्ल्यूएच	वर्षा जल संचयन
एसएफआरसी	राज्य शुल्क नियामक समिति
एसआरएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
एसटीपी	सीवेज शोधन संयंत्र
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूसी	विश्वविद्यालय केंद्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएसएपी	विश्वविद्यालय वास्तुकला एवं योजना स्कूल
यूएसएआर	विश्वविद्यालय स्वचालन एवं रोबोटिकी स्कूल
यूएसडीआई	विश्वविद्यालय डिज़ाइन एवं नवाचार स्कूल
यूएसई	विश्वविद्यालय शिक्षा स्कूल
यूएसएस	विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल
वीसी	कुलपति
डब्ल्यूसीएससी	विश्व स्तरीय कौशल केंद्र

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi